(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 11वां दिवस [संख्या 7

मंगलवार,

दिनांक 12 मार्च, 1974

विधान-सभा की बैठक म. पू. 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, वित्त, कृषि, सहकारिता, खनिज, देवस्थान, आबकारी, योजना, खाद्य, पंचायत, सामुदायिक विकास, नागरिक रसद एवं जन स्वास्थ्य-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री रमेशचन्द्र सैनिक !

शीत लहर से रबी की फसल को क्षति

118. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली), श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा), श्री रामलाल (बाड़ी), श्री भूराराम (आबू), श्री मनफूलराम (केशरीसिंहपुर), श्री रामगोपाल (किशनगंज), श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़), श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फरवरी, 1974 के प्रथम सप्ताह में शीत लहर से सम्पूर्ण राजस्थान में रबी की फसल को भारी क्षति पहुंची है। यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिए क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(2) राज्य सरकार सम्पूर्ण जिलों से गिरदावरी रिपोर्ट कब तक प्राप्त कर लेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार का विचार किसानों को तात्कालिक मदद देने के लिए गत वर्ष के अकाल कार्यों में से शेष रहे कार्यों को तत्काल शुरू करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का ताल्लुक राजस्व विभाग से है और वहां ट्रान्सफर कर दिया था अतः वह अपने टर्न पर उत्तर देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह कृषि से सम्बन्धित है।

श्री नरपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह शीत लहर से सम्बन्धित है····

श्री अध्यक्ष : बैठिये। प्रश्न का उत्तर तैयार नहीं होने से स्थगित करने के सिवा

(श्री अध्यक्ष)
और दूसरा उपाय नहीं है। केवल यही कहूंगा कि अगले सप्ताह इसका उत्तर दे दें।

श्री केशरीमल : मेरा यह निवेदन है कि इस तरह के प्रश्न पहले भी सदन में आये और सदन में सरकार द्वारा बयान देने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई बयान नहीं दिया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दोनों मन्त्री यहां विराजमान हैं। दोनों ही तय करके उत्तर दे दें।

श्री नत्थासिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में सरसों, चना, जौ, गेहूं सबकी सब फसल नष्ट हो गयी है और मन्त्री जी कह रहे हैं कि शीत लहर का बाद में जवाब देंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि सरकार इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहती। ऐसी कौनसी बड़ी बात है इसके अन्दर कि इस प्रश्न का उत्तर सरकार देने में कठिनाई अनुभव करे। सीधासादा प्रश्न है लेकिन उत्तर नहीं देना है तो मत दीजिये और स्थगित कराइये और अगर देना है तो सीधासादा कोई उत्तर दीजिए। नॉन-कमिटल दीजिए। मन्त्री महोदय आप तो डिप्लोमेट हैं, मैं जानता हूं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इस पर स्थगन प्रस्ताव भी था और आपकी तरफ से बयान की बात कही गयी थी और सरकार को इसके लिए आदेश दिये गये थे अब क्योंकि यह प्रश्न उससे सम्बन्धित है इसलिए इस प्रश्न के साथ नहीं जोड़ कर राज्य सरकार से पहले बयान दिला दीजिए जिससे यह पूरा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगर सदन के माननीय सदस्यों को बयान दिलाने से सन्तोष हो जाये और इस प्रश्न की जरूरत नहीं रहे तो मैं बयान की तारीख मुकर्रर कर दूंगा।

श्री रामकिशन : हां साहब, यह बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सारे राजस्थान की पिक्चर हमारे सामने आ जायेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उसमें यह भी कर दें कि एक नोट सरकुलेट कर दें।

श्री अध्यक्ष : यह मैं नहीं कह सकता। नियमों के अनुसार होगा। स्टेटमेंट दिला दूंगा। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो सके तो कल ही बयान दे दे सरकार।

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो मुझे डिप्लोमेसी के लिए ट्रिब्यूट पे किये मैं उसके बहुत शुक्रगुजार हूं। आप मेरे हमेशा से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आप जैसे मैच्योर्ड पार्लियामेन्टेरियन से ही काफी सीख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया!

ग्राम बीकासर व नोखा मण्डी में भूमि का रजिस्ट्रेशन

119. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नोखा के ग्राम बीकासर व कस्बा नोखा मण्डी में पिछले तीन

Page No 3

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
सालों में अर्थात् 1 जनवरी, 1971 से लेकर आज तक कितनी ऐसी भूमि के बेचान या हस्तान्तरण का रजिस्ट्रेशन हुआ है जो देवस्थान व मन्दिरों के पीछे सरकार द्वारा घोषित की गई है ? बेचने वाले व खरीद करने वाले व्यक्तियों के नाम व तादाद (बीघों में) भूमि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार देवस्थान व मन्दिरों की भूमि की बिक्री पर पाबन्दी लगाने का इरादा रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त बेचान या हस्तानान्तरण में से अधिक कीमत की जमीन के रजिस्ट्रेशन को खारिज कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या राज्य सरकार इस तरह की भूमि के इन्तकाल को तुरन्त रोकने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, देवस्थान (श्री मूलचन्द मीणा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करने के लिए दी है और 5-3-74 को तीन हफ्ते की मोहलत चाही गई थी इसलिए इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नेक्स्ट, श्री मूलचन्द सामरिया।

सार्वजनिक स्थानों के समीप शराब की दुकानें

120. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मन्दिरों, मस्जिदों तथा गुरुद्वारों आदि सार्वजनिक स्थानों के समीप अथवा हरिजन बस्तियों में शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं ?

(2) इस वर्ष राज्य के विभिन्न भागों में शराब की कितनी दूकानें चल रही हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर के मोहल्ला रैगरान (रैगरों की कोठी, घाटगेट) में चल रही शराब की दुकान का स्थानीय लोगों (रैगरों) द्वारा घोर विरोध किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह दुकान किस तारीख से बन्द की गई है ? क्या सरकार वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत कर इस दुकान को वहां से उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, आबकारी (श्री जुझारसिंह) : (1) जी नहीं। परन्तु हरिजन बस्तियों में दुकान खोलने के नियमों में कोई रोक नहीं है।

(2) राज्य में 1738 देशी शराब की दुकानें हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(राज्य मन्त्री, ग्राबकारी)

(3) जी हां, सरकार ने इस दुकान को बन्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

जी नहीं ।

(कृपया सूची के लिए परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय आप शराब की दुकान का ठेका देते हैं उससे पहले आप कोई रिपोर्ट इसकी हासिल करते हैं या नहीं कि वहां कोई मन्दिर या मस्जिद तो नहीं है और कोई एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन तो नहीं है ? क्या यह सही है कि रैंगरों की कोठी में इस तरह का इन्स्टीट्यूशन है जहां आपने शराब की दुकान चला रखी है और उसका कारण यह है कि वहां पर सत्याग्रह हो रहा है ।

श्री कुम्भारसिंह : जहां तक मेरी जानकारी है रेगरों की बस्ती में दुकान खोलने के लिए कोई मुमानियत नहीं है । जहां मन्दिर, मस्जिद, डिस्पेन्सरी, स्कूल का सवाल है वहां से सरटेन डिस्टेन्स पर दुकान खोलने का प्रावधान नहीं है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप रिपोर्ट हासिल करते हैं या नहीं या ऐसे ही नीलाम कर देते हैं और क्या आपने रैंगरों की कोठी के बारे में कोई रिपोर्ट ली है ?

श्री कुम्भारसिंह : वहां वर्षों से दुकान चल रही है । करीब 25-30 साल से चल रही है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एजूकेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा जो स्कूल कायम किए जा रहे हैं वह तो नयी खोलते हैं । दुकानें तो बहुत चलती हैं । जब तक शराबखोर रहेंगे तब तक दुकानें चलती रहेंगी ।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : आपने मन्दिर, मस्जिदों को तो कृपापूर्वक टाल दिया और हरिजन और रैंगरों की बस्ती जो कि भयंकर दरिद्र और पिछड़े हुए लोग हैं क्या आप इस पर पुर्नविचार कर सकते हैं कि इन दबे हुए लोगों को नहीं दबाया जाए और इनके मोहल्लों से अलग शराब की दुकानें खोली जायें । देखिये शांत मन से, सन्तुलन से और चन्दनमल जी के बिना सलाह लिए हुए अगर कह सकें तो कह दीजिए ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, साधारण सा नियम बताया कि मन्दिर और मस्जिदों के पास नहीं खोली जा सकती हैं लेकिन क्या आप यह बता सकते हैं कि मन्दिरों के पास खोली गई हैं ? ऐसी सूची आपके पास है ?

श्री कुम्भारसिंह : मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि मंदिरों के पास या मस्जिद के पास दुकान होने के लिए जो डिस्टेंस होना चाहिए विदिन देट डिस्टेंस दुकान है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर के पास एक दुकान है जो मंदिर के पास दुकान है और खटीकों के मोहल्ले के पास और मंदिर से बीस कदम पर है । तो आप क्या यह कहना चाहते हैं कि यह गैप दस कदम होना चाहिए ।

श्री दीपंकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, लाडनूं की हरिजन बस्ती में भी एक दुकान है और उस दुकान को हटाने के लिए बार बार भंगियों और रैगरों ने निवेदन किया है लेकिन फिर भी दुकान नहीं हटाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्रीमती नगेन्द्र-बाला !

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि रैगरों की कोठी पर जो शराब की दुकान है उस जगह पर मंदिर भी है और हरिजन लोग भी वहां पर रहते हैं तो क्या वह हरिजन मंदिर माना जाएगा और उसके पास दुकान नहीं रखी जाएगी।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिस जगह पर ठेका चलता है उसके पास ही रामदेवजी का मंदिर है और रैगरों की पूजा का स्थान है और उसके बिल्कुल पास ही दुकान का ठेका है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या यह सही है कि जयपुर शहर में जितनी भी शराब की दुकानें हैं उन सब के पास मंदिर और मस्जिद हैं और.... ....

श्री अध्यक्ष : इनसे क्या पूछना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जयपुर शहर के अन्दर जितनी भी शराब की दुकानें हैं वे सारी की सारी मंदिर, मस्जिद हैं और बड़े बड़े लड़के और लड़कियों की स्कूलें भी उनके पास में हैं। क्या यह सत्य है कि सुभाष चौक जो कि दिल्ली से आने जाने का मार्ग है जो विदेशियों के लिए, मंत्रियों के लिए और बड़े बड़े लोगों के आने-जाने का मार्ग है, वहां पर रात्रि को 9 बजे लोग शराब पीकर सड़क पर लेट जाते हैं और आवा-गमन बन्द कर देते हैं ? इससे सरकार की प्रतिष्ठा भी गिरती है ? इन दोनों बातों का उत्तर दीजिए।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता ने इस प्रश्न के तृतीय खण्ड के अन्दर यह पूछा है कि इस दुकान के प्रति रैगरों ने घोर विरोध प्रगट किया है। यह तो बड़ी लज्जाजनक बात है कि खास करके रैगरों के मंदिर के पास शराब की दुकान है। यदि उसके ऊपर लोग विरोध करते हैं और खास करके हरिजन रैगर आदि विरोध करते-हैं तो क्या फिर सरकार यह उचित नहीं समझती कि उस दुकान को हटाना चाहिए। यह तो नीति का प्रश्न है, इस पर मंत्री महोदय स्पेसिफिक उत्तर दें।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ....

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : जवाब नहीं दे रहे हैं मेरे प्रश्न का। मैंने यह पूछा है कि क्या वहां पर मंदिर है और दूसरी बात मैंने यह पूछी है कि क्या रैगरों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है।

श्री कुम्भारसिंह : जहां तक रैगरों के आन्दोलन का प्रश्न है, मैंने प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है कि जी हां; उनकी नाराजगी है। जहां तक आपका प्रश्न है कि मंदिर का फासला क्या है तो मैं निवेदन कर चुका हूं

Page No 6

(6)

(श्री कुम्भारसिंह)
कि मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है कि वह दुकान जो मंदिर और दुकान के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए उसके अन्दर है।

श्री मूलचन्द सामरिया : नियमों के अनुसार कितनी दूरी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती नगेन्द्र बाला !

श्री मूलचन्द सामरिया : जब तक डिस्टेंस नहीं बतलाएंगे कैसे मालूम होगा ···

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे—शोरगुल-व्यवधान)

लोग वहां मंदिर में बैठ करके राम नाम जपते है और वहीं पर लोग शराब पीकर उधम मचाते हैं। सरकार जो गरीब आदमी हैं उनकी जिन्दगी भर की कमाई को शराब के रूप में उनको लेना चाहती है और उसका विरोध करते हैं तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, इसका स्पष्ट जवाब दिलाया जाय कि मंदिर से कितनी दूरी निर्धारित है जहां पर कि शराब की दुकान नहीं हो सकती है। और उस ठेके की मंदिर से कितनी दूरी है, यह बतलाया जावे।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में देशी शराब की दुकानें हरिजन बस्ती के अन्दर, रैगरों की बस्ती के अन्दर और जाटवों की बस्ती के अन्दर ही क्यों होती हैं, और मोहल्लों में क्यों नहीं होती है। और इन मोहल्लों में होने से लोगों को कितना नुकसान होता है ? इसलिए मंत्री महोदय से इस सदन के सामने यह विश्वास दिलाया जावे कि जितने हरिजन मोहल्ले हैं, जितनी रैगरों की बस्तियां हैं और भंगियों की बस्तियां हैं वहां पर शराब की दुकानें नहीं लगेंगी और जहां हैं उनको भी खत्म कर देंगे।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे—व्यवधान)

श्री गौरीशंकर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है ··

श्री अध्यक्ष : जवाब तो सुन लीजिए।

श्री गोपाल जोशी : "जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर,
या वह जगह बता कि जहां पर खुदा न हो।"

श्री अध्यक्ष : (राज्य मंत्री की ओर मुखापेक्षा) क्या कुछ फरमाना चाहते हैं।

श्री कुम्भारसिंह : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला, नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरे प्रश्न का तो जवाब ही नहीं आया अध्यक्ष महोदय। मैंने निवेदन किया था कि मंदिर से कितनी सीमा में दुकान नहीं हो सकती शराब की····

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—व्यवधान)

दूरी बतावें।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर हूं ···

Page No 7

(7)

श्री भानुकुमार शास्त्री : मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया ···

श्री अध्यक्ष : वह नहीं चाहते तभी तो कहा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि मंदिर के पास दुकान नहीं खोली जाती, यह उन्होंने स्पष्टीकरण किया, यह ठीक है लेकिन अगर रैगर लोग विरोध करें उस दुकान का तो सरकार की क्या नीति है, यह मेरा स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री है। मंत्री महोदय इसका उत्तर क्यों नहीं देते।

श्री कुमारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है उसमें यह पूछा गया कि क्या मंदिरों, मस्जिदों तथा गुरुद्वारों आदि सार्वजनिक स्थानों के समीप अथवा हरिजन बस्तियों में शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं ? मेरा जवाब यह था कि मंदिरों मस्जिदों, डिस्पेंसरीज, गुरुद्वारों वगैरा इन से 200 मीटर के पास कोई दुकान शराब की नहीं खोली जाती है। मौजूदा नियम इसी तरह के हैं कि सर्टेन डिस्टेंस के बाद खोली जा सकती है शराब की दुकान।

श्री मो. गफ्फारअली : लेकिन वहां पर दो सौ मीटर की दूरी पर ही दुकान है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप जवाब को अवॉइड कर रहे हैं। सीधा सा सवाल है कि रैगरों ने आन्दोलन किया इस शराब की दुकान के प्रश्न पर और वहां पर कई कार्यकर्त्ता पहुँचे। आपको क्या दिक्कत है उनकी बात को मानने में ?

श्री लक्ष्मणसिंह : पैसे का लोभ है।

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि कानून के अन्तर्गत प्रावधान है कि हरिजन बस्तियों के अन्दर, आदिवासियों की बस्तियों के अन्दर दुकानें खोलने का प्रावधान नहीं है लेकिन वास्तविकता आज यह है कि मंदिरों के पास में, हरिजनों की बस्तियों में और स्कूलों के पास में खासतौर से शराब की दुकानें उठ रही हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था कि ··

श्री भानुकुमार शास्त्री : उठ नहीं रही हैं, लग रही हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था कि प्रश्न को पूछ कर आप यह चाहते हैं कि सूचना आपको मंत्री महोदय से मिले। मंत्री महोदय ने आपको सूचना दे दी लेकिन अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आगे और अपने रूल्स में इसके लिए प्रावधान है जिसके अनुसार आप किसी प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हों तो कार्यवाही करें। आप मंत्री महोदय से पर्टीक्यूलर जवाब चाहते हैं वो मैं उनको मजबूर तो नहीं कर सकता कि वे वही जवाब दे दें। यह तो मैं नहीं कह सकता कि यही जवाब दें। जब जवाब नहीं देना चाहते तो आप उसका नतीजा निकाल सकते हैं और रूल्स में जो प्रावधान है उसके तहत कार्यवाही करें।

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : जो दुकान यहां पर है उसका डिस्टेंस दो सौ मीटर से ज्यादा नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इतने नजदीक दुकान रखने का क्या-औचित्य है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने कहा कि स्कूलों के पास, मंदिरों और मस्जिदों के पास शराब की दुकान नहीं होगी लेकिन....

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलते रहे-अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं जवाब चाहता हूं सरकार से।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय;....

(शोरगुल-अश्रव्य)

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार का स्पेसिफिक जवाब आना चाहिए। यह प्रश्न अभी तो रैगरों की बस्ती का ही है लेकिन यह तो जयपुर के सभी मोहल्लों में पैदा होने वाला है।....

श्री चन्दनमल बैद : आप बैठ जावेंगे तभी तो जवाब दूंगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : रैगरों की कोठी में रोजाना आन्दोलन हो रहा है लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्रश्न पूछे गये हैं। एक तो यह कि कानून में प्रावधान क्या है ? मंत्री महोदय ने बता दिया है कि कानून में प्रावधान यह है। कानून के प्रावधान को क्यों नहीं बदला गया है, यह जो यहां पर पूछा गया है वह प्रश्न काल के समय नहीं बतला सकते हैं क्योंकि प्रश्न में यह नहीं पूछा गया है। जो कानून में प्रावधान है वह बतला दिया गया है। अब इस प्रावधान को बदलना या नहीं बदलना, जहां तक यह सवाल है, यह गवर्नमेन्ट के सोचने की बात है। एक जगह विरोध हुआ है तो क्या वहां शराब की दुकान बन्द कर दी जावे। यह लोकल ऑप्शन का सवाल है। सारे भारतवर्ष के अन्दर यह सवाल चल रहा है कि जिस इलाके के लोग विरोध करें तो क्या वहां पर शराब की दुकान को बंद कर दिया जाय। जो आल इण्डिया प्रोहिबिशन कमेटी बनी हुई है, वह इस पर विचार कर रही है राजस्थान में भी एक इन्फार्मल प्रोहिबिशन कमेटी बनी हुई है, वह भी इस प्रश्न पर विचार कर रही है। इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट इस प्रश्न पर न आ जाए तब तक इस पर विचार करना या इसको मान लेना संभव नहीं है। इसमें कई दिक्कतें हैं, एक दुकान है उस लोकेलिटी के लोग विरोध करते हैं किन्तु एक बड़े क्षेत्र के लिए है। तो इसमें एक कारण दूरी का भी है। जहां तक रैगरों की कोठी की शराब की दुकान है, वहां पर जो शराब बेची जा रही है, इसके बारे में माननीय सदस्य यह तो जानते ही हैं कि वहां पर तालाबंदी है, शराब की बिक्री उस दुकान से नहीं हो रही है। इस प्रकार उस दुकान से शराब नहीं बिकने से जो आपकी समस्या है वह तो हल हो रही

(श्री चन्दनमल बैद)

है। इसके बाद अगले साल का अनुबन्ध हो रहा है। अगर शराब नहीं बिकेगी तो कोई भी उस दुकान का ठेका नहीं लेने आयेगा.... (शोरगुल) आप मेरी बात तो सुन लें। नहीं सुनेंगे तो फिर जैसा जवाब आपको मिला है वही सुन लें। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा है कि एक सौ और कितनी दुकानें शराब की जयपुर शहर में हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, जयपुर शहर में देशी मदिरा की कुल 11 दुकानें हैं। इसमें जो लिस्ट दी है एक सौ और कितने की (शोरगुल) आप सुन तो लें। आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं और प्रश्न अपनी मर्जी से कर लेते हैं, तो प्रश्न आप कर सकते हैं। (शोरगुल)

श्री मूलचन्द सामरिया : दो सौ मील की दूरी पर....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने जो नोटिफिकेशन निकाला था वह पढ़ कर यहां पर सुना दें....

श्री चन्दनमल बैद : जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें दो सौ. ढाई सौ-मीटर की दूरी का रखा है। इसमें कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कलेक्टर को शिकायत की जावे और यह विश्वास हो जाये कि यह दुकान दो सौ-ढाई सौ मीटर के अन्दर है तो उसको वहां से हटा सकता है। यह अधिकार राजस्थान सरकार के पास नहीं है, उसने यह अधिकार कलेक्टर को दे दिया है। इस बारे में कोई शिकायत हो तो आप यह शिकायत कलेक्टर को करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या........ (शोरगुल)....

नेक्स्ट क्वेश्चन.... (शोरगुल)

(घंटी)

मैं एक प्रश्न के लिए 25 मिनिट से ज्यादा का समय नहीं दे सकता। एक सवाल पर करीब 25 मिनिट हो चुके हैं। मैं अब आगे इस प्रश्न पर इजाजत नहीं दूंगा वाद-विवाद के लिए....

(शोरगुल)

प्लीज सीट डॉउन।

(घंटी) शोरगुल....

एक सवाल पर करीब 25 मिनिट दे चुका हूं और सदस्यों को भी अपने सवाल पूछने हैं। आखिर कितना समय एक प्रश्न के लिए दिया जाये। अब मैं इससे आगे इजाजत नहीं दे सकता।

श्रीमती नगेन्द्र बाला !

सहकारिता मंत्री !

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मूलचन्द सामरिया : ×××

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ×××

श्री अध्यक्ष : और भी माननीय सदस्यों के सवाल हैं, उनको भी मौका देना पड़ेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : सहकारिता मंत्री जी !

कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा किर्लोस्कर एंजिन का भुगतान

121. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद): क्या सहकारिता मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा किर्लोस्कर एंजिन के लिए भुगतान रजिस्टर्ड डीलर को न करके राज्य सरकार के आदेशों के विपरित अनधिकृत डीलर मैसर्स बम्बई मशीनरी स्टोर, कोटा को वर्ष 68-69, 69-70, 70-71 व 71-72 में किये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि काश्तकारों के कोटेशन्स दूसरी फर्म के थे ? और बाद में कोटेशन्स उक्त फर्म के बिना काश्तकार के अधिकार पत्र के बदले गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि फर्म को पम्पसेट की लागत से अधिक धनराशि का भुगतान किया जबकि मूल बिल कम राशि के थे ? यदि हां तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

सहकारिता मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। उप रजिस्ट्रार द्वारा कराई गई जांच में पाये गये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्लासीफीकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है तथा अध्यक्ष एवं अन्य के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 व 36 के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में जी हां, जी हां कहा है। इससे यह मालूम होता है कि उन्होंने यह बात तो स्वीकार कर ली है कि अनियमितता हुई है, मिसयूज हुआ है, दुरुपयोग हुआ है और अब इस पर एक्शन लेने की बात भी उन्होंने यहां पर कही है। मैं मंत्री महोदय से यह निश्चित तौर पर आश्वासन चाहती हूं कि आप इस पर इमीडियेट एक्शन लेने की कृपा करें।

श्री रामनारायण चौधरी : जांच अधिकारी ने उक्त अनियमितता के लिए अध्यक्ष को दोषी ठहराया है। दूसरे जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सी. सी. ए. रूल्स के अधीन आरोप पत्र दिये जा रहे हैं। दूसरे अध्यक्ष को अपदस्थ करने की कार्यवाही भी जारी है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है और अगर टाइमली उत्तर नहीं आया तो अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : यह जांच कब हुई और कितना अर्सा इसको हो चुका है ?

श्री रामनारायण चौधरी : इसको काफी समय निकल चुका है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : कोई निश्चित समय बताइये।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो संभव नहीं है। जांच के पश्चात् दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही जारी

(श्री रामनारायण चौधरी)

है। जो सरकारी अधिकारी हैं उनको चार्जशीट किया जा रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो ठीक है कि आप दोषी अधिकारियों को चार्जशीट दिला रहे हैं। परन्तु चार्जशीट करते करते चार साल निकल जायेंगे। हम तो यह जानना चाहते हैं कि आपकी कार्यवाही कब से प्रारम्भ हुई, कितना समय लगा और अब और कितना समय लगेगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम निवेदन कर दें कि अब तक चार साल तो कार्यवाही करते करते गुजर गये हैं और चार साल बाकी की कार्यवाही में लग जायेंगे? तो क्या यह ठीक है ?

श्री रामनारायण चौधरी : जहां तक अध्यक्ष और जन प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न है राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक को 2-3-74 को पत्र लिखा गया है और उनसे इस सम्बन्ध में राय मांगी गयी है। अगर वह टाइमली आ जायेगी और नहीं आये तो उसकी प्रतीक्षा किए बिना ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। जहां तक राज्य सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सवाल है मैं चाहूंगा कि एक महीने के अन्दर अगली कार्यवाही शुरू कर दी जावे।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : जो परामर्श आपने मांगा है, मेरी जानकारी है, अध्यक्ष महोदय, कि अभी तक इस प्रकार का कोई परामर्श नहीं मांगा गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : गत 2-3-74 को पत्र भेजा गया है। राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक को। यह जरूर गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह।

किशनगढ़ तहसील क्षेत्र में तांबा की खोज

122. श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि एस. डब्ल्यू. आर. सी. तिलोनिया द्वारा खोज कर खनिज विभाग को जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से यह सूचित किया है कि ग्राम रामगढ़, रघुनाथपुरा कल्याणपुरा, तहसील किशनगढ़-अजमेर के समीप भारी मात्रा में तांबा उपलब्ध है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसके सर्वेक्षण एवं खनन के लिए क्या कार्यवाही की है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : जी हां, सूचना दी थी। राज्य के खान एवं भू-विज्ञान विभाग के भू-वैज्ञानिक द्वारा उपरोक्त सूचना का अध्ययन करने पर रामगढ़ के निकट पाई गई चट्टानों में तांबे की उपलब्धि के चिह्न प्राप्त हैं। सन् 1974-75 में विभागीय सर्वेक्षण कार्यक्रम में इस क्षेत्र के विस्तृत जांच करने की योजना रखी है।

श्री प्रतापसिंह : क्या मंत्री महोदय, पाली जिले में भी इस तरह की खोज करके तांबा के पता लगाने की कृपा करेंगे।

श्री जुझारसिंह : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। तांबे की इण्डीकेशन मिली है और इसीलिए अगले साल में इसके सर्वेक्षण का प्रावधान रखा गया है। पाली, सिरोही में सभी जगह सर्वे कर रहे हैं। अभी यह

(श्री जुझारसिंह)
प्रश्न किशनगढ़ से सम्बन्धित है। उनका रिजल्ट आने पर ही आगे कार्य होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल !

रासायनिक खाद की तस्करी

123. श्री मीठालाल (लालसोट) क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में रासायनिक खाद की तस्करी, कालाबाजारी व जमाखोरी के कितने मामले सरकार के पकड़ में आये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त कितने मामलों में सरकार ने अन्तिम निर्णय लेकर दोषी व्यक्तियों को सजा दी है ?

(3) जयपुर जिले के दौसा क्षेत्र में पकड़े गये मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) राजस्थान में वर्ष 73-74 में विभिन्न जिलों में रासायनिक खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी व तस्करी के 60 मामले पकड़े गये। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त मामलों में से 18 मामलों में चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं और उन पर कार्यवाही चालू है। 7 मामलों में सम्बन्धित उर्वरक विक्रेताओं के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (लाइसेन्स) रद्द कर दिये गये हैं तथा शेष 35 मामलों में आवश्यक जांच की जा रही है।

(3) जयपुर जिले में दिनांक 23-12-73 को श्री मोहनलाल घीवाला ग्राम मण्डावरी, तहसील लालसोट के 70 कट्टे यूरिया खाद के अनाधिकृत रूप से जाते हुये दौसा में विभाग के जिला कृषि अधिकारी, जयपुर द्वारा पकड़े गये हैं। उक्त मामलों की दौसा पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज करवा कर पुलिस के माल गोदाम में जमा करवा दिया गया है एवं पुलिस की तफतीश जारी है। पुलिस तफतीश पूर्ण होने पर एस. डी. एम. कोर्ट, दौसा में चालान पेश किया जावेगा।

(कृपया सूची के लिए परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मीठालाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने दो बातें पूछी हैं। एक तो विभिन्न जिलों की सूची है। जैसे सवाई माधोपुर में 12 और उदयपुर में 15 केस अब तक पुलिस में पेण्डिग हैं तो खाद जैसे मामलों में जहां किसानों का भारी नुकसान हो रहा है इसके बारे में काफी तस्करी हुई है। ब्लैक मार्केट हुआ है। अगर पकड़ी गई है तो उसको तत्काल किसानों में वितरण कर दो। उस समय यह कदम उठाते तो किसानों को फायदा होता। यह जो केस पेण्डिग हैं या उच्च अधिकारियों के स्वार्थवश ऐसा हो रहा है, यह देखने की चीज है। इसे कोई देखने के लिए नहीं आता है। लेकिन जो खाद आप कहीं भी जब्त करते हैं तो जो रेट है, उस हिसाब से तत्काल वितरित क्यों नहीं करते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, 60 मामलों की जानकारी दी है। 18

(श्री शिवचरण माथुर)
मामले विचाराधीन है। अभी तक 60 मामलों के रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कैंसिल कर दिये गये हैं। बाकी मामलों में जांच चल रही है। इस बात का मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जो स्थिति प्रस्तुत की गई है, उसके लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाये इसकी मैं स्वयं कोशिश करूंगा।

श्री मीठालाल : यह खाद किस तरह से आती है। व्यापारी ही नहीं, कारखाने भी डायरेक्ट उनको बेचते हैं। जैसे उन्होंने जयपुर के परमिट पर जयपुर से बाहर के परमिट पर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को दिया जिससे कि वह एजेण्ट ब्लैक में बेच सके। इस प्रकार के मामले पकड़ में आये हैं। यह लोग उनमें लिप्त हैं।

श्री शंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, लाईसेंस जप्त कर लिये हैं। लेकिन जो खाद खेत में जानी चाहिए थी, वह वितरित नहीं कर सके। अगर वितरित कर दी जाये तो उत्पादन में वृद्धि होगी।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, यह ब्लैक प्राईवेट डीलर्स से होता है। प्राइवेट डीलर्स सीधे सम्बन्धित हैं। अगर यह ठीक नहीं होता है तो कन्ट्रोल कर दिया जाये।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक बात मैं पूछना चाहता हूं।

श्री शिवचरण माथुर : एक ही पूछियेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक ही पूछूंगा।

70 कट्टे दौसा में पकड़े गये हैं। क्या उनका प्रदर्शन पब्लिकली हुआ। केस किस स्टेज पर है। और यह चालान कब तक पेश कर दिया जायेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उठाया गया है कि कितना उर्वरक कहां से आता है ? मैं निवेदन करूंगा कि श्रीराम फर्टीलाइजर, गुजरात से आता है। और नांगल फर्टीलाइजर से आता है। इस समय इम्पोर्टेड फर्टीलाइजर जितना आता है, वह हमारे जरिये से आता है वह 100% हमारे जरिये से आता है। जितना इम्पोर्टेड है। उनके ब्लैक की कम शिकायतें आती हैं। जो निजी उत्पादन करते हैं, उनकी शिकायतें मिलती हैं। मैंने भारत सरकार को कहा है कि यह जो उर्वरक पैदा होता है, वह भी गवर्नमेन्ट के जरिये से बंटवाया जाये। खासतौर से सहकारी समितियों के जरिये से बंटवाया जाये। भारत सरकार का कहना है कि कुछ पर्सेन्टेज में वह अपने डीलर्स को मुकर्रर करके सीधे दे सकते हैं। हम निरन्तर इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि जितनी खाद बाहर से आती है, प्राइवेट डीलर्स के बजाय गवर्नमेंट के माध्यम से बेची जाये। इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के अन्दर पैदा होने वाली है वह अधिकाधिक एजेन्सी से बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पर्सेन्टेज रह जाता है। उसी में यह दिक्कतें आती हैं। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, कौनसी कोर्ट में मामले चल रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने यह कहा था कि किस स्टेज में है।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने यह निवेदन कर दिया है, यह थाने से तफतीश की जा रही है। अभी तक पुलिस में है। कोर्ट में जाने की तैयारी है।

एक माननीय सदस्य : तफतीश में कितने वर्ष हो गये हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह उचित नहीं समझते हैं कि उर्वरक के वितरण को सरकार अपने हाथ में ले। ज्यूडिसियरी प्रोसीजर में देरी होगी। लेकिन उर्वरक के वितरण को सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं लेती है ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट से यह रेग्यूलेट होता है। कुछ हिस्सा निजी डीलर्स से बंटवाया करते हैं। मैंने यह भारत सरकार से आग्रह किया है कि यह गवर्नमेंट के नॉमीनेटेड डीलर्स के द्वारा बंटवाया जाये। यह प्रयत्न पूरा हो जायेगा तो यह हो जायेगा। सिद्धान्ततः मैं इस बात को मानता हूं। सारा का सारा खाद गवर्नमेण्ट के नॉमीनेटेड को-ऑपरेटिव समितियों के द्वारा बंटवाया जाना चाहिए। वैसे जो निजी क्षेत्रों द्वारा जो उर्वरक वितरित होता है उसी में इस प्रकार की बातें होती है। लेकिन अगर व्यापक तरीके से हम खुद यह कर सकते हैं तो यह नहीं होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्राइवेट डीलर्स ही देते हैं। श्रीराम हमको कहां दे रहा है।

श्री शिवचरण माथुर : 40% हमको देते हैं।

प्रश्न संख्या 124

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारीलाल भार्गव

जयपुर नगर में मनोरंजन कर

125. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार को जयपुर नगर से प्रतिवर्ष कितना मनोरंजन कर किस किस मद से प्राप्त होता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या जयपुर नगर परिषद् को मनोरंजन कर से राशि दी जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ?

(3) क्या जयपुर नगर परिषद् को दी जाने वाली मनोरन्जन कर की राशि बढ़ाने के बारे में सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री वित्त (श्री जुझारसिंह) : (1) राज्य सरकार को जयपुर नगर से, गत तीन वर्षों में विभिन्न मदों से जो मनोरंजन कर की आय प्राप्त हुई है उसकी वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जयपुर नगर परिषद् को मनोरंजन कर के एवज में प्रतिवर्ष

(राज्य मन्त्री वित्त)
3,04,664/- की अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है जो राजस्थान मनोरंजन कर अधिनियम, 1957 की धारा 14 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

(2) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस समय राज्य सरकार ने मनोरंजन कर अपने हाथ में लिया, उस समय मनोरंजन कर की दर क्या थी, वर्तमान में क्या है ? साथ ही 1957 में जयपुर नगर परिषद से मनोरंजन कर को लेकर अपने हाथ में उसकी आय ली उस समय जयपुर में कितने सिनेमा घर थे और अब कितने हैं ? एक प्रश्न.......

श्री चन्दनमल बैद : एक एक प्रश्न पूछिये। इतने प्रश्न एक साथ में मत पूछिये।

श्री अध्यक्ष : नार्मली वन सप्लीमेन्ट्री।

श्री जुझारसिंह . मनोरंजन कर की दर के बारे में निवेदन नहीं कर सकता। जो फैसला उस समय हुआ था, वह 1955-56, 1956-57, 1957-58, तीन वर्ष का जो एवरेज आया था, उसके हिसाब से राशि निर्धारित की गई थी, उसमें से चार पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज काटने के बाद जो रकम बनती थी वह दी जा रही थी और आज तक दी जा रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या यह सही है कि 1957 के बाद में मनोरंजन कर की दस गुनी आमदनी हो गई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 1957 में मनोरंजन कर की दर एक रुपये पर छः पैसे थी, आज वह 65 पैसे है। उस समय सिनेमा घर तीन थे, आज सिनेमा घर नौ हैं। इसके अलावा देखने वालों की संख्या बढ़ गई है। आज आप एक रुपये पर 65 पैसे लेते हैं। एक प्रश्न यह है, दूसरा यह है, आपने उस समय कम आय आंकी, उसके बावजूद भी आय आज काफी बढ़ गई है। आपने जो जयपुर में मनोरंजन कर की आय का चार्ट दिया है, इसमें जो जैमिनी सर्कस पिछले वर्ष में आया था, और जिससे 70 हजार रुपये की आय हुई थी, वह सिनेमाघरों से होने वाली आय के अलावा है, दूसरे एन्टरटेनमेंट के साधनों से होने वाली आय है, क्या वह इसमें शामिल है ?

श्री जुझारसिंह : वह चार्ट आपके पास है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जी हां।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें देख लीजिये।

श्री जुझारसिंह : शामिल है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : देख लिया है। इसमें नहीं है। इसमें सिनेमाघरों से होने वाली आय है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री चन्दनमल बैद : इसमें सिनेमा से प्राप्ति कहां लिखा हुआ है। मनोरंजन कर से प्राप्ति लिखा हुआ है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या यह सही है कि सरकार ने पहले से ही कम आय आंकी है।

श्री चन्दनमल बैद : आपको जब ज्यादा सूचना प्राप्त है तो हमसे क्यों सूचना प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने गलत आंकड़े दिये हैं। आपने पहले ही कम आय आंकी है। उस समय सिनेमाघर कम थे, आज नौ हैं। अब मनोरंजन कर 65 पैसे के हिसाब से लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सीधा सवाल पूछ लीजिये, सरकार की जो मनोरंजन कर से आमद बढ़ी है, क्या उसके हिसाब से म्यूनीसिपैलिटी को देना चाहती है। एक सवाल पूछ लीजिये, आप दस सवाल क्यों पूछते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सरकार को जो एडीशनल आय हुई है, 1957 से लेकर आज तक, जबकि पहले तीन सिनेमा हाल थे आज नौ हैं और मनोरंजन कर की दर भी बढ़ गई है, तो क्या इस हिसाब से जयपुर नगर परिषद् को देना चाहती है ?

श्री चन्दनमल बैद : जितने भी शहर हैं, जिनके सिनेमा हाउस से या दूसरे मनोरंजन से जो कर की आमदनी होती है, उसके सम्बन्ध में इस विधान सभा ने एक कानून पास करके 1957 तक तीन साल के पहले के एवरेज के ऊपर नगर परिषद का हिस्सा तय किया था, लेकिन अभी जब कल जो बजट भाषण आपने सुना, उसके अनुसार अब राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है, पहले जो बंधी हुई रकम थी उसको बढ़ा कर दुगुना कर दिया जायगा। और उसके लिए कानून में आवश्यक तरमीम लाई जा रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह आमदनी शायद 1955 के बाद अब दस गुनी बढ़ गई है। आप यह बता दें कि आमदनी में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह फिगर्स सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह गलत है। सिनेमाहाल से उस समय जितनी आय होती थी, और मनोरंजन कर से जो आय होती थी वह नहीं दर्शायी गई है। यह कौड़ियों के बराबर है। पहले आप तीन लाख देते थे, अब छः लाख देगी, जबकि सिनेमा घरों से कई गुनी अधिक प्राप्त कर लेते हैं। पहले तीन सिनेमा हाल थे, अब नौ सिनेमा हाल हो गये हैं। आप जिस समय सिनेमा देखने जाते थे, उस समय एक रुपये पर छः पैसे मनोरंजन कर लेते थे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब आपके लिए बॉबी को बुलाया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा अन्तिम प्रश्न है। क्या नगर परिषद अध्यक्ष सम्मेलन के अन्दर मनोरंजन कर की आय पूरी म्यूनीसिपैलिटी को देने के बारे में प्रस्ताव पास किया गया है ? क्या राज्य सरकार उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है।

Page No 17

(17)

श्री अध्यक्ष : श्री गोपालसिंह !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। क्या नगर परिषद अध्यक्ष सम्मेलन में····

श्री अध्यक्ष : जवाब में अर्ज कर दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उत्तर नहीं देना चाहते हैं, उत्तर नहीं देंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो बहुत बढ़ी हुई आय है, उस पर राज्य सरकार एन्क्रोचमेंट नहीं कर सकती है। इसके कारण से नगर परिषद् विकास कार्य नहीं कर सकती है। आप तीन लाख देते हैं उससे क्या होगा, जबकि इससे करोड़ों रुपये की आय होती है।

श्री अध्यक्ष : कोई फरदर सप्लीमेन्ट्री हो तो करें। मैंने पहले निवेदन किया था उसके अलावा कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिये। भाषण मत कीजिये।

श्री शंकरसिंह : जितने सवाल पूछने वाले हैं, वह नहीं पूछ पाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपालसिंह ! (शोर-गुल) नेक्स्ट ! नो मोर सप्लीमेन्ट्री !

ग्राम खिरोड़ को खान का ठेका

126. श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्षों सीकर जिले में 'खोरोड़ी' नामक खान का ठेका नहीं देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार के इस आदेश के विरुद्ध नीम-का-थाना के मोदी बन्धुओं ने या किसी अन्य व्यक्ति ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी जो विचार में चल रही थी ?

(3) क्या यह सही है कि आवेदक ने उच्च न्यायालय से याचिका वापिस ले ली और उसके तुरन्त बाद ही राज्य सरकार ने इस खान को दिनांक 27-11-73 को नीम-का-थाना के श्री दीनदयाल अग्रवाल को केवल बीस हजार रुपये पर वाला वाला ठेके पर दे दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह): (1) खिरोड़ खान सीकर जिले में स्थित नहीं है। यह झुंझुनूं जिले में है। राज्य सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया कि उक्त खान किसी को नहीं दी जायगी।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में उक्त खान खिरोड़ क्षेत्र तहसील उदयपुर, जिला झुंझुनूं से सम्बन्धित कोई भी याचिका विचाराधीन नहीं थी अतः याचिका वापिस लेने का प्रश्न नहीं होता।

राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 28-6-73 से मूल पट्टाधारी श्री दीनदयाल पुत्र श्री सीताराम, नीम का थाना को उक्त खनन क्षेत्र के मूल खनन पट्टे को तृतीय नवीनीकरण के रूप में पुनः स्थापित (रेस्टोर) कर खनन पट्टे को रु. 20,000 सालाना स्थिर घटक पर स्वीकृति

(राज्य खनिज मन्त्री)

दी है। यह निर्णय राज्य सरकार ने गत 7 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालयों से प्राप्त स्थगन आदेशों के कारण क्षेत्र खाली रहने से हुई राजस्व की हानि को ध्यान में रख कर तथा उक्त पट्टाधारी के अन्य सम्बन्धियों द्वारा विभाग के विरुद्ध चलाये जा रहे कोर्ट केसेज को समाप्त करने के इकरार प्राप्त करने पर पूर्ण विचार कर निर्णय लिया गया है।

यदि यह लीज प्रारम्भ से ही जारी रही होती तो कितना डेड रेंट नियमानुसार अधिक से अधिक बनता उससे भी लगभग 7 गुना डेड रेंट निर्धारित कर इनसे लिया गया है।

श्री दीपंकर : मेरा एक सप्लीमेन्ट्री है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता महोदय को पूछने दीजिये।

श्री गोपालसिंह : मैं जानना चाहता हूं, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे, आपने इस खान को नीलाम करने के लिए तीन दफा तारीखें निश्चित की है और उस खान का 2 लाख का ऑफर भी किसी ठेकेदार का आया है, कि दो लाख रुपये मैं इसके लिए दे सकता हूँ ? राज्य सरकार को इससे काफी हानि हुई है, डेड रेंट पर देने से, और जिस ठेकेदार में पहले काफी बकाया थी, वह होने के बाद भी उसको हटाया गया, अब फिर काफी समय के बाद उसे वापिस दे दिया गया है--इसका क्या कारण है ?

श्री जुझारसिंह : मूल प्रश्न के उत्तर में जवाब दे दिया है, इस खान का अगर रेगुलर्ली रिन्युअल होता चला आता तो अभी तक जो रेंट ले सकते थे, उसके बजाय उस ठेकेदार से बीस हजार रुपये डेड रेंट ले रहे हैं, जो नार्मल डेड रेंट से सात गुना अधिक है। इसलिए सस्ते दामों में देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भानुकुमार शास्त्री : प्रश्नकर्त्ता का सीधा सवाल है....

श्री गोपालसिंह : मंत्री महोदय यह बतायें कि नीलामी की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या यह सही है कि इस खान के लिए 2 लाख का ऑफर हुआ था ?

श्री जुझारसिंह : जी नहीं, कोई ऑफर नहीं हुआ था।

श्री गोपालसिंह : इसको नीलामी पर क्यों नहीं रखा ?

श्री दीपंकर : मैं इस प्रश्न पर यह पूछना चाहता हूं कि इस खान को नीलामी पर देने के लिए बराबर स्थगन आदेश अदालतों से मिले हैं, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। दूसरे यह खान जिसके पास है, उसने सरकार को जो आमदनी दिखायी है, उससे कहीं अधिक हुई है और उसको बनाये रखने के लिए ही बार बार नीलामी को रोका गया है ? ऐसा ध्यान में आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसका प्रतिरोध किया है ? क्या यह सही है कि रिकार्ड पर यह प्रूफ मौजूद है कि 20 हजार सालाना डेड रेंट पर यह दी गई है, इससे कहीं अधिक देने के लिए दूसरे लोग तैयार थे,

(श्री दीपंकर)
उन्हें नहीं देकर बीस हजार वाले को दी गई है ? इसके पीछे क्या रहस्य है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिस पट्टेधारी ने सरकार को इतना परेशान किया उसे वापिस क्यों दियां गया ?

श्री जुझारसिंह : इस पट्टेधारी को 1953 में सबसे पहले 550 रु. डेड रेंट पर लीज दी गई, 1953 से 1958, पांच साल के लिए यह निर्णय हुआ और सेकिंड रिन्यूअल के ऊपर कुछ इसमें डेड रेंट की रकम बकाया होने के कारण लीज खारिज हुई। इसके बाद सात साल तक स्टे ऑर्डर कोर्ट से चले जा रहे थे। इस दौरान बहुत से लोगों के द्वारा अनुचित रूप से खान से खनिज निकाला जा रहा था इसकी शिकायत बराबर पहुंची है। उसके लिए हमने पुलिस को भी कहा कि किसी तरह से, जो चोरियां हो रही हैं, उनको रोकने की कोशिश करें। लेकिन उन्होंने वहां पर चौकी लगाने के लिए राज्य सरकार से, खान विभाग से कहा कि इस पर होने वाला खर्चा आप भुगतें। वह जो डेड रेंट की रकम बनती है उससे भी ज्यादा होता है। इसलिए सात साल से दूसरा कोई रास्ता नहीं था जिससे किसी तरह उसे एलीनीमेट कर सकें क्योंकि बराबर कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देती। जो ऑफर आयी है, वह 20 हजार से ज्यादा ऑफर नहीं थी, न है। हम 20 हजार डेड रेंट चार्ज कर रहे हैं।

श्री गोपालसिंह : जो सरकार ने बीस हजार की रकम डेड रेंट की रखी है, क्या यह सही है कि अधिकारी और ठेकेदार ने मिल कर यह रखामी है और क्या यह भी सही है कि एक कोर्ट में 90 हजार, दूसरी में 70 हजार इस प्रकार चार-पांच दावे जानबूझ कर उस ठेके को सस्ती रेट पर लेने के लिये किये गये ?

श्री दीपंकर : क्या अदालत से कार्यवाही वापिस लेने के पहले गवर्नमेंट से पार्टी ने कम्प्रोमाइज किया है ?

श्री जुझारसिंह : सस्ते दाम पर देने का तो प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि यह ठेका *पट्टेधारी के पास* था, सिर्फ मेंटर ऑफ रिन्यूअल था, उसमें इतनी रकम देने की जरूरत नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा रकम देनी थी, वह तीन हजार भी नहीं बनती थी, उसके बजाय 20 हजार वसूल की गई है। इसलिए उसके साथ पक्षपात करने का प्रश्न उत्पन्न हीं होता है।........

प्रश्न सं. 127

पंचम् पंचवर्षीय योजना का प्रारूप

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (पाली) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचम पंच वर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने के पूर्व जिला स्तर पर योजना का प्रारूप बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई थी और इस संबंध में किन किन जिला प्रशासन द्वारा सरकार को अपनी योजना कब कब प्रस्तुत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

वित्त मंत्री (श्री चंदनमल बैद) : पंचम पंच वर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने के

(वित्त मन्त्री)

पूर्व जिलास्तर पर योजना का प्रारूप बनाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। फलस्वरूप किसी भी जिले द्वारा सरकार को अपनी योजना प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ऐसी घोषणा की गई थी कि जो योजना वह बनाएगी वह जिला स्तर और उससे पहले पंचायत समिति स्तर पर उसके प्रारूप पर विचार होगा क्योंकि योजना जनता द्वारा बनाई जाए इसलिए पंचायतों से पंचायत समितियों को भेजा जाए और वहां से जिला परिषदों को भेजा जाए और उसके बाद राज्य स्तर पर आए, बाद में प्लान बने ?

श्री चंदनमल बैद : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री शंकरलाल : इस प्रकार की घोषणा की गई थी और आपने न तो पंचायत समितियों की राय ली न जिला परिषदों की राय ली और योजना ऊपर से थोप दी, तो ऐसी योजना जनता द्वारा बनाई हुई कैसे कहलाएगी ?

श्री केदारनाथ : जिला बेसिस पर प्रोजेक्टर फार्म्यूलेशन पर क्या ऐतराज है ताकि लोकल टेक्नीकल इंजनीयर्स को उसमें इन्सैंटिव मिल पाए ?

श्री चंदनमल बैद : प्रश्न ऐतराज का नहीं है। प्रश्न है क्या हुआ ? अभी भी हमने बेसिक मिनीमम नीड्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनको फार्मूलेट करने के लिए सारे जिलों में कमेटियां बना दी हैं और उनमें सदन के माननीय सदस्य हैं। वैसे मिनीमम नीड्स का जितना पैसा आवंटित होगा उसका प्रोग्राम कमेटियां बनायेंगी। जो कुछ प्रोसीजर अपनाया गया उस बारे में मैंने निवेदन किया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले नीचे भेजकर योजना तय की है या तय करके फिर नीचे आएगी ?

श्री चन्दनमल बैद : हमारे पास जो फंड्स होंगे उसके अनुसार मिनीमम प्रोग्राम बनायेंगे।

श्री शंकरलाल : सरकार ने जो प्रारूप बनाया वह किस आधार पर बनाया, किस से राय ली ?

श्री चन्दनमल बैद : राज्य सरकार और भारत सरकार के पास काफी स्टाफ है जिनकी जानकारी के आधार पर प्रारूप बनाया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मिनीमम रिसोर्सिज के आधार पर आपने किया ?

(कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री शंकरलाल : तो हम इसे जनता का प्लान तो नहीं कह सकते।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट— श्री सुरेशचन्द्र !

खाद्य सलाहकार समितियां

128. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह है कि राज्य सरकार ने खाद्य सलाहकार समिति जिला एवं

(श्री सुरेशचन्द्र)
तहसील स्तर पर बनाई हुई है ? यदि हां, तो किस तिथि को इस समितियों का गठन किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इन समितियों की बैठक बुलाए जाने का समय भी निर्धारित कर रखा है ? यदि हां तो कितना समय निर्धारित है ?

(3) राज्य में किस किस जिले में किस किस तहसील में उक्त समितियों की बैठक कब कब हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अनेक तहसीलों व जिलों में इन समितियों की एक भी बैठक नहीं हुई है। यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है तथा क्या राज्य सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

खाद्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां। जिला हेतु निम्नांकित तिथियों को समितियां गठित की गईः— 28-4-64, 10-11-72 व 1-3-73। तहसीलों हेतु निम्नांकित तिथियों को समितियां गठित की गई :—10-11-72 व 1-3-73।

(2) जी हां। जिला स्तरीय समितियों की सर्वप्रथम एक पखवाड़े में बैठक बुलाना अनिवार्य था जिसे बाद में पखवाड़े के बजाय एक माह निश्चित किया गया। तहसील स्तरीय समिति की बैठकें प्रति पखवाड़े होना निश्चित है।

(3) सूचना जिलों से एकत्र की जा रही है।

(4) सूचना एकत्रित की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर ही कोई कार्यवाही की जाने बाबत निश्चय किया जा सकेगा। इन समितियों की बैठकें प्रति माह नियमित रूप से बुलाने एवं राज्य सरकार को सूचित करने के निर्देश दिनांक 11-3-74 को पुनः प्रसारित कर दिए हैं।

श्री सुरेशचन्द्र : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने प्रश्न नं. 3 पूछा है—"राज्य में किस किस जिले में किस किस तहसील में उक्त समितियों की बैठक कब कब हुई ?" मंत्री महोदय ने फरमाया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यही तो मुख्य प्रश्न था। आपने जिला व तहसील स्तर पर बना दीं लेकिन कमेटियां बनाने का फायदा क्या जब मीटिंग्स नहीं बुलाते ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री रघुनाथ विश्नोई : वास्तविकता यह है कि मीटिंग नहीं बुलाते हैं। इसलिए समस्याओं का समाधान नहीं होता।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या इस बारे में सारे राजस्थान में पिछले 3-4 महीनों से लगातार समितियों की बैठकें नहीं बुलाई जा रही हैं तो क्या राज्य सरकार जिन जिलाधीशों ने इन समितियों की बैठकें नहीं बुलाई हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री शंकरसिंह रावत : क्या समितियों की कब कब बैठकें बुलाई गई, सरकार के पास ऐसी सूचना आई ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने प्रश्न 3 के उत्तर में निवेदन किया कि सूचना सारे

(श्री शिवचरण माथुर)
जिलों से एकत्रित की जा रही है। एकत्रित होने के बाद जवाब दिया जा सकता है इसलिए....

श्री मीठालाल : तहसीलों से हर बार जिलाधीशों को सूचना आती है कि मीटिंग बुलाई या नहीं।

(कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री श्रीराम गोटेवाला : महीने भर में एक मीटिंग बुलाने का सदन को आश्वासन दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सूचना किस लिए एकत्रित करना चाहते हैं, एकत्रित नहीं हुई तो प्रश्न स्थगित किया जाए।

श्री शिवचरण माथुर : भले स्थगित कर दिया जाए लेकिन मैंने 5-3-74 को ही, जब खाद्य पर बहस हुई थी तब माननीय सदस्यों ने इस बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की थी और कहा था कि इन समितियों की बैठक बुलाई जाए। मैं यह मानने के लिए तत्पर हूँ कि मीटिंग्स बुलाई नहीं जाती, उसी आधार पर मैंने आदेश दिया और पूछा है कि मीटिंग्स क्यों नहीं बुलाई जाती और उसके क्या कारण हैं। भविष्य में निश्चित रूप से हर महीने इन समितियों की बैठकें होंगी। 5 तारीख के बाद 6 को मैंने आदेश दिया, 4 छुट्टियां होने के कारण आदेश भेजा नहीं जा सका। मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता से अपने आप को भी शामिल करता हूं कि सरकार ने जो समितियां बनाई हैं उनकी बैठकें निश्चित अवधि में होनी चाहिए। इस पर हम बहुत प्रेस कर रहे हैं कि मीटिंगें बुलाई जायं। आगे से उनको यह भी सूचित किया गया है कि पूरी जानकारी दें कि आदेश के अनुसार मीटिंग्स उन्होंने बुलाई और क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई ? यह जानकारी यहां पर आएगी जिसको हम अपनी लेविल पर कम्पाइल करेंगे।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री विजयसिंह : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री सुरेशचन्द : प्रश्न को स्थगित किया जाए। क्या यह सही है कि अधिकारियों को पता ही नहीं कि इस प्रकार की समिति जिले में बनी हुई है ? एस. डी. ओ., कोटपूतली को मालूम ही नहीं कि कोई खाद्य सलाहकार कमेटी बनी हुई है। आप जिला अधिकारियों को बतायें कि कमेटियां सरकार ने बनाई हैं।

श्री शंकरसिंह रावत : मंत्री महोदय उत्तर देते हैं कि मीटिंग्स नहीं होती हैं। सदन पूछने को तत्पर है, उनको मालूम है कि खाद्य समस्या हल करने जा रहे हैं, समितियों की मीटिंग्स नहीं होती इसलिए स्वयं खाद्य मंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : यही तो मैंने निवेदन किया कि खाद्य समस्या पर जब बहस हुई थी यह सवाल दोनों तरफ से उठाया गया था कि इन समितियों की बैठकें नहीं बुलाई जाती, उसी दिन मैंने आदेश दिए लेकिन 4 दिन छुट्टी होने की वजह से वे प्रसारित नहीं हो सके। 11-3-74 को

(श्री शिवचरण माथुर)
दुबारा जिलाधीशों को लिखा है कि सरकार के आदेशानुसार नियमित समय पर बैठकें बुलाई जायं और प्रोसीडिंग्स यहां पर भेजी जायं ताकि अपने स्तर पर हम उसको कम्पाइल कर सकें।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। एक एक होकर बोलें।

श्री शंकरलाल : जब समितियां बनाई गई थीं उस समय जो आदेश सरकार ने दिए वह थे कि कम से कम महीने में दो बार बैठकें होनी चाहिए और जब यह डायरेक्शन सरकार का था तब वापस याद दिलाने और पूछने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने आपका आदेश नहीं माना तो उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाए।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह तो सही नहीं है कि खाद्य सलाहकार समिति की मीटिंग इसलिए नहीं बुलाई जाती है कि जो खाद्य विभाग के अधिकारी है और वह जमाखोर लोग जो है वह आपस में मिले हुए है और अगर वह खाद्य सलाहकार समिति की मीटिंग बुलाते है तो उन्हे भय है कि कहीं उनकी कलई नहीं खुल जाय और कहीं उनके खिलाफ ही कार्यवाही नहीं हो जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से इस बारे में कुछ निवेदन है वह यह हैं कि क्या यह मन्त्री महोदय की कही जानकारी में तो नहीं है कि खाद्य सलाहकार समितियों की बैठक नहीं बुलाई जा रही हैं। इसलिए वह उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी एक बात हो सकती है कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ही खराब है इसलिए खाद्य सलाहकार समितियों की मीटिंग्ज नहीं बुलाई जा रही है। वैसे जब राज्य सरकार ने जिला स्तर पर समितियां बनादी है तो क्या कारण हैं कि उनकी मीटिंग्ज नहीं बुलाई जाय और अगर बुलाई गई है तो उनकी प्रोसीडिंग क्या हुई उसकी जानकारी करने का कर्त्तव्य भी राज्य सरकार का हो जाता हैं। उन्हें प्रोसिडिंग्ज में हुआ चैक अप करना चाहिये ताकि वहां जो बहस होती है उसकी जानकारी मन्त्री महोदय को रहे और जिला स्तर पर जो कार्यवाही हो उनकी पकड़ मन्त्री महोदय के हाथ में रहे। आज आपने राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट-वाइज खाद्य सलाहकार समितियां बनाई है उसके लिए राज्य सरकार ने क्या यह जानकारी की कि वहां पर इन समितियों ने आज दिन तक क्या कार्यवाही की और उनकी मीटिंग्ज अगर नहीं बुलाई गई तो क्यों नहीं बुलाई गई अगर जिन्होंने ने नहीं बुलाई उनके खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये और अगर नहीं उठाये तो क्या राज्य सरकार भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए कदम उठायेगी। आखिर आप राजस्थान के केन्द्र जयपुर में बैठकर आपकी नोलेज में यह सही रहना चाहिये कि जिला वाइज कमेटियां जो बनाई गई हैं वह किस ढंग से काम कर रही है। अगर वास्तविकता में राज्य सरकार चाहती

(श्री लक्ष्मणसिंह)
हो कि इन कमेटियों द्वारा कार्य किया जाय इन सभी बातों को पता लगाना चाहिये और अगर बेकार में सिर्फ नाम घोषित करने के बहाने ही आपने कमेटियां बनाई हो तो फिर इन कमेटियों को वाइन्ड अप कर देना चाहिए ताकि जनता को भ्रम नहीं रहे । मैं इसकी जानकारी चाहूंगा ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मै एक बात मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय मैं मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय दूसरी स्टेटस में जिस तरह से स्टेट लेवल पर सलाहकार समितियां समितियां बनाई गई है उसी तरह आप यहां पर भी स्टेट लेवल पर कमेटीज क्यों नहीं बना देते ताकि आपको पूरे स्टेट की ओवर हाल पिक्चर मिल जाये । उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या हो रहा वह जानकारी भी मिलती रहेगी ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, गत सत्र में भी मुख्यमन्त्री जी ने व खाद्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि आईन्दा अब भविष्य में बराबर इसकी मीटिंग्ज होती रहेंगी । लेकिन अभी यह दूसरा सत्र आ गया है पर उन कमेटीज की मीटिंग्ज नहीं हुई तो क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध एक्शन लेने को तैयार है जिन्होंने कि कमेटी की मीटिंग्ज नहीं बुलाई और अभी इस प्रश्न का आप डेफर कर दीजिए और उन जिलाधीशों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दे दे । अगर आप ऐसे आदेश नहीं देते है तो इससे दो इनफरेन्स निकल सकते हैं पहला तो यह हैं कि आपने जो यह समितियां बनाई थी वह सिर्फ इस हाउस के कन्जम्पशन के लिए बनाई गई थीं और दूसरी तरफ आपने उन जिलाधीशों को सीक्रेट इन्स्ट्रक्शन्स दे दिए थे कि इनकी मीटिंग्ज नहीं बुलाई जाए । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय कि इस प्रश्न को अभी डेफर किया जाय, स्थगित कर दिया जाय और इस बीच में यह पता लगाया जाय कि कहाँ कहाँ पर इनकी मीटिंग्ज नहीं बुलाई गई और नहीं बुलाई गई तो इसके कारण क्या थे । और जब सारी सूचना आ जाए तो इसका उत्तर सदन में दिलाया जाय । इसका जवाब चाहते हैं हम ।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आपने सुन लिया ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, यह खाद्य सलाहकार समितियां सभी स्टेटस में स्थापित की गई है जैसा कि प्रोफेसर केदारनाथ ने अभी बताया है तो यहां भी स्टेट लेवल पर ऐसी कमेटी क्यों नही बनाई जाती है ।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो समितियां बनाई गई हैं उनके नहीं बुलाने का कहीं यह तो अर्थ नहीं कि अगर इन समितियों की बैंठक बुलाई जायेगी तो उसमें जनता के चुने हुये प्रतिनिधि भाग लेंगे और इससे जो जिला अधिकारियों ने इस में गड़बड़ कर रखी है उसकी पोल खुल जायेगी इसलिए नहीं बुलाई जा रही है । हो सकता है कि इन बैठकों के बुलाने से

(श्री विजयसिंह)
चूंकि इसमें एम. एल. एज. और प्रधान वगैरहा शामिल है उनकी गलतियां के बारे में पूछताछ करें ।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्य मेरी सुने । मैने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि मैंने 11-3-74 को ही आदेश दे दिए थे कि इसकी पूरी जानकारी मुझे दी जाय और भविष्य के लिए इन्सट्रक्शनस दे दिए है कि इन मीटिंग्ज की जो प्रोसीडिंग्ज हो वह मेरे पास भेजी जाय और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । यह 11 तारीख को इसलिए किया गया कि तारीख 5-3-74 को यहां पर सदन में माननीय सदस्यों ने इस बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की थी । मैंने चूंकि 7,8,9, 10 को छुट्टी थी 11 तारीख को यहां से आदेश भिजवा दिये थे वैसे मैंने फाइल पर 6 तारीख को ही ऑर्डर कर दिये थे । इसमें कहा गया है कि एक महीने में एक बार खाद्य सलाहकार समिति की जिला स्तर पर बैठक बुलाई जानी चाहिये और उसकी प्रोसीडिंग्ज जो भी हो, मुझे यहां पर भेजी जाये । और जो नहीं भेजेगा उनके खिलाफ में एक्शन लिया जायेगा । अब मूल प्रश्न के भाग तीसरे की चूंकि सूचना नहीं आयी है इस लिये अभी मैं उसकी पूरी जानकारी नहीं दे सकता । इसलिये अध्यक्ष महोदय....

श्री सुरेशचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, बैस्ट तो यह रहेगा कि इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दिया जाय और सूचना आने पर इसका सदन में जवाब दिलाया जाय ।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न इसके बारे में मन्त्री महोदय से पूछना है ।

श्री शिवचरण माथुर : मुझे तो पहले आप पूरा कर लेने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : why don't you hear him ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप इस प्रश्न को पोस्टपोन क्यों नहीं कर देते हैं ।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय इस बारे में आदेश क्यों नहीं दे रहे है नहीं तो इन्हें वाइन्ड अप कर दीजिये ।

श्री शिवचरण माथुर : आपने पूरा सुना नहीं है मैंने 11-3-74 को ही आदेश दे दिये है राज्य सरकार की इच्छा इन कमेटियों को शक्तिशाली बनाने की है कमजोर बनाने की नहीं । इनको वाइन्ड अप करने की बात ही नहीं है क्योंकि अगर जन प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेगें तो जनता की काफी कठिनाईयों का इससे समाधान हो सकेगा । मूल प्रश्न के तीसरे भाग की जो सूचना है वह सूचना चूंकि अलग अलग जिलों से आने को थी और कुछ जगहों की तो सूचनायें आ गई और कुछ की सूचनायें नहीं आई तो जब वह सूचनायें उपलब्ध होंगी तो उसकी सूचना सदन में दे दी जायेगी । राज्य सरकार का इन्टेन्शन तो यह कि जन प्रतिनिधियों का ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये । अब जो आदेश दिये हैं उसमें जिला अधिकारियों को आदेश दिये हैं कि महीने में एक बार इसकी मीटिंग्ज बुलायी जाय और उस मीटिंग्ज की जो भी प्रोसीडिंग्ज हो वह राज्य सरकार के अवलोकनार्थ भेजी जाय । वैसे आप चाहे तो इस प्रश्न को स्थगित कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अन्य तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम टोचा के निवासियों द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण

124. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम भैंरूपुरा मंजरा टोचा तहसील छीपा बड़ौद जिला कोटा की गोचर भूमि पर पिछले महीनों में ग्राम टोचा के निवासियों ने अतिक्रमण कर लिया था ? यदि हां, तो उन्हें बेदखल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

ग्राम टोचा की 51 बीघा 16 बिस्वा चरागाह भूमि पर पिछले महिनों में (सन् 1973) में 25 व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया था उनके विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज रजिस्टर किये गये व दफा 107 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही भी की गई। इनमें से 16 मामले फैसल हो चुके हैं तथा 9 मामले पेंडिंग है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कताई कार्य

85. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कताई का कार्य किन किन तहसीलों के किन किन स्थानों में कर रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त बोर्ड सन् 74-75 में किन किन तहसीलों के किन किन गांवों में कताई का कार्य हाथ में लेगा और उसके लिये क्या राशि की व्यवस्था करेगा ?

(3) क्या कताई कार्यक्रम में सूत व ऊन दोनों प्रकार का काम लिया जाता है ? इस पर प्रति व्यक्ति क्या मजदूरी मिलती है ?

(4) चर्खों की कीमत क्या दी जाती है और किस प्रकार वसूल की जाती है ?

(5) इस कार्यक्रम व राजस्थान में कितने परिवारों को रोजगार दिया जाता है के आंकड़े तहसील वाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(6) क्या उक्त बोर्ड ने ऊन की बुनाई का कार्य भी चालू किया है ? यदि हां, तो किन किन स्थानों में ?

उत्तर

(1) स्थानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची 'अ')

Page No 27

(२७)

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

(2) वर्ष 74-75 में ऊनी खादी के लिए, खादी कमीशन को 1.55 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। खादी कमीशन द्वारा राशि स्वीकृत की जाने के पश्चात् राशि की सीमा तक सूची 'अ' एवं अन्य गांवों में कताई कार्य हाथ में लिया जा सकेगा।

(3) जी हां।

(4) सूची 'अ' में दर्शाये गये स्थानों पर केवल ऊन कताई होती है। प्रति व्यक्ति (कतवारी) स्वेच्छा से उसके द्वारा काते गये सूत के वास्तविक अंक व तोल के अनुपात में निर्धारित खादी कमीशन की दरों पर पारिश्रमिक राशि देय होती है।

(5) ऊन कताई के पारंपरिक चर्खे की कीमत 22 रुपये से 25 रुपये तक होती है।

(6) अकाल अवधि में खरीदे जाने वाले चर्खों पर कीमत राशि का निर्धारित दर पर रिबेट का लाभ दिया जाकर शेष राशि नगद प्राप्त की जाती है। परिवार इकाई व तहसीलवार रोजगार के आंकड़े एकत्रित नहीं होते हैं अपितु कार्यरत कामगारों की संख्या संकलित की जाती है। बोर्ड तथा उसके द्वारा अनुदानित संस्था/समितियां, दोनों के माध्यम से (ऊनी-सूती) खादी में वर्ष 72-73 में दिये गये रोजगार के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

पूर्ण समय सं.	आंशिक समय सं.	पारिश्रमिक लाख रु.
3416	30997	49-98

जी हां।

[सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (सूची 'ब')]।

(कृपया सूची के लिए परिशिष्ट 5 देखिये)

बीकानेर जिले के काश्तारों को राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा ट्रैक्टरों का अलॉटमेंट

86. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बीकानेर जिले के काश्तकारों को आज तक कुल कितने ट्रेक्टर राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के काश्तकारों को जितना जिले के हिस्से में कोटा आता है उसके अनुसार ट्रेक्टर नहीं दिये गये है? यदि हां, तो जिले का सालाना कितना कोटा होता है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा विधायकों को भी ट्रेक्टर अलॉट किये गये है? यदि हां, तो सरकारी कोटे में से किस किस को कब कब अलॉट किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) निगम द्वारा आज तक बीकानेर जिले में वितरित ट्रैक्टरों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रारम्भ में कुल प्राप्त ट्रेक्टरों की संख्या का 1% बीकानेर जिले में

(कृषि मंत्री)
वितरित किया जाता था एवं ट्रेक्टर कन्ट्रोल ऑर्डर लागू होने के पश्चात जिलेवार आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। सरकारी कोटे में से विधायकों को आवंटित विभिन्न ट्रेक्टरों की सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर जिले में "कासा" एजेन्सी द्वारा काश्तकारों को कुंए बनाने के लिये अनुदान

87. श्री चुनीलाल इंदलिया (नोखा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बीकानेर जिले में कासा ऐजेन्सी द्वारा कितने काश्तकारों के खेतों में सिचाई के कुंए बनने के लिये अनुदान दिया गया? किसान का नाम, गांव, तहसील दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कासा एजेन्सी के द्वारा बीकानेर जिले में प्राथमिक पाठशाला भवन व मिडिल स्कूल भवन आदि बनाने के लिये अनुदान दिया गया है यदि हां, तो किस किस गांव में? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में कासा एजेन्सी के द्वारा स्कूल भवन कुंए आदि बनाने के लिये अनुदान दिया जाने का बजट है? यदि हां, तो क्या सरकार काश्तकारों के कुएं आदि बनाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(स्थगित किया गया)

पशुपालन विभाग का बजट

88. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पशुपालन विभाग का वर्ष 1972-73 से आज तक कितना बजट किस किस मद का क्यों लेप्स हुआ? मद वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) क्या राज्य सरकार उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है जिनकी वजह से उक्त बजट लैप्स हुआ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। लेप्स नहीं हुआ है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

रासायनिक खाद का वितरण

89. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, पदमपुरा जिला गंगानगर क्षेत्र में कितनी सिंचित गेहूं, जौ, चने, सरसों, चारा आदि की रबी की फसल 1974 में बोई गई, और उसके लिए कितने रासायनिक खाद की आवश्यकता थी और कितनी दी गई?

Page No 29

(२९)

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु)

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में रासायनिक खाद की आवश्यकता का 10 प्रतिशत किसानों को सरकार द्वारा वितरण किया गया है।

(3) क्या यह सही है कि वितरण प्रणाली अच्छी न होने के कारण रासायनिक खाद का एक बहुत बड़ा भाग चोर बाजारी में बिका है, और विकास अधिकारी ने अधिकतर खाद अपने ही वर्ग के लोगों को देदी, इसलिए अन्य लोगों को खाद बहुत कम मात्रा में मिल पाई है? क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, क्यों?

(स्थगित किया गया)

राज्य कृषि उद्योग निगम में ट्रैक्टरों के आवंटन हेतु किसानों के विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

90. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के कौन कौन से जिलों के कितने किसानों के प्रार्थना-पत्र किन-किन ट्रैक्टरों हेतु कब-कब से राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम में विचाराधीन हैं?

(2) निगम द्वारा अभी तक किन किन जिलों में कितने-कितने व कौन-कौन से ट्रैक्टरों का आवंटन किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राज्य के जिन-जिन जिलों के किसानों के जिन ट्रेक्टरों के लिये आवेदन पत्र निगम के पास विचाराधीन है, उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर दी गई है।

(2) निगम द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में जिन-जिन मेक के ट्रैक्टरों का अभी तक आवंटन किया गया है उनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर व बालोतरा नगरों से मनोरंजन कर से प्राप्त धनराशि

91. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत पांच वित्तीय वर्षों में बाड़मेर जिले के बाड़मेर और बालोतरा नगर से मनोरंजन कर के रूप में कितनी कितनी धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

गत पांच वित्तीय वर्षों में बाड़मेर जिले के बाड़मेर बालोतरा नगर से 'मनोरंजन कर' के रूप में प्राप्त धन राशि निम्न प्रकार है:—

वर्ष	बाड़मेर राशि (हजारों में)	बालोतरा राशि (हजारों में)
1968-69	55.95	8.85
1969-70	61.89	11.05
1970-71	55.63	9.66
1971-72	60.48	9.97
1972-73	79.62	11.68

जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में पेयजल हेतु धनराशि

92. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वित्तीय वर्ष 1972-73 और 1973-74 में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कितनी धनराशि क्रमशः स्वीकृत की गई और उसमें से कितनी व्यय होने का अनुमान है ? कृपया उपरोक्त स्थानों के नाम एवं स्वीकृत और अनुमानित व्यय धनराशि की तादाद जिस सिद्धान्त पर उपरोक्त धनराशि का विभिन्न स्थानों के लिए आवंटन किया गया का उल्लेख करते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें:—

(2) क्या आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के मोहल्ले भी जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के न हो, उपरोक्त कार्य के लिए सम्मिलित किये गये हैं ? यदि हां, तो उनके इस श्रेणी में मानने का क्या मापदण्ड है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 1972-73 में जोधपुर नगर के विभिन्न अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मोहल्लों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 62,800 रुपये के एस्टीमेट्स सिफारिश कर आपके विभाग को भेजे उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) वित्तीय वर्ष 1974-75 में उपरोक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान है और उसमें से जोधपुर नगर को जिसमें लगभग 1 लाख अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति रहते हैं, कितनी धनराशि आवंटित की जायेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं केवल दिनांक 2-3-74 को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1973-74 में आवटित 30,000 रु. में से इन प्रस्तावों के अनुसार जितना कार्य किया जा सके करने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं।

(4) वर्ष 1974-75 का योजनावार आवंटन अभी नहीं किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गंगानगर शुगर मिल द्वारा संचालित शराब के ठेके

93. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गंगानगर शुगर मिल द्वारा राजस्थान में कहां कहां और कितने शराब के ठेके चलाये जा रहे हैं ? उनमें से कितने ऐसे ठेके हैं जिनमें शराब में पानी मिलाया जाता है और उनके विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा किस-किस का कब चालान किया गया ?

उत्तर

गंगानगर शुगर मिल्स, गंगानगर जिले की नोहर और सूरतगढ़ तहसीलों को छोड़

(आबकारी मंत्री)
शेष जिले में शराब की दुकानें चलाता है। शराब में पानी मिलाने की शिकायत सरकार के सामने नहीं आई।

जोधपुर नगर में पेयजल हेतु धनराशि का आवंटन

94. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदार पुरा, जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर में पेयजल के नलों के सुधार (इम्प्रूवमेंट ऑफ मेन्स) के सम्बन्ध के कितनी धनराशि के एस्टीमेट्स कितने समय से पर्याप्त साधन की उपलब्धि के अभाव से कार्यान्वित नहीं हो सके ? कृपया उनकी पूर्ण सूची मय बनाने के दिनांक के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर में पेयजल उपलब्ध कराने की वर्तमान पुनर्गठन की परियोजना में उपरोक्त कार्य के लिए कोई प्रावधान नहीं है ? यदि हां, तो उपरोक्त एस्टीमेट्स को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि कब तक प्रदान कर देंगे एवं उसमें वित्तीय वर्ष 1974-75 में कितनी धनराशि आवन्टन की जायेगी ?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर में पेयजल के नलों के सुधार (इम्प्रूवमेंट ऑफ मैन्स) के सम्बन्ध में रुपये 1,18,352/- के तकमीने करीब दो वर्ष से अपर्याप्त उपलब्धियों के कारण कार्यान्वित नहीं हो सके जिसकी सूची संलग्न की जा रही है।

(2) जी नहीं, जोधपुर की द्वितीय पुनर्गठन योजना में पाइप लाईन बिछाने का प्रावधान है। इसी योजनान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही धन उपलब्धि के अनुसार की जावेगी।

(कृपया सूची के लिए परिशिष्ट 6 देखिए)

भारत-पाक युद्ध के समय फसलों को हानि का मुआवजा

95. श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भारत-पाक युद्ध के समय सीमा क्षेत्रों के प्रभावित किसानों को फसलों का क्षतिपूर्ति मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो गंगानगर जिले में कुल कितने किसानों की कितनी फसल प्रभावित हुई और क्षतिपूर्ति मुआवजे की कितनी राशि आंकी गई है ? क्या इस राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

यह सही है कि भारत सरकार द्वारा भारत पाक युद्ध के समय सीमा क्षेत्रों के प्रभावित किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था।

गंगानगर जिले में कुल 21,282 किसानों की 83,302-10 एवं 59,727-01 बीघा क्रमशः खरीफ एवं रबी की फसल प्रभावित हुई जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए 2,55,99,650/-रु. की राशि मुआवजे के लिए आंकी गई है।

(पुनर्वास मंत्री)

उपरोक्त 21,282 व्यक्तियों में से सिर्फ 223 व्यक्तियों को ही अभी 2,04,220/-रु. वितरण किया गया है बाकी को भारत सरकार से मंजूरी आने पर सहायता दी जायेगी। इस विषय पर भारत सरकार से अभी तक यह राशि मंजूर होकर नहीं आई है तथा विभाग द्वारा उनसे लिखा पढ़ी हो रही है।

वन अधिकारी लालसोट द्वारा वन रक्षकों के स्थानान्तरण

96. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, लालसोट (जयपुर) ने कुछ माह पूर्व एक आदेश द्वारा अपने वन क्षेत्र के लगभग सोलह वन रक्षकों के स्थानान्तरण किये थे ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के पश्चात् मण्डल वन अधिकारी, जयपुर ने दिनांक 6-6-73 को एक आदेश द्वारा उक्त सारे स्थानान्तरण यह लिखकर रद्द कर दिये कि जिन वन रक्षकों को उनके स्थान पर दो साल से कम समय कार्यभार सम्भालें हुआ है, उनका किसी का भी स्थानान्तरण न किया जावे ?

(ग) क्या यह सही है कि वन मण्डल अधिकारी के स्थानान्तरण का आदेश होने के कुछ दिन पश्चात् ही क्षेत्रीय वन अधिकारी ने पुनः पूर्व आदेश को ही वन मण्डल अधिकारी, के आदेश की अवहेलना कर कार्यान्वित कर दिया ?

(घ) क्या यह सही है कि तत्पश्चात् क्षेत्रीय वन अधिकारी ने दिनांक 8-8-73 को एक अन्य आदेश निकाल कर पूर्व आदेश में संशोधन कर चार वनरक्षकों के स्थानान्तरण कर दिये ?

(ङ) क्या राज्य सरकार सारे आदेशों को रद्द कर मामले की उचित जांच करा कर दोनों अधिकारियों को दण्ड देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं। दिनांक 6-6-73 के आदेश में दो वर्ष से अधिक एक स्थान पर रहने वाले वन रक्षकों के स्थानान्तरण करने के निर्देश थे। इस आदेश से कोई स्थानान्तरण आदेश निरस्त नहीं किए गए।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं। क्षेत्रीय वन अधिकारी, जयपुर द्वारा जिन वन रक्षकों के स्थानान्तरण किए गए हैं उन्हें भारमुक्त करने के निर्देश क्षेत्रीय वन अधिकारी ने दिनांक 8-8-73 के आदेश से दिए थे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर जिले की तहसीलों का पुनर्गठन

97. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की जनसंख्या को देखते हुए राज्य सरकार तहसीलों का पुनर्गठन करने का विचार

(श्री हनुमान सहाय व्यास)
रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि सीकर जिले के रायपुरा जागीर, टटेरा, अजमेरी, किशोरपुरा, सीकर, अजीतगढ़ आदि ग्राम जो कि जयपुर जिले के शाहपुर, से दस मील के अन्दर हैं की जनता तहसील विराटनगर (बैराठ) में सम्मिलित होने को इच्छुक है? यदि हां, तो राज्य सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

(3) क्या यह सही कि राज्य सरकार के पास चौमू. शाहपुरा, मनोहरपुर में नवीन तहसील कायम किये जाने हेतु सरकार के पास काफी समय से जनता की मांग पैंडिग है ? यदि हां, तो इस पर सरकार कब तक निर्णय करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार पंचायत समिति वाइज तहसील मुख्यालय स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसीलों के पुनर्गठन पर विचार करने हेतु एक आयोग गठित किये जाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) जी हां। मामलों का परीक्षण किया जा रहा है।

(4) ऐसा कोई प्रश्न राज्य के विचाराधीन नहीं है। इस प्रकार के मामले देखने हेतु अयोग के गठन करने का विचार राज्य के विचाराधीन है।

भाखरा नहर परियोजना में खिदमतगारों को माफी भूमि पर खातेदारी अधिकार

98. श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र में खिदमतगारों को काफी भूमि पर खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो नोहर उप-खण्ड में कुल कितने खिदमतगार (नाई, कोटवाल) हैं और इनमें से अब तक कितने माफीदारों को खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं तथा शेष को कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

जी हां, उप-खण्ड नोहर में 520 खिदमतगार (नाई, कोटवाल) थे, जिनमें से 189 खिदमतगारों ने आवेदन पत्र ही प्रस्तुत नहीं किये। जिन खिदमतगारों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जिनमें से 125 को खातेदारी अधिकार दे दिये, 18 आवेदन-पत्र खारिज कर दिये तथा 188 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं जिन पर जल्द ही नियमानुसार निर्णय ले लिया जायगा।

बीकानेर जिले में गाड़िया लोहारों की बस्तियों का निर्माण

99. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में गाड़िया लोहारों को बसाने के लिये महाराणा प्रताप बस्ती व अन्य बस्तियां

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
बसाने का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कुल कितने परिवारों के लिये मकान बनाये गये और इनको कितनी धनराशि पर परिवार सब-सिडी व कितना ऋण दिया गया ? परिवारों के मुखियों के नाम व धनराशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि गाड़िया लोहार अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके ब्याज व कर्जा माफ करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम श्री कोलायतजी में श्री मोती नाथ जी के धोरे पर साधुओं का मकान

100. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, ग्राम कोलायतजी में श्री मोतीनाथ जी के धोरे पर साधुओं के एक रहने का काफी लम्बे अर्से से एक काफी बड़ा मकान है ?

(2) क्या यह सही है कि इस मकान में मेले के अवसर पर हजारों की तादाद में साधु रहते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस धोरा व मकान के पीछे काफी बीघा भूमि सरकार द्वारा पड़त छोड़ रखी है ? यदि हां, तो कब से और कितने बीघा भूमि है ?

(4) क्या यह सही है कि वन विभाग ने इस धोरे व साधुओं के मकान के चारों तरफ तार बन्धी नाजायज ढंग से कर रखी है ? जिसमें साधु समाज के सन्तों को आने जाने नहीं दिया जाता है, जिससे साधु समाज में असन्तोष व निराशा फैली हुई है ? क्या सरकार वन विभाग द्वारा किये गये नाजायज कब्जे को हटाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है।

(2) इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है।

(3) इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है।

(4) जी नहीं। नाजायज तार बंदी नहीं की गई है। वन विभाग को जिलाधीश बीकानेर के आदेश से खसरा नं. 30 की 1454 बीघा 7 बिस्वा से वन विकास कार्यों हेतु दी गई थी। वन विभाग को दी गई भूमि पर 1972-73 में तारबन्दी की हुई है जिसमें बिना अनुमती किसी को नही जाने दिया जाता। साधु समाज में असंतोष व निराशा फैलने की जानकारी इस विभाग को नहीं है क्योंकि इस प्रकार की कोई आपत्ति स्थानीय वन अधिकारियों को अब तक नहीं की गई।

पंचायत समिति रियां द्वारा ऋण की वसूली के नोटिस

101. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रियां बड़ी, जिला नागौर द्वारा पन्नाराम पुत्र हीराराम, भगताराम पुत्र रामाराम व हरजीराम पुत्र रामाराम गांव लाड़पुरा तहसील डेगाना को ऋण की वसूली के सम्बन्ध के नोटिस दिए गए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्तियों ने पंचायत समिति को यह सूचित किया था कि उन्होंने ऋण नहीं लिया था ? यदि हां, तो पंचायत समिति द्वारा न्यायालय में कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की नकल की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पंचायत समिति द्वारा न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई। सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा मामला न्यायालय में उठाया गया। न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बून्दी की नगरपालिकाओं द्वारा अनुसूचित जाती परिवारों को भू-खन्डों का आवंटन

102. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या स्वायत् शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बून्दी को किन-किन नगरपालिकाओं में 1969 से 1973 तक कितने भूखन्ड आवंटित किए गए ? नगरपालिकावाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बूंदी जिले की समस्त नगरपालिकाओं ने जितने भूखन्ड आवंटित किए उनमें अनुसूचित जातीय परिवारों को कितने भूखन्ड आवंटित किये ? नगरपालिका-वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन पालिकाओं ने हरिजनों को अब तक भूखन्ड आवंटित नहीं किये उसका क्या कारण है और क्या अब भूखन्ड आवंटन किये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

जिला झालावाड़ में क्रेस प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्यों पर खर्च

103. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला झालावाड़ में क्रेस प्रोग्राम के अन्तर्गत सन् 73-74 में कितना-कितना रुपया किस-किस जगह किस-किस कार्य पर खर्च हुआ है ? कृपया 28 फरवरी,

Page No 36

(36)

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
1974 तक की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत तामखेड़ा का। मुख्यालय

104. श्री शिवनारायण (बारां)—**श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत तामखेड़ा का मुख्यालय ग्राम बम्बूलिया कलां में परिवर्तित करने हेतु विभाग में कार्यवाही चल रही है? यदि हां, तो परिवर्तन कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

जी, हां, जिलाधीश से सूचना एवं टिप्पणी मांगी गई है। सूचना आने पर निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

बन्दीगृहों में सजाएं काट रहे बन्दी

105. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने प्रकार के बन्दीगृह है?

(2) वर्तमान में कितने कितने बन्दी विभिन्न बन्दीगृहों में सजाएं काट रहे हैं? सूची बन्दीगृह-वार सदन की मेज पर रखें।

(3) इनमें से कितने-कितने बन्दी दस साल या इससे अधिक की सजा पा चुके हैं तथा उन्हें सरकार ने भविष्य में अच्छे नागरिक बनाने के सम्बन्ध में क्या-क्या मदद की?

(4) प्रत्येक श्रेणी के बन्दी पर सरकार क्या रोजाना खर्च कर रही है? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या श्रेणियों का निर्धारण किसी आधार पर किया हुआ है? यदि हां, तो वह आधार क्या है?

(6) क्या राज्य में खुली जेलें (बन्दीगृह) हैं? यदि हां, तो कितनी, कहां कहां और उनमें कितने बन्दी रहते हैं?

(7) क्या किसी बन्दी को छुट्टी लेकर घर जाने की व्यवस्था भी है? यदि हां, तो कैसे-कैसे बन्दी को व किन-किन कारणों से?

(8) क्या इस व्यवस्था का लाभ हर श्रेणी के बन्दी उठा सकते हैं? यदि हां, तो कैसे? यदि नहीं तो क्यों?

(9) गत दस वर्षों में कितने बंदियों की बन्दीगृहों में मृत्यु हुई? उनके क्या क्या कारण थे?

(10) क्या सरकार पीड़ित अवस्था में हर बन्दी पर स्वास्थ्य लाभ हेतु आवश्यकतानुसार खर्चा कर पूरी-पूरी सुविधाएं प्रदान करती है? यदि हां, तो गत दस वर्षों में विभिन्न बन्दीगृहों में सरकार द्वारा चिकित्सा पर कितना व्यय

(श्री मूलचन्द सामरिया)
हुआ ? कृपया विवरण वर्ष वार व जिले वार सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायत 39 आर. बी. के पंचायत केन्द्र पर सहकारी समिति

106. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत 39 आर. बी. के पंचायत केन्द्र पर कोई सहकारी समिति नहीं है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत क्षेत्र में एक उपभोक्ता भण्डार खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किया गया था मगर इस बहाने कि गांव की आबादी कम है इसलिए उपभोक्ता भण्डार नहीं खोला गया ?

(ग) क्या यह सही है कि चक 19 जो की आबादी चक 39 आर. बी. से कम है और वहां कोई पंचायत केन्द्र भी नहीं है फिर भी वहां उपभोक्ता भण्डार सहकारी विभाग द्वारा मंजूर किया गया ?

(घ) क्या सरकार पंचायत के केन्द्रीय स्थान पर सहकारी विभाग द्वारा उपभोक्ता भण्डार नहीं खोलना चाहती ? यदि नहीं, तो किस आधार पर ?

उत्तर

(क) जी नहीं। 41 आर. बी. में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. का कार्य क्षे 39 आर. बी. तक है।

(ख) जी हां। तकनीकी खामियों के कारण उक्त भण्डार पंजिकृत नहीं हुआ एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ही समिति रखी गई जो उपभोक्ताओं की पूर्ति करती है।

(ग) जी हां। उक्त भण्डार 19 ओ. में वर्तमान में समितियों की गठन नीति के पूर्व में पंजिकृत हुआ जिसे भी अवसायन में लाया जा रहा है।

(घ) जी नहीं। पृथक् से उपभोक्त भण्डार नहीं खोले जाते बल्कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया है जिनका मुख्यालय केन्द्रीय स्थान पर होता है जो उप-नियमानुसार उपभोक्ताओं में नियंत्रित वस्तुओं का वितरण क्षेत्रीय क्रय विक्रय समिति से प्राप्त कर, करती है।

चांदी की टकसाल रामजी का घेर जयपुर की आबादी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

107. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चांदी की टकसाल रामजी का घेर जयपुर की आबादी के बीच की भूमि को श्री भोलानाथ पुत्र श्री रामविजय ने अनाधिकृत अपनी बना रखी है और इस चौक के आजू-बाजू रहने वाले गरीब आदमियों पर झूठे दावे कर रखे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जयपुर नगर परिषद क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

नगर परिषद, जयपुर द्वारा मौके पर प्राप्त जानकारी के अनुसार चान्दी की

Page No 38

(38)

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

टकसाल रामजी का घेर में श्री भोलानाथ पुत्र श्री रामकिशन नाम का कोई व्यक्ति नहीं बताया गया, जो घेर की जमीन को अपनी बताता हो।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री व गुमानमल लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से हायर सेकेन्डरी स्कूल, भैंसरोड़गढ़, जिला चित्तौड़ के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री प्रकाशचन्द सुखवाल की रावतभाटा डेम के लिये किनारे पर की गई हत्या के विषय में इस प्रश्न पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से—

(1) जयपुर शहर में राशन का गेहूं तथा मिट्टी का तेल उपलब्ध न होने के विषय में। सदन में इस प्रश्न पर पूर्व में विस्तृत चर्चा हो हो चुकी है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(2) जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों के मकानों पर पानी का कनेक्शन न देने के संबंध में।

(3) सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, केदार नाथ, निरन्जननाथ आचार्य व गुरुदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से 25 मार्च, 1970 को विधान सभा में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री द्वारा किसान आन्दोलन की मांगों के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में। यह प्रश्न हाल की किसी घटना से सम्बन्धित नहीं है।

(4) श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से—

(1) दौसा कॉलिज में पूरक परीक्षा केन्द्र प्रारम्भ न करने के विषय में

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, दौसा में अगस्त, 1973 में निर्वाचित एक सदस्य को कार्यवाही में भाग न लेने देने के सम्बन्ध में।

(5) श्री केसरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा के सिंचाई विभाग के 1100 श्रमिकों की छंटनी के विषय में।

(6) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने पूर्व में अलवर में 2 मार्च, 1974 को राजस्थान बन्द के दिन पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

ये सब विषय अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं और माननीय सदस्य चाहे तो बजट पर आज से हो रही सामान्य चर्चा के दौरान इन्हें उठा सकते है अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्रनाथ हांडा, मोहम्मद गफ्फार अली, व केशरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से भूतपूर्व जागीरदार मामोद रावल

(श्री अध्यक्ष)
श्री राजेश्वरसिंह की सीलिंग के तहत एक-वायर की गई भूमि पर अभी तक कब्जा न लेने के सम्बन्ध में। इस प्रश्न पर कल ही सदन में प्रश्न काल के दौरान चर्चा हो चुकी है और यह अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं है। अतः इसे में स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम मसला है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, 29-12-1973 को वेगूं हायर सैकेन्डरी स्कूल का गरीब चपरासी प्रश्न पत्र लेकर कोटा गया। वह 30 तारीख को रावत भाटा के डेम पर कत्ल पाया गया। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि पुलिस को इस हत्या का 5 जनवरी को पता हो गया। उसकी जेब से एड्रेस का भी पता लग गया कि कहां का चपरासी था परन्तु पुलिस ने हैड मास्टर को और न ही घर वालों को इत्तला दी और बिना इत्तला दिए ही उसको जला दिया। एक माह के बाद प्रधानाध्यापक को और उसके घर वालों को सूचना दी कि चपरासी की निर्मम हत्या कर दी गई है, गर्दन काट दी गई है। सरकार ने आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की। न ही कोई गिरफ्तारी की है और न ही कोई इस ओर कदम उठाया है कि क्यों और किस कारण से इस चपरासी का कत्ल किया गया है गर्दन काट दी गई है ? मेरे पास फोटो है और आप चाहें तो उसका फोटो पेश कर सकता हूं। यह है उसका फोटो।

श्री अध्यक्ष : मैं तो नहीं चाहता।

(श्री भार्गव द्वारा प्रस्तुत किया गया)

श्री भानुकुमार शास्त्री : गृह मन्त्री बैठे हुये हैं। यह फोटो प्रस्तुत है बिना गर्दन के।

श्री अध्यक्ष : कई बार सदन में प्रश्न उठते हैं सदन की टेबल पर कागजात पेश करने के सम्बन्ध में। सदन की टेबल पर इस प्रकार रखने की प्रथा चली आ रही है। नियम यह है कि यदि कोई माननीय सदस्य कागज अथवा कोई फोटो आर्टिकल आदि चीजें प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इससे पूर्व अध्यक्ष की उस सम्बन्ध में पहले अनुमति प्राप्त कर लें। आप से मेरा अनुरोध है कि आयन्दा आप इस सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि इस प्रकार पेश करने का एक रवैया ही बनता चला जा रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : इस नियम के अन्तर्गत, जो सदन की मेज पर गेहूं की थैलियां वगैरहा हैं वह उन ही माननीय सदस्य को वापिस लौटा दी जायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह जो प्रश्न उठाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार चीजें दी जाती हैं वह सदन के अन्दर आ जाती हैं और वह सदन की सम्पत्ति हो जाती हैं। गेहूं की थैली वगैरह ऐसी सम्पत्ति को इस वर्ष के बाद कोई पूछे तो क्या हो ? इसलिए सदन की सम्पत्ति हो वो सदन के सामने जो वह रख

(श्री अध्यक्ष)

दी गई, उनका परपज पूरा हो गया। हमारे यहां कौन उसकी देख भाल करेगा? मन्त्री महोदय को भेज दूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय मन्त्री महोदय के एक दिन का राशन हो जावेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अच्छा हो जिन जिन की थैलियां हैं वे लेकर चले जाएं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह फोटो आपके यहां रखा है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय को भेज दें।

श्री मोहम्द गफ्फार अली (जौहरी बाजार; जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पहले के राजा महाराजाओं सामन्ती लोगों की जमीनों को लेने का फैसला किया गया। उसको सही रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। मैंने लम्बी-चौड़ी सूची प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की है जो राज्य सरकार को दी जा सकती है और इस बात का पता चलाया जा सकता है कि क्या यह वाकयात सही हैं? इसलिए आप इसको स्वीकार फरमायें और राज्य सरकार से स्टेटमेंट लिया जाय कि क्या यह सही है कि जितने ट्रान्सफर्स किए गए है सीलिंग के ऊपर की जमीनों को उनको नहीं लिया गया और जागीरदारों और सामन्तों को संरक्षण दे रहे हैं।

इसलिए सम्बन्धित मन्त्री महोदय को आदेश फरमावें कि वे इस सिलसिले में स्टेटमेंट दें। ताकि सदन इस बात से सूचित हो सके कि इस सीलिंग के कानून को लागू करने में राज्य सरकार सतर्क है या नहीं। मेरी गुजारिश है कि यह प्रश्न बहुत ही महत्व का है और इसके लिए आपको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयाल सिंह सन्धु।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी श्री सुखाड़िया जी ने 25 मार्च, 1970 को एक स्टेटमेन्ट दिया था और जो किताबों में छप कर सब के सामने आया है।

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेन्ट मोशन से क्रियान्विति के लिये ही तो जानना चाहते हैं।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : उसमें कहा गया है "आइटम नं. 6। उपरोक्त सन् 1955 पूर्व के आराजी काश्तकारों को उपरोक्त हिसाब से अधिकार उसी अवस्था में दिये जावेंगे जब कि वह भूमि 1955 के पहले से अब तक बराबर उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है। परन्तु कब्जा काश्त में, यदि अन्य का कब्जा नहीं रहा हो, दो वर्ष तक के व्यवधान को माफ किया जावेगा।"

श्री अध्यक्ष : क्रियान्विति के सम्बन्ध में और कोई मार्ग निकाला जाय नियमों के अन्तर्गत।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : बहुत बड़ी प्रोब्लम है।

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेन्ट मोशन से नहीं आती है?

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : रेवेन्यू बोर्ड में केसेज पड़े हुए हैं और दो वर्ष के ब्रेक

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)
को माफ नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से हो इस को काम में लिया जाय जिससे लोगों को राहत मिले।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था रावल सामोद के द्वारा जमीनों के हस्तांतरण के सिलसिले में उसमें आपने यह व्यवस्था दी है कि यह लोक महत्व का नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि 800 बीघा जमीन का सवाल है जिसको सीलिंग के तहत एस. डी. ओ. ने एक्वायर करके घोषित कर दिया।

श्री अध्यक्ष : कल यही प्रश्न था और उस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब भी लोगों को कब्जा नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह भी था।

श्री परसराम मदेरणा : इसी प्रश्न पर कल काफी प्रश्न पूछे गये थे। पहले आप प्रोसिडिंग्स को पढ़ लें तो अच्छा हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो इसको पैंडिंग रख लीजियेगा मैं प्रोसिडिंग्स पढ़ लूं।

श्री अध्यक्ष : उसका तो फैसला ही सुना दिया। और किसी फार्म में ले आइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरा मेरा अलवर के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव था। गवर्नमेंट से जानकारी चाही थी। मेरा यह निवेदन करना है कि फेक्चुअली जो बातें सामने रखी थी कि लाठी चार्ज अन वारेन्टेड था, अरेस्ट्स अनवारेन्टेड थी और एस. पी. हरनेकसिंह ने प्रवोक करके इस प्रकार झगड़ा कराया है सारे राजस्थान में कहीं ऐसे झगड़े नहीं हुए। केवल एस. पी. के हैंडलिंग से हुआ है। घरों में जाकर लोगों को पीटा गया मंदिरों में लोग थे वहां उनको पीटा गया। इस तरह की घटनाओं की जांच करायी जाय। इनका पहले भी तीन चार मामलों में यही रवैया रहा है। इस तरह हैंडलिंग करते हैं कि जबरदस्ती प्रवोकेशन करके स्थिति को इस प्रकार बनाया जाता है। बीकानेर में जब यह थे तो वहां भी ऐसी हालत हुई। इसलिये इनके खिलाफ जांच करके कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी में श्री मूलचन्द जी चौधरी अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये, पर खेद है कि चूंकि वे कांग्रेसी नहीं हैं इसलिए उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। यह एक बहुत शर्मनाक तरीका इस सरकार द्वारा अख्तियार किया गया है। यह जनतन्त्र के लिये गम्भीर खतरा है। इससे जनतान्त्रिक संस्थाओं के प्रति जनता की आस्था ढीली होती है।

दूसरा प्रश्न जो मैंने उठाया है वह है दौसा में सेन्टर न होने के कारण परीक्षार्थियों को जयपुर आना पड़ता है। पूरक परीक्षाओं के लिये भी आना पड़ता है। नागरिकों की तरफ से इसकी मांग सरकार से की गई है पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। यह सरकार आन्दोलनों और तोड़-फोड़ के माध्यम से सुनने की आदी हो गई है ऐसा लगता है। जब तक आन्दोलन न हों, तोड़ फोड़ न हो तब तक किसी भी न्यायसंगत बात को भी सुनने को तैयार नहीं

(श्री मूलचन्द सामरिया)

होती है। सरकार अगर इसी भाषा में समझने की आदि है तो लोग उसे इसी भाषा में सुनाने को तैयार हैं पर उस समय जो नुकसान होगा इन आन्दोलनों से उसकी जिम्मेदारी भी पूरी की पूरी राज्य सरकार की होगी। आप क्यों नहीं दौसा में केन्द्र खोल देते हैं, इसमें आपको खर्चा क्या लगने वाला है। खर्चे का इसमें सवाल नहीं है। अगर सरकार आन्दोलन होने पर ही चेतेगी तो यह सरकार की नीति नये नये आन्दोलन को जन्म देती रहेगी। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि पूरक परीक्षाओं के केन्द्र जयपुर के बजाय दौसा में ही रखा जावे ताकि इसके अभाव में होने वाले आन्दोलनों से जो क्षति होगी उससे बचा जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल !

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था। 1100 जहां तक मैं समझता हूं यह अंक ठीक ही है, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की छंटनी सिंचाई विभाग कोटा द्वारा की गई है। इसको रोकने के लिए कोटा के स्थानीय संगठनों ने रोडवेज, इलैक्ट्रिसिटी, सिंचाई आदि के लेबर यूनियनों ने सबने मिलकर प्रयत्न किया है। मजदूर हड़ताल नहीं करना चाहते। लेकिन यह जो घोषणा की गई है कि 16 मार्च तक अगर 1100 श्रमिकों को सिंचाई विभाग, कोटा द्वारा वापिस काम पर नहीं लिया गया और उनकी छटनी के आदेश रद्द नहीं किये गये तो सबसे पहले सिंचाई विभाग के मुख्य अधिकारी का घेराव किया जावेगा।

मैं कहता हूं कि सरकार समय पर ही विचार क्यों नहीं करती है ? जब गलत परिस्थितियों का निर्माण होगा तो सरकार डंडा, गोली चलाकर उसे दबावेगी। यह कहा जावेगा कि असन्तोष पैदा करते हैं इस लिये दबाना पड़ता है। मैं कहता हूं कि इस तरह से समय पर निर्णय नहीं लेकर सरकार स्वयं उन परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और सरकार निर्णय नहीं ले रही हूं इसकी जिम्मेदारी श्रम विभाग और सिंचाई विभाग दोनों पर हैं कि वे समय पर निर्णय नहीं ले रही हैं। इन 1100 मजदूरों को पुनः काम पर रखा जावे, जितने दिन इनको अलग रखा गया है उन दिनों की तनखा दे। ऐसे अगर सरकार नहीं करेगी तो इनके परिणामों के लिये भी सरकार ही स्वयं जिम्मेदार होगी। सरकार अकर्मण्यता छोड़े और ऐसे मसलों पर तुरन्त समय रहते निर्णय ले।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष : नियमों की आपको जानकारी होगी कि एक ही विषय को दुबारा स्थगन प्रस्तावों द्वारा नहीं उठाया जाता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे ध्यान है अध्यक्ष महोदय, नियमों का। दो मेरे स्थगन प्रस्ताव हैं। एक पर पहले बोल लूं जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों के बारे में सरकार ने घोषणा की थी कि 11 अगस्त, 71 तक, जो व्यक्ति जहां आबाद हैं, उसको वहां से बेदखल नहीं किया जावेगा और उसको वहीं पर बसाया जावेगा।

दूसरी ओर सरकार ने कई हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा किये गये निर्माणों के बारे में 20 दिसम्बर, 73 को नोटिफिकेशन निकाला कि ऐसे निर्माणों को

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
भी नियमित कर दिया जावेगा। तोड़ा नहीं जावेगा।

श्री अध्यक्ष : कच्ची बस्तियों के बारे में अलग से चर्चा है उस पर आप इस समय कम बोलें तो उचित होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले हल ले लीजिये। फिर बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष : ये हल नहीं चाहते। बोलना ही चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी बोलने की आदत नहीं है अध्यक्ष महोदय। जब सरकार अकर्मण्य हो जाती है, निष्क्रिय बनकर बैठ जाती है तो मजबूरन बोलने के लिए खड़ा होता हूं। उस समय बोलना मेरा कर्तव्य हो जाता है।

17 दिसम्बर, 72 को जयपुर का मास्टर प्लान प्रकाशित हुआ। ऐतराज पेश करने के लिए एक माह का समय दिया गया।

श्री अध्यक्ष : इसमें कौनसा स्थगन प्रस्ताव है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनके मकानों का नियमन सरकार करेगी ऐसी घोषणा की गई है। पर सरकार इस पर कोई ढंग से कार्यवाही नहीं कर रही है। उल्टे आदेश निकाल दिया हैं उन बस्तियों को पाइप लाइन का कनेक्शन नहीं दिया जावे। पानी का कनेक्शन नहीं देना यह कौनसी औचित्यपूर्ण बात है।

मास्टर प्लान में सरकार द्वारा विलम्ब हो रहा है। मास्टर प्लान फाइनल होगी तब नियमन होगा तो मेरा निवेदन है कि क्या तब तक आप वाटर पाइप कनेक्शन नहीं देकर लोगों को परेशान करना चाहते हैं ? यह एक मानवीय प्रश्न भी है। गरमी आ रही है। पानी अगर नहीं मिलेगा तो लोगों को भीषण कठिनाई का सामना पड़ेगा। स्वतन्त्र भारत में अगर पीने का पानी भी सरकार द्वारा देने में रोक लगाई जावेगी तो यह सबसे बड़ी शर्मनाक कारगुजारी इस सरकार की होगी।

दूसरा मामला, जिसके नियमों का हवाला दिया गया मैं निवेदन करता हूं। आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा मैं सदन का सदस्य हूं और उस सदस्य की भावना····

श्री अध्यक्ष : आप सदस्य ही नहीं सम्माननीय सदस्य हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भावना को बनाये रखना उसका किसी प्रकार हनन नहीं हो, उसकी जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष जी आपकी है। मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं जयपुर शहर में मात्रा बढ़ नहीं सकती और उसके लिये गरुड़ पुराण का पाठ भी कर चुका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं कोई तोड़-फोड़ की नीति में विश्वास करता नहीं, मैं सदन की मर्यादा भंग करने में विश्वास करता नहीं। यदि जनता प्रार्थना करती है और आपने सदन में कह दिया प्रथम सप्ताह में होली के पहले अनाज मिल जायगा। दुकानों में सड़ा गला गेहूं पड़ा हुआ है और वह भी वितरण हुआ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, कोई खाद्य मंत्री जी से स्टेटमेंट दिलवा दें। माननीय अध्यक्ष

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
जो मैं आपका सम्मान करते हुये, सदन का सम्मान करते हुये, आप कानून पास करें, आप आर्डिनेन्स पास करें, आप माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब दें, बजट पर भाषण हो उससे भी ज्यादा मानवीय प्रश्न है।

मिट्टी के तेल के बारे में कल मुख्य मंत्री जी ने कहा था, मिट्टी का तेल मिलेगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आज तक दुकानों पर गेहूं नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं है, चीनी नहीं है दुकानदार कहते हैं हमारे पास गेहूं नहीं आया है, चीनी नहीं आई है, मिट्टी का तेल नहीं आया है। आज जो हालत है उससे आप परिचित हैं। बाजार में कितना मंहगा भाव है, खराब अनाज लाने के लिये भी लोग तड़फ रहे हैं, अनाज की मात्रा आप बढ़ाना नहीं चाहते। तीन किलो से चार किलो करना नहीं चाहते।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी विधान सभा के सामने एक दिन महिलायें खाली पीपे और खाली मटके लेकर आयेंगी लेकिन मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा चीनी मिले नहीं, गेहूं मिले नहीं सीमेन्ट मिले नहीं, मिट्टी का तेल मिले नहीं, अब इसके लिये और कोई गरुड़ पुराण पढ़ूं या भूख हड़ताल पर बैठ जाऊं। मैं समझता हूं कि वह भी परम्परागत नहीं होगी इसलिये मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि लाल झण्डे वालों की तरह तोड़ फोड़ में विश्वास करता नहीं। मेरा जो अधिकार है उसके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं 24 घण्टे के भीतर भीतर जयपुर शहर में गेहूं, मिट्टी का तेल, चीनी वितरण करने के आदेश प्रदान कर दें अन्यथा मेरी पार्टी के लोग यदि मुझे अनुमति दे देंगे तो स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था के बाद यहीं अनशन पर बैठ जाऊंगा और यदि मेरी पार्टी अनुमति नहीं देती है तो सदन के बाहर जनता के समक्ष भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दूंगा। मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हम इसलिये चुनाव जीत कर नहीं आये कि....

श्री दीपंकर : (व्यवधान—अश्रव्य)....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं चिन्ता नहीं करता, बीच में इन्टरप्ट करते रहें, ताली पीटते रहें। मैं समझता हूं कि बजट पास हो रहा है, राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस हो रही है, मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह भावना न मेरे दल की है और न इस प्रकार की कोई भावना मेरे अन्दर है। जयपुर के लोग यदि भूखों मरें और आपसे प्रार्थना करें, आप उसे सुने नहीं तो और क्या कदम उठाया जा सकता है? मैं समझता हूं आप आज ही गेहूं के वितरण की घोषणा करेंगे, मिट्टी के तेल के वितरण की घोषणा करेंगे, चीनी के वितरण की घोषणा करेंगे तो मैं सहर्ष सम्मान पूर्वक....

श्री दीपंकर (व्यवधान,—अश्रव्य) ..

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष जी, सदन का सम्मान करते हुये, आपका सम्मान करते हुये, माननीय मंत्री जी का सम्मान करते हुये, मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे तुरन्त वक्तव्य देने के बारे में कहें अनाज का राष्ट्रीयकरण कर रखा है। महीने के अन्त में जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। लोगों को राशन मिले नहीं, सड़ी गली

(गिरधारीलाल भार्गव)
ज्वार, बिलकुल निकम्मी, जिसे जानवर तक नहीं खायें उसे भी आप वितरण करायें नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, राशन की मात्रा बढ़ाने के लिये भी भारतीय जनसंघ राजस्थान में आन्दोलन करेगा। आपने घोषणा की थी तीन किलो राशन देंगे, वह भी मिले नहीं, चीनी मिले नहीं, सीमेन्ट और मिट्टी का तेल मिले नहीं तो मैं अन्तिम निवेदन करना चाहता हूं यहां यदि मेरी पार्टी अनुमति दे देती है तो कल स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था के बाद मैं अनशन करूंगा और यदि मेरी पार्टी अनुमति नहीं देती है तो ठीक आपके सामने आमरण अनशन करूंगा जब तक जयपुर शहर की जनता को ये चीजें प्राप्त नहीं होती हैं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री रामनारायण चौधरी (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो रिपोर्ट माननीय खेतसिंह जी ने रखी है उस पर सदन की अनुमति प्रदान की जाय

(स्वीकृति)

रिपोर्ट स्वीकार की गई।

आय-व्ययक (बजट) 1974-75 पर सामान्य विवाद हेतु समय निर्धारण

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद हेतु कार्य सलाहकार समिति द्वारा चार दिवस का समय नियत किया गया है। इन चार दिनों में सदन में माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने हेतु लगभग 17-30 घंटे का समय उपलब्ध होगा। इस समय का मैं दलवार सामान्य तौर पर इस प्रकार विभाजन करता हूं :

कांग्रेस	12 घंटे जिसमें सरकार की ओर से उत्तर का समय सम्मिलित नहीं है।	
स्वतन्त्र	1-20	
जनसंघ	1-10	
संसोपा	1-00	
साम्यवादी	1-00	
संगठन कांग्रेस	0-15	
निर्दलीय	0-45	कुल 17-30

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जो समय का विभाजन किया गया है उसमें मैं निवेदन करता हूं कि जब पहले 16 घंटे का समय दिया गया था उस समय भी जनसंघ को सवा घंटे का समय दिया गया था। इस बार जब 17-30 घंटे का समय दिया है तो जनसंघ दल को अधिक समय दिया जाना चाहिये। कांग्रेस दल को तो बोलना ही नहीं है—समालोचना और आलोचना करना तो विरोधी दल का ही काम है।

श्री अध्यक्ष : इतना ही निवेदन है गत वर्ष जो समय दिया गया था उसी प्रकार का विभाजन इस वर्ष भी किया गया है लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है। अधिक समय बढ़ा सकते हैं, यदि आप कहेंगे तो।

श्री खेतसिंह : गत वर्ष से इनकी संख्या कम हो गई है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक व्यवस्था का प्रश्न चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया लेकिन वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किया। क्या अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूं कि बिना विधेयक के प्रस्तुत किये बजट पर बहस करना उचित होगा ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो बाद में होता है।

श्री चन्दनमल बैद : कौनसे वित्त विधेयक की बात कर रहे हैं ? एप्रोप्रियेशन बिल जब डिमान्ड पेश हो जाती है तब पास किया जाता है। अगर फाइनेन्स बिल की बात करते हैं तो मैंने कल टैक्स लगाये ही नहीं और जो टैक्स हैं, वह ऑलरेडी जारी है 31 मार्च तक। अतः उसके पहले कभी भी फाइनेन्स बिल पास कर सकते हैं। इसलिये मेरी समझ में नहीं आया कल बिल पेश करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : कल माननीय वित्त मंत्री महोदय ने टैक्स लगाया है। जो बंगला देश का टैक्स था उसको इस वर्ष समाप्त न करके उसको सहायतार्थ टैक्स रखा है.........

श्री चन्दनमल बैद : वह भी गलत फरमा रहे हैं। वह टैक्स अकाल सहायता के रूप में परिणित हो गया था और वह 31 मार्च तक जारी है। उसको 1 अप्रेल से जारी रखने के लिये जो प्रक्रिया करनी पड़ेगी वह कभी भी कर लेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह 31 मार्च तक है ऑलरेडी।

श्री अध्यक्ष : अब तो सन्तोष हो गया।

बजट पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज बजट के ऊपर सामान्य वाद विवाद का आरम्भ हो रहा है। कल सदन में बजट प्रस्तुत करते समय और उसके कुछ पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के उत्तर के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री महोदय का भाषण हुआ और माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री के भाषण दोनों एक के बाद एक यहां सदन में हुए तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान की स्थिति का विषद विवरण करते हुए यह स्वीकार किया कि एक ऐसा अन्धकारमय गहरा कुआ है जिसमें राजस्थान

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

के पिछड़ेपन, गरीबी और अभावों का अनुमान लगाना हमारे लिए असम्भव है। 28 साल के शासन में रहने के पश्चात् और अध्यक्ष महोदय, यह उनकी स्वीकृति, यह उनका कन्फेशन और यह उनका इकबाल इस बात का संकेत है कि गत 25-26 वर्षों के अन्दर राजस्थान को पतन के इस गहरे स्तर पर कांग्रेस सरकार ने पहुंचाया है।

आज के युग में जब मानव चांद, तारे और नक्षत्रों के यहां जाकर भी पता लगा सकता है कि वहां पर कौन है, क्या है और क्या मिल सकता है ? विश्व को वहां पर हम धरती पर रहते हुए हमारी गरीबी, हमारा पिछड़ापन और हमारे यहां की समस्यायें आदि का विश्लेषण मात्र तक नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तुत करते समय योजनाओं का विश्लेषण किया गया है और आगे की योजनाओं के बारे में सुनहरा स्वपन भी दिखाया गया परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है अध्यक्ष महोदय, कि योजनाओं के विश्लेषण के पश्चात् हम यदि उनका मूल्यांकन करें तो हमें क्या मिलता है ? आज से लगभग 15 साल पहले मुझे याद है जोधपुर नगर में उस समय के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया आये, उन्होंने एक भाषण दिया और जैसे कि कांग्रेस दल के राजनेताओं की स्ट्रेटेजी है, तरीका है उन्होंने राजस्थान नहर का सुनहरा स्वप्न सब को बताया और कहा कि काण्डला में जाकर यह नहर लूणी होकर बहती रहे और इसमें नेवीगेशन होगा, इसमें नावें चलेंगी और नौकाविहार होगा और मरुधर प्रदेश हराभरा हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज तक यह बजट सर्वे में भी और अन्य प्रकार से भी यह इकबाल किया जा रहा है कि राजस्थान नहर का पहला चरण भी आज तक समाप्त नहीं हो सका, अन्तिम चरण की तो बात ही छोड़िये काण्डला में जाकर समाप्त करने का आइडिया तो ड्राप कर दिया गया, जोधपुर के अन्दर लूणी से सम्बन्ध स्थापित करने का आइडिया समाप्त कर दिया गया और कल तो वित्त मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि राजस्थान सरकार के लिए बदली हुई परिस्थितियों के अन्दर, इस महंगाई और अभाव के अन्दर धन की कमी के अन्दर राजस्थान नहर को पूरा कराना सम्भव नहीं है। यदि केन्द्र किसी प्रकार से इसको अपने हाथ में ले ले तो राजस्थान नहर का पूरा कार्य किया जा सकता है अथवा राजस्थान सरकार इसके लिए बिल्कुल असमर्थ है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अध्यक्ष महोदय, कि एक मात्र स्वप्न जिसका राजस्थान के धोरों में रहने वाले लोग आज लगातार इन्तजार कर रहे थे राजस्थान सरकार ने उसको कल यह कह कर कि हमारे पास में धन का अभाव है, आर्थिक स्थिति सोचनीय है हमारे पास पैसा नहीं है—अपने दायित्व और अपने कर्त्तव्य और अपने संकल्प से जो उन्होंने बारबार दोहराया और लगातार दोहराती रही उसकी पिछले दरवाजे से, बैकडोर से ड्राप करके वापिस लेने का प्रयास किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कल के बजट भाषण को पूरा पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जहां तक नये टैक्स लगाने का प्रश्न था केन्द्र के द्वारा पोस्टकार्ड से लेकर प्लेटफार्म तक जब महंगाई से ग्रसित गरीब जनता के ऊपर कमर तोड़कर लगा दिया गया उसके बाद में राजस्थान सरकार गले पर और नमक

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

छिड़कती है कि सम्भव हो नहीं था और इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने उस सन्दर्भ में नये टैक्स नहीं लगाये। जनता के

आक्रोष को सही आंका वरनः वही स्थिति होती जो आज गुजरात के अन्दर हम देखते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। परन्तु उसके साथ बंगला देश के नाम पर जो कर लगाया गया और जिसके लिए बंगला देश की विशेष समस्या थी उस समय यह कर समझ में आता था लेकिन उसके बाद यह कहा गया कि इस वर्ष बाढ़ और सूखे के लिए इस कर का उपयोग किया जायेगा। अब उसको हमेशा के लिए परमानेन्ट बना दिया गया है। यद्यपि नाम यह लिया गया कि यह कर अगली योजना तक ही है लेकिन स्पष्ट है कि अभाव, बाढ़ और सूखा यह राजस्थान में हमेशा रहते हैं। इसलिए इस कर को सहायतार्थ कर के लिए अगली योजना तक लगाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह राजस्थान की 2।। करोड़ जनता के ऊपर बिल्कुल अतिरिक्त भार डाला गया है हमेशा के लिए वह अनावश्यक है और इस सहायतार्थ कर को भी वापिस लिया जाना चाहिए क्योंकि अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है कि आज रुपये की क्रय शक्ति का ह्रास किस रूप में हुआ है और उसके कारण से राजस्थान जिसके बारे में यह सर्व और स्वीकार किया गया है और राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है कि यहां पर 61 पर्सेन्ट जनता ऐसी है कि बिलो पावर्टी लाइन है तो ऐसी गरीब जनता के ऊपर करों का अतिरिक्त भार डालना चाहे बांगला देश के नाम से हो और चाहे सूखे और बाढ़ के नाम से हो, मैं समझता हूं कि अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय, आपको यह भी पता होगा कि लोक सभा के अन्दर जिस समय रुपये के मूल्य के बारे में प्रश्न पूछा गया तो वहां के वित्त मंत्री ने स्पष्ट उत्तर दिया कि एक रुपया, जिसकी वास्तविक कीमत 1950 के अन्दर 99 पैसा या लगभग एक रुपया के बराबर थी, उसका ह्रास होकर 1960 में उसका मूल्य केवल 80 पैसा ही रह गया। 27-11-73 को लोक सभा के अन्दर वित्त मंत्री के दिये जवाब का अंश है जो मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं..... ...

सन् 60 में 80 पैसे पर रह गई, वह हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा नोट छाप छाप कर अपनी अव्यवहारिक, गलत आर्थिक नीतियों को जनता के गले उतारने का प्रयास करने के अन्दर सन् 70 में 44 पैसे रह गई। और अध्यक्ष महोदय, सन् 73 के अन्दर आज 36 पैसे रह गई और 74 में 33 पैसे या 32 पैसे के पास पहुंच जाय तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

अब ऐसी स्थिति के अन्दर राजस्थान की 61 प्रतिशत से अधिक जनता, जो बिलो पावर्टी है, उसकी आय, अध्यक्ष महोदय, बीस रुपये प्रतिमास से कम है और बीस रुपये उस समय इन अंकों के अनुसार उसका मूल्यांकन किया जाय तो वह सात रुपये के बराबर होगा। और अध्यक्ष महोदय, तीस दिन के अन्दर सात रुपयों को बांटा जाय तो उसके अनुसार एक साधारण आदमी को एक दिन के लिए क्या मिलता है ? वह चार आने या पांच आने से अधिक की उपलब्धि नहीं होती। अब आप ही बतलाइये, अध्यक्ष महोदय, आज के इस युग में जब

(श्री गुमानमल लोढा)

यह स्वीकार किया जा रहा है सरकार की ओर से भी कि गेहूं दो सौ रुपये क्विन्टल या दो रुपये किलो के भाव में भी और बाजारी से मिलता है, बाजार में उपलब्ध नहीं होता और वहां पर एक मनुष्य को, एक मानव को, एक राजस्थानी को, अपनी दो जून रोटी का प्रबन्ध करने के लिए, अपने बाल-बच्चों को शिक्षा की बात तो जाने दीजिए, केवल दो जून रोटी प्राप्त करने के लिए क्या चार आने या तीन आने के अन्दर वह अपना जीवन चला सकता है। और अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर करों का बोझा केन्द्र के द्वारा करोड़ों रुपयों का ऊपर से और प्रदेश के द्वारा स्थायी कर बना कर और कोई राहत किसी प्रकार की मिली नहीं तो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्य मंत्री ने स्वयं ने कहा था और इस बात को स्वीकार किया था कि राजस्थान की स्थिति ऐसी भयावह है, ऐसी भयंकर है, ऐसी दर्दनाक है कि उसकी वास्तव में हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यह बजट आपके सामने जो रखा गया है, अध्यक्ष महोदय, इसके अनुसार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय, बिलो पावर्टी वाले व्यक्तियों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन दुर्भाग्यवश जो बहुमत के लोग हैं, राजस्थान के साधारण कर्मचारी, साधारण मजदूर, साधारण किसान और गरीब तबके के लोग, कोई रिक्शा चला कर अपना जीवन निर्वाह करता है, कोई फुटपाथ पर सोता है या अपना खून बेच कर जीवन निर्वाह करता है या मनुष्य के द्वारा भोजन करने के बाद में झूठन डाली जाती है बाहर, उस झूठन में से, मनुष्य के उल्टी करने के बाद में जो उल्टी सड़क पर डाली जाती है उसमें से चुग चुग करके वह गरीब अभागा इन्सान चावल और गेहूँ और अन्न का दाना निकाल कर जीवन बसर करता है, ऐसे अभागे लोगों की बात छोड़िए, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के लिए हमारी राज्य की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं है, उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया, उनके लिए कोई योजना नहीं है, लेकिन इनके अतिरिक्त भी जो बाकी के लोग हैं, उनकी औसतन आय, पर कैपिटा इन्कम जो बताई गई है और राजस्थान सरकार के द्वारा बताई गई है उसका जरा चित्र देखिए, अध्यक्ष महोदय। सन् 60-61 के अन्दर प्रचलित कीमतों के ऊपर वह आय थी 318 रु.। 69-70 में वह 480 और 70-71 में 603। 71-72 में वह 570 और 72-73 के अन्दर 606 है।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह जो 606) रुपये की आय है क्या वास्तव में जो आंकड़ों का जाल है उसके अनुसार रहती है। आज के मूल्यों के अनुसार और क्रय शक्ति के अनुसार एक रुपया के 36 पैसे के हिसाब से वह 208) रुपये के लगभग रहती है। एक साल की आमदनी राजस्थान के औसतन व्यक्ति की यह है और इसमें 12 का विभाजन कीजिए तो राजस्थान की गरीबी किस स्थिति तक है इसका अनुमान लगाइये।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरह से स्थिर कीमतों पर जो 54-55 के आंकड़े हैं उनके अनुसार हमारी पर कैपिटा इन्कम आंकी जाय तो 60-61 में जो आय 237 रुपये थी वह आज 70-71 में 302 और 71-72 में 285) और 73-74 में घट करके 281) रुपये रह गई है। अब आप देखिए कि यह

Page No 50

(50)

(श्री गुमानमल लोढा)

प्रगति हुई है या दुर्गति हुई है यह तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, अध्यक्ष महोदय। लेकिन वस्तु स्थिति यह है। अब इस आय के अन्दर, इस प्रकार की स्थिति के अन्दर आप अनुमान लगाइये, अध्यक्ष महोदय, कि आज यह कहा जा रहा है कि हम दृढ़ता के साथ बढ़ते हुए चरणों और बढ़ते हुए कदमों को आगे बढ़ायेंगे। अब यह चरण कहां जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, इसका अनुमान, अध्यक्ष महोदय, आप ही लगाइये। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार स्वयं, बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री महोदय कुछ भी कह दें या कहीं भी उद्घाटन में कुछ भी कह दें लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो फाइनेंस कमीशन के पास में राजस्थान सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपना दृष्टिकोण या प्रारूप के रूप में जो पत्र पेश किया है उसके अन्दर स्पष्ट तौर से इस बात को स्वीकार किया है, अध्यक्ष महोदय। उन्होंने कहा कि राजस्थान में असमानताएं बढ़ी हैं तथा निम्न श्रेणी का जीवन निर्वाह करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। असमानता की यह खाई न केवल जनसंख्या के आधार पर निर्धन व्यक्तियों के बीच में बढ़ी है वरन् देश के अन्दर उपलब्ध साधनों के बंटवारे के अन्दर भी बढ़ी है। अब यह असमानता की खाई किसने बढ़ाई ? निर्धन व्यक्तियों की गरीबी और बढ़ी है और इस बात को आपने स्वीकार किया है कि पावर्टी हैज इन्क्रीज्ड इन राजस्थान ड्यूरिंग लास्ट ट्वन्टीफोर ईयर्स। इसका कन्फेशन राजस्थान सरकार का था।

मैं निवेदन करूं कि उसके बाद में फिर यह कहना कि हमने लगातार पिछले 24-25 सालों के अन्दर प्रगती की है और हमारे सामने भौगोलिक और ऐतिहासिक समस्यायें थीं। मैं निवेदन करूं कि क्या इजराइल के सामने यह समस्यायें नहीं थीं। जिस राष्ट्र का निर्माण हमारे बाद में हुआ और धरती पर जो राष्ट्र था ही नहीं, उसने आज दुनिया के अन्दर उच्च स्तर की साइंस और टेक्नोलोजी को बढ़ा कर, रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदल कर, समुद्र के पानी को सिंचाई में उपयोग लेकर, वहां पर आज जिस प्रकार की प्रगति और विकास का अद्वितीय चमत्कार और उदाहरण प्रस्तुत किया है, हम उससे सबक भी नहीं ले सकते हैं।

मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, जापान जैसा देश जिस पर एटम बम गिराया गया और बम के धड़ाके से मनुष्य शक्ति समाप्त हो गई, जर्मनी जैसा देश जिसमें दूसरे युद्ध के बाद में मनुष्य नजर नहीं आते थे, उन्होंने किस प्रकार से काया-कल्प किया है उसका उदाहरण दुनियां के सामने प्रस्तुत है। लेकिन हमारे यहां यह रट लगाई जाती है कि हमारे देश में आजादी से पहले अंग्रेजों का राज था सन् 47 के पहले और 47 के बाद में आजादी आई उस समय हमारे सामने भयंकर समस्यायें थीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, 25-26 साल का अर्सा किसी भी देश के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त है और इसके उदाहरण इजराइल, जापान और जर्मनी हमारे सामने हैं। आज हम वह प्रगति नहीं कर सकने और आज भी, अध्यक्ष महोदय, हमें यह कहा जाय, जब हम पूछते हैं कि राजस्थान के अन्दर पीने का पानी कहा मिलता है और कहां नहीं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मिलता है तो कल ही आपके सामने यहां पर मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया कि आज 12,166 ऐसे गांव हैं जिनके अन्दर पेय जल की सुविधा नहीं है। पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिलता और अध्यक्ष महोदय, यह भी स्वीकार किया गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में केवल हम 3,836 गांवों के अन्दर और पीने के पानी का प्रबन्ध कर सकेंगे और उसके बाद में भी 8,330 गांव ऐसे रहेंगे जिनमें अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों को पानी के लिए दस मील, पन्द्रह मील, बीस मील तक लम्बी 2 यात्राएं करके, जमीन पर जलते हुए, जेठ की गर्मी के अन्दर झुलसते हुए, ऊंट के ऊपर या पैदल जाकर पानी लाना पड़ेगा। क्या यह स्थिति शर्मनाक नहीं है? आज के युग के अन्दर पीने के पानी के लिए इस प्रकार मुसीबत का सामना करना पड़े और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल सके तो अध्यक्ष महोदय यदि कोई दूसरी सरकार हो तो उसके लिए शर्म नाम का शब्द डिक्शनरी में होता तो इस व्यवस्था के ऊपर अपने आपको यह कह कर कि हम जनता को पीने का पानी तक पहुंचाने में समर्थ नहीं हुए,. we have failed to deliver goods to people, therefore, we quit.

लेकिन हमारे यहां पर अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य यह है कि यह भी उपलब्धि के रूप में कहा जाता है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि पिछले वर्ष के अन्दर सब मिला कर उन्होंने 90 ग्रामों को बिजली पहुँचायी, 128 ग्राम ऐसे थे जिसमें स्कूल के कुछ कमरे बनाये गये, 72 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गयी, 21 गांवों में सड़कों का निर्माण किया गया। यह सारा एक साल का ब्यौरा है लेकिन बजट भाषण के अन्दर हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने योजना के पांच साल के आंकड़े दिये हैं ताकि इसके बारे में भ्रम बना रहे और जो वास्तविकता है, क्या प्रगति हुई अथवा दुर्गति हुई, चरण आगे बढ़े या यथास्थिति कायम रही या कितना आगे बढ़ सके, इसका कोई मूल्यांकन इस बजट भाषण में नहीं किया गया है और इसीलिए पूरी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े दिये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या एक वर्ष के अन्दर 90 गांवों को बिजली पहुंचाना, 72 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करवा देना ही पर्याप्त है और प्रगति के चिह्न हैं? आप अन्दाजा लगा सकते हैं 12,162 गांवों में किस प्रकार से व्यवस्था हो पाएगी और कब तक इन गांवों में बिजली पानी मुहय्या हो सकेगा?

स्पष्ट है, अध्यक्ष महोदय कि हमारे यहां पर जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कार्यान्वित करने का जो माप-दण्ड है, उसके अनुसार योजनाएं असफल रही हैं और यह असफलता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि या तो योजनाओं के के अन्दर मूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है अथवा इन योजनाओं को क्रियान्वित करने की इच्छा, संकल्प हमारी सरकार के अन्दर नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान की कितनी दयनीय स्थिति है? जहां एक ओर मैंने आपके सामने राजस्थान के आंकड़े प्रस्तुत किए वहां पर आप राजस्थान के आंकडे दूसरे प्रदेशों से मिलायेंगे, दुनियां की बात तो छोड़ दीजिये, मिस्र में, जर्मनी में क्या हो

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
रहा है रूस और अमेरिका में आज किस बात के लिए होड़ हो रही है···· ····

1.03 म. प.

(सभापति, श्री भानुकुमार शास्त्री, पदासीन)

उस बात को छोड़ दें जिन्होंने कि एक नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं, ऐसी दुनियां की बात करना छोड़ दें परन्तु जो हमारे देश के दूसरे प्रदेश हैं उनसे राजस्थान का मुकाबला करें तो मालूम होगा कि हम कहां पर हैं ? ये आंकड़े आपके सामने हैं। राजस्थान के अन्दर प्रति व्यक्ति आय 480 रुपया है, राजस्थान से भी गरीब केरल प्रदेश है, उस प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय 505 रुपया वार्षिक है। उत्तर प्रदेश में यह 506 रुपया है, आन्ध्र में 515 रुपया, जम्मू और काश्मीर में जो हमेशा युद्ध की ज्वाला से धधकता रहता है 513 रुपया है, मैसूर में 515 रुपया और आसाम जैसे प्रदेश जहां पर भयंकर वर्षा के कारण हमेशा क्षति होती रहती है, वहां पर 545 रुपया, बंगाल के अन्दर 562 रुपया, मध्य-प्रदेश के अन्दर 507 रुपया, गुजरात के अन्दर 635 रुपया जहां पर कि इतनी औसत आय प्रति व्यक्ति के होते हुए भी लोग असन्तुष्ट हैं और असन्तोष की ज्वाला-मुखी वहां पर फूट पड़ी है, महाराष्ट्र में 731 रुपये, हरियाणा में 788 रुपये और पंजाब में 945 रुपया है। पंजाब के मुकाबले में हमारी औसत आय लगभग उससे आधी है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वास्तव में कहीं न कहीं राजस्थान सरकार, या उसके प्रशासन में या राज्य सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने में जो तरीका है उसमें भयंकर दोष है, मूलभूत दोष है, मौलिक दोष है, जिसको कि बदलना होगा। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर केवल प्रति व्यक्ति आय का प्रश्न ही नहीं, आप किसी भी प्रश्न को लीजिये, विद्युत् को ले लें या और किसी मामले को ले लें, उसके अन्दर राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है। यहां पर प्रति व्यक्ति के उपयोग के लिए करीब 30 किलोवाट बिजली उपलब्ध है जबकि पंजाब में 381, महाराष्ट्र में 1433, गुजरात में 1141 इस प्रकार भारत का जो ऐवरेज है वह भी राजस्थान से अधिक है, वह है 76 और राजस्थान में है 30, राजस्थान भारत के ऐवरेज से कम है इलेक्ट्रिफिकेशन में और दूसरे प्रदेशों से भी कम है।

यही स्थिति हमारी शिक्षा की है। राजस्थान के अन्दर अब तक शिक्षा का क्या प्रसार हो पाया है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, सिर्फ यह बता दिया जाता है कि इतनी हजार स्कूलें खोल दी गईं या इतने हजार टीचर्स का अपाइन्टमेंट कर दिया गया है। इसके बावजूद शिक्षा का जो पर्सेन्टेज है उसका अनुमान लगाएंगे तो वास्तव में राजस्थान भारत में सब से कम शिक्षा की दृष्टि से है और इसी प्रकार जहां तक सिंचाई का मामला है, अन्य दूसरे सारे मामले हैं, उनके अन्दर भी राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है···· ·······

एक माननीय सदस्य : रिश्वत खोरी में सब से आगे है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : रिश्वत के मामले को अलग से लूंगा। अभी तो इसको छोड़ दीजिए। शिक्षा, इर्रीगेशन, इलेक्ट्रि-फिकेशन में और सारे ही जितने दूसरे मामले हैं, जिनसे प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है, उसमें हम पीछे हैं। उसके बाद भी यह कहना कि राजस्थान के चरण प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे तो ये चरण कहां पर बढ़ रहे हैं? इसका अनुमान लगाया जाये?

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि हमने राजस्थान के हर इन्सान पर कितना कर्जा लाद दिया है। उसके लम्बे-चौड़े आंकड़ों पर तो मैं नहीं जाना चाहूंगा परन्तु यहां यह बताना चाहता हूं कि आज राज्य पर 8 अरब का कर्जा है। 8 अरब का कर्जा है राजस्थान की ढाई करोड़ जनता पर। इसके अलावा दूसरे कर्जे और हैं उनको तो फिलहाल छोड़ दिया जाये। राजस्थान के एक एक व्यक्ति पर, जो एक नया बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने और हमारी राज्य सरकार ने 500 रुपये का कर्जा लाद दिया है। उसके हाथ में यह 500) रुपये का कर्जा दे दिया है कि बच्चे जाओ, उद्यमशील बनो और इस कर्जे को लेकर जीवन की ओर बढ़ो····

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप तो बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन पर भी 500) रुपये का कर्जा क्यों लाद रहे हैं? उनको भी यह कर्जा भुगतान करना पड़ेगा········

श्री गुमानमल लोढ़ा : जहां तक मेरे बच्चों का प्रश्न है यह तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए गोटेवाला जी आप तो अपनी चिन्ता करिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूं कि बच्चे पैदा नहीं होंगे। आप तो हर साल एक नया कलेन्डर छाप रहे है।····

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर एक बहुत बड़े ऋषि चार्वाक हो गए हैं उन्होंने कहा था।

यावत जीवेत सुखाम जीवेत ।
ऋणम् कृत्वा घृतम पिवेत ।।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यदि आप इस विचारधारा में विश्वास करने लगे हैं तो सी. पी. आई. को चाहिये कि वह आपकी आलोचना करना बन्द कर दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप तो कर्जा लीजिये और घी पीजिये। हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने भी यही शिक्षा दी है कि खूब कर्जा लो और घी पीओ। दुर्भाग्य तो यह है कि आज घी नहीं मिलता। अभी अभी आपके सामने गिरधारीलालजी भार्गव ने बताया कि घी की बात छोड़िये यहां पर वनस्पति भी नहीं मिलता, तेल नहीं मिलता हां कर्जा अवश्य मिल जाता है। और इस कारण से सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : कर्जा तो साख वालों को मिलता है। बिना साख वालों को नहीं मिलता।

श्री गुमानलल लोढ़ा : राजस्थान की हालत यह हो गई है कि बार बार ट्रेजरी को यह ऑर्डर जाता है कि इस महिने में तनख्वाह के बिल के अलावा और बिल नहीं लिये जायेंगे। क्योंकि रिजर्व बैंक ने इनको

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पैसा देने से मना कर दिया है । लोगों के रिएम्बर्समेन्ट, टी. ए. बिल नहीं जायेंगे। हमारी हालत किस प्रकार की हो गई है। वह दिल्ली जाकर इन्दिरा जी की शरणम् गच्छामि होते हैं। रिएम्बर्स के बिल जाते हैं। टी. ए. बिल जाते हैं। ट्रेजरी लेती नहीं है। दिवालयापने की दरख्वास्त लेकर राजस्थान की सरकार दिल्ली में जाती है। वह वहां जाकर हैण्ड्स अप करती है। हमारे पास पैसा नहीं है। कहीं से भी ब्याज पर रुपया कर्जा दे दो।

आज सभापति महोदय, राजस्थान मन्त्रिमण्डल और प्रशासन की सबसे बड़ी बीमारी से ग्रसित है। वह बीमारी है, नारे बाजी। वह सही है या नहीं। आपने देखा होगा, कल परसों ही एक आॅर्डर जारी हुआ है। कोई भी व्यापारी 500 क्विन्टल धान रख सकता है। 500 क्विन्टल गेहूं और दूसरा 1500 क्विन्टल रख सकता है। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ हो रहा है भारत सरकार के आदेशों से हो रहा है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खुला कर दिया। कुछ ही दिनों मे 4-5 आॅर्डर बदले हैं। चार पांच आॅर्डर चेंज किए गए हैं। बदले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्या आवश्यकता थी ? यदि हम यह समझते हैं कि जनता को हम इतना मुहैया नहीं कर सकते हैं। हम किसी प्रकार से कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो थोथी नारे बाजी क्यों की जाये। नारे बाजी करते हैं कि हमारे कदम समाजवाद से पीछे नहीं हट सकते हैं। क्या यह सेल्फ रियलाईजेशन नहीं है ? क्या यह गलती को स्वीकार करना नहीं है ? जो इन्होंने जल्दबाजी में की है। बिना किसी योजना के यह किया गया है। इस योजना से भविष्य को खराब किया गया है। वापिस विड्रा करके इसको समाप्त करना चाहिए। जब उनको यह कहेंगे तो वह कहेंगे कि हमारी तो लाल किताब है। वही उनकी बाइबिल है। वही उनकी कुरान है। गुजरात के मुख्य मन्त्री ने कह दिया है कि हम इसको नहीं मानते। केरल के मुख्य मन्त्री ने कह दिया, हम नहीं मानते। वेस्ट बंगाल के मुख्य मन्त्री ने कह दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं और बाद को वह चेन्ज करना पड़े।

सभापति महोदय, कल जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके साथ में और बजट प्रस्तुत करने के साथ में बजट अध्ययन, बजट स्टडी, उसकी भी एक पुस्तक प्रस्तुत की है। आपने उसको पढ़ा नहीं है। उसमें यह साफ स्वीकार किया गया है। यद्यपि पिछले साल इण्डस्ट्रियल डिस्टरबेंस ज्यादा नहीं हुये हैं। इण्डस्ट्रियल पीस रही है, फिर भी प्रोडक्शन गिरा है। 72 में 43.81 है। बढ़ोतरी एक बात में हुई है। शराब में बढ़ोतरी हुई है। शराब का प्रोडक्शन बढ़ा है 79.43। इसके लिए हम वित्त मन्त्री जी को बधाई दे सकते हैं। इसके लिए ही मैंने चार्वाक का कोटेशन पढ़ा है। महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, वह जो कोई विरोध करते हैं तो उनको आप जेल में डाल देते हैं। इसी तरह से वनस्पति उत्पादन 30.30, नमक 42.26, सूती धागा, 5.71 यूरिया 5.12, कागज 2.30, सीमेण्ट 3.96 मैं आपके सामने सभी तो पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं जबकि कम्पेरेटिवली इण्डस्ट्रियल पीस रही है। इसके बावजूद हमारा प्रोडक्शन गिरता गया। हमारा खर्चा बढ़ता गया। इसके

(श्री गुमानमल लोढा)
उपरान्त सरकार पर कर्जा नहीं होगा तो क्या होगा ? आज राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की है ? आज के युग में राजस्थान में खेतिहर मजदूर, जो मजदूर सुबह से शाम तक खेत पर काम करता है, वह पसीना बहाता है, जबकि आप एयर कण्डीशन में बैठ कर वाद-विवाद करते हैं, जेमनेजियम करते हैं और धरती के पेट से धान पैदा करता है उसके लिए वह लगा हुआ है। उसके लिए लिखा है, अब उसकी आमदनी 81 पैसा हो गई है। 71-72 में 75 थी।

उसके बाद राजस्थान सरकार के कदम आगे बढ़े तो अब उसकी आय 81 नया पसा हो गई है। अब उसकी यह आमदनी हो गई है। एक भारवाहक मजदूर सुबह से अपना खून पसीना एक करके श्रम करता है। बच्चों की बात तो दूर रही क्या इतने पैसों में अपना स्वयं का भी पेट भर सकता है ? इसके बावजूद सरकार यह कहती है कि हमारे यहां प्रगति हो रही है।

इसी प्रकार से सभापति महोदय, खनिज के मामले को ले लीजिये। राजस्थान सरकार की सारे मामलों में दुर्गति हुई है। जो आंकड़े दिये हैं, उनमें आप देखेंगे सन् 72 में सामान्य वस्तुओं का सूचकांक 270.3 था जो कि 73 में 336.6 हो गया है। 24.5% वृद्धि हुई है। लगभग 25% वृद्धि का इण्डेक्स है। यदि आज की स्थिति बनी रही। सभापति महोदय, जर्मनी में प्राइस में 2% महंगी हो गई थी। वहां की सरकार ने क्या कदम लिया ? उन्होंने जनता के सामने कहा कि हम जनता को जिन कीमतों पर उपलब्ध कराना चाहते थे, वह नहीं करवा सके हैं। हम उसमें असफल हुये हैं। जनता को राहत नहीं दे सके हैं। तो वह त्यागपत्र देकर हट गये। हमारे यहां सभापति महोदय, ईंधन के द्वारा जिसके द्वारा फैक्टरी चलती है जिसका 1972 के अन्दर 263.2 उसका मूल्य सूचकांक था जब कि वह 1973 में 398.1 हो गया है। जरा अन्दाज लगाइये, 100 पर्सेन्ट से अधिक है। इसी प्रकार से निर्माण के अन्दर, औद्योगिक कच्चा माल के अन्दर 186 से बढ़ कर 270.2 पर्सेन्ट हो गया। आप अन्दाज लगाइये, जनवरी, 1973 में जो ईंधन 265.6 मिलता था, दिसम्बर के अन्दर बढ़ कर 593.2 हो गया। रात दिन का अन्तर है। उसके बाद भी उसका मिलना दूभर हो गया।

सभापति महोदय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो इण्डेक्स फिगर्स हैं, उसमें 1960 का आधार लिया जाय और उपभोक्ता मूल्य के लिए जयपुर को केन्द्र मान कर 1973 की स्थिति देखें तो सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 248 हो गया, जो 23 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार से अजमेर में 1972 के मुकाबले, जबकि 206 था, वह बढ़ कर 244 हो गया। ब्यावर में जहां 229 था, वह 273 हो गया। सभापति महोदय, 1960 के अन्दर प्राइस राइज अनप्रिसिडेंटेड था, जिसका उदाहरण दुनिया में नहीं मिल सकता है। क्या आप यह कह कर संतोष कर सकते हैं कि प्राइस राइज दुनिया का फिनोमिना है, दुनिया के अन्दर पेट्रोल की प्राइस में बढ़ोतरी हुई, मिडिल ईस्ट देशों में जो पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी हुई, उससे भारत भी प्रभावित हुआ है। आप ईजिप्ट के गुण गाया करते थे, आप यह कहा करते थे कि ईजिप्ट हमारा दोस्त है, ताकी

(श्री गुमानमल लोढा)

है, मिडिल ईस्ट देशों के लोग हमारे साथी हैं, उनके कारण से हमने दुनिया के कई अन्य देशों से वैर लिया, दुश्मनी ली। लेकिन मिडिल ईस्ट देशों के द्वारा पेट्रोल के प्रश्न पर भारत को विक्टिम बनाया गया। लाहौर, पाकिस्तान के अन्दर, अन्य स्थानों के, दुनिया भर के मुस्लिम देशों का सम्मेलन हुआ, वहां यह कहा गया कि जो अन्डर डवलप्ड इस्लामी कन्ट्री हैं, उनको पेट्रोल के भाव बढ़ा कर जो आमदनी हुई है, या होगी, वह रुपया मदद के लिए भेजा जायेगा। लेकिन भारत के साथ कोई रियायत नहीं की गई। भारत को दिये जाने वाले पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, और भारत का शोषण किया गया। मिडिल ईस्ट देशों में जो पेट्रोल की प्राइस में राइज हुआ, उससे भारत भी प्रभावित हुआ लेकिन उसके बावजूद भारत की मिडिल ईस्ट देशों के साथ दोस्ती रही और दुनिया के अन्य देशों के साथ वैर लेकर, शत्रु बना कर भी भारत उनसे दोस्ती करता रहा।

मैं निवेदन करता हूं कि पेट्रोल की प्राइस के राइज से दूसरी चीजों की प्राइस के राइज का सम्बन्ध नहीं है। पेट्रोल की प्राइस में राइज तो अब हुआ है, लेकिन उसके पहले भी हिन्दुस्तान और राजस्थान के अन्दर महंगाई बराबर बढ़ती रही है और उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया है। कल हमारे मुख्य मन्त्री जी और अन्य मन्त्रियों ने यह कहा कि प्राइस राइज दुनिया का फिनोमिना है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस प्रकार से महंगाई को रोकने की जगह, अभावों को समाप्त करने की जगह पर दुनियां के अन्दर प्राइस राइज का उदाहरण देकर जनता को गुमराह कब तक आप कर सकेंगे ? क्या इससे वही स्थिति नहीं होगी, जो मिडिल ईस्ट देशों में हुई है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ?

इस राज्य सरकार का यह पहला कर्त्तव्य है कि जनता को धान पूरा मुहैय्या करे, जनता को सस्ता धान मुहैय्या करे, पूरा ईंधन मुहैय्या करे, पूरा कोयला मुहैय्या करे, सारी असेंसियल कामोडिटी, जो मनुष्य के लिए सुबह से शाम तक, अपने मकान के अन्दर दो जून रोटी खाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए आवश्यक हैं, उनको उपलब्ध करवाने का राज्य सरकार का कर्त्तव्य हैं। मैं निवेदन करूं, इसका कारण केवल यह बतायें कि दुनियां के अन्दर महंगाई है, तो यह केवल जनता को धोखा देने की बात है। रिजर्व बैंक और दुनिया के दूसरे लोगों के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें यह कहा गया है, सभापति महोदय, इस बात को माना गया है कि खाद्य निगम के अन्दर जो फिजूल खर्ची है, जो वहां हर करप्शन है, जो वहां पर हमारे प्रॉफिट का पर्सेन्टेज है, उसके कारण से खाद्यान्नों की चीजों की महंगाई बढ़ी है, और उसके कारण से आज जितनी महंगाई जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

अब मै आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हम महंगाई को रोकने का प्रयास नहीं करें और केवल यह कह कर इसे टालने का प्रयास करें कि महंगाई सारी दुनियां के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अन्दर है तो क्या दुनियां इसको सहन करेगी ? अभी आपके सामने जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यही स्थिति जोधपुर में है, यही स्थिति उदयपुर में है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री घोषणा करके इसको साइड ट्रैक करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा, जोधपुर में एक घोषणा की गई कि जोधपुर में ट्रैक्टर फैक्ट्री लगा रहे हैं। मंत्री महोदय ट्रैक्टर के नाम पर पैरिस होकर आ गये। पैरिस में चमक दमक मिलती है, दुनियां भर का सेन्टर है फैशन का, वहां हमारे वित्त मंत्री पहुंचे। जो ट्रैक्टर फैक्ट्री लगाने की दस साल से घोषणा करते चले आ रहे हैं, उसका नाम लेकर वह वहां गये, और वहां से आकर इस सदन में यह कह दिया कि ट्रैक्टर फैक्ट्री के लिए एग्रीमेंट नहीं हो सका, इसलिए ट्रैक्टर फैक्ट्री लगेगी नहीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दस साल, बारह साल तक घोषणा करने के बाद, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट के लिए यह आवश्यक था कि आप जोधपुर में ट्रैक्टर फैक्ट्री लगाते। लेकिन अभी तक वहां पर ट्रैक्टर फैक्ट्री नहीं लगायी गई है। अब वहां पर यह घोषणा करके आ गये मुख्य मंत्री कि वहां पर सीमेन्ट फैक्ट्री लगायी जायेगी। लेकिन यहां पर उनका भाषण सुना तो आश्चर्य हुआ, जो नाम उन्होंने लिये, उसमें जोधपुर में सीमेन्ट फेक्ट्री लगाने का हवाला नहीं है। ट्रैक्टर फेक्ट्री की घोषणा की गई, वह नहीं लगायी गई, सीमेन्ट फेक्ट्री की घोषणा की गई, वह नहीं लगायी जायेगी। अब जो स्कूटर फैक्ट्री लगाने की घोषणा की गई, उसका आफिस वहां पर लगाया गया। लेकिन पिछली बार चुनाव के अन्दर जो स्कूटर फेक्ट्री का वहां पर ऑफिस और स्टाफ था उसको जोधपुर से हटा कर कहीं और ले गये। इसके अलावा, सभापति महोदय, जोधपुर में फिदूसर में पत्थर की खान है, वहां पर से पत्थर निकलता है....

श्री केशरीसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ! सदन में अहम मसले पर, बजट पर बहस हो रही है इस समय केबिनेट स्तर के मंत्री नहीं रहें—यह अनुचित है। इस ओर मैं ध्यान दिलाता हूं। आप इस पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पर विचार करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वास्तव में यह गम्भीर बात है।

श्रीमती सुमित्रा : बिलकुल सही बात है केबिनेट स्तर का मंत्री होना चाहिए।

श्री सभापति : वैसे एक मिनिस्टर हैं, लेकिन केबिनेट मिनिस्टर को यहां होना चाहिए।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : बाकी के मिनिस्टर को भी होना चाहिए।

श्री विजयसिंह : उनके मुकाबले के ही है करीब करीब।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित रह कर इन तथ्यों को शायद सुनना नहीं चाहते क्योंकि इनको वह कटु समझते हैं। शायद वह नहीं चाहते हैं कि इन तथ्यों का वह उत्तर दें और अपने अन्त के भाषण में जिस प्रकार कल किया गया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो बातें इस सदन में कही गई, उनका

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

उत्तर न देकर जो स्लोगन हैं, वह स्लोगन मोंगरिंग करके उसको समाप्त कर दिया, उसी प्रकार जो वस्तुस्थिति है, जिसके सम्बन्ध में इस हाउस में इश्यूज उठाये गये हैं, उनका जवाब देने का प्रयास वह करना नहीं चाहते हैं। यह दुर्भाग्य की स्थिति है, यह टेकिनकल बात नहीं है। यहां एक मंत्री बैठे हैं और दूसरे नहीं बैठे हैं, यह टेक्निकल बात हैं और क्योंकि मंत्रियों की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं इसलिए एक को ही पर्याप्त समझ लिया जायगा। लेकिन यह उनके सोचने की बात है, जब सदन के अन्दर बजट पर बहस प्रारम्भ हो रही है, जनता के अभाव और महंगाई के प्रश्न उठाये जा रहे हैं, तो कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए, सभापति महोदय, उनको यह प्रदर्शित करना चाहिए, जबकि यह भाव उनके हृदय में नहीं है, लेकिन कम से कम जनता का ख्याल कर हम जो प्रश्न यहां उठायें, उनको सुनने का प्रयत्न करें ...

श्री विजयसिंह : खान की बात करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : स्थिति यह है, हम यहां बात करते हैं कि हमने गरीबी को मिटाने के लिए प्रयास किया, विकास किया, स्कूल, कॉलेज खोले। लेकिन आम आदमी का मापदण्ड यह है, वह यह देखता है कि वास्तविक स्थिति क्या है ? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैंने स्वयं ने जो देखा वह बताऊंगा, कुछ समय पहले किस प्रकार की हमारे यहां क्या स्थिति थी, चाहे कलाकार के द्वारा रंग डाल कर एक डैजर्ट को समुद्र बना दिया जाय, यह मंत्री महोदय कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, वह मैं बताऊंगा जिससे मालूम होगा कि दस साल में क्या अन्तर हुआ है।

दस साल पहले मैं जा रहा था कहीं पर, मरे हुए व्यक्ति की शमशान यात्रा के समय पिण्डदान के आटे के लड्डू के कुछ टुकड़े गिरे थे, तो मैंने एक जगह पर देखा, उस पिण्डदान के आटे के लड्डू के टुकड़ों के लिए कुत्तों के बच्चे आपस में लड़ रहे थे। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि उस आटे के लड्डू के टुकड़ों के लिए छोटे-छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे थे। उसके बाद छः माह पहिले मुझे फिर देखने का अवसर हुआ, वह बड़ी विचित्र स्थिति देखी, सभापति महोदय, मैंने यह देखा अब स्थिति यह हो गई है कि जो पिण्ड दान के आटे के लड्डू के टुकड़े सडक पर गिरे, उनको खाने के लिए कुत्तों के पिल्ले जैसे ही आये, उनकी ओर लपके और मुंह में ले लिया, उसी समय जो हिन्दुस्तान के गरीब इन्सान हैं, उनके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, बिलखते हुए, फटे हुए कपड़े पहिने हुए, वह उन कुत्तों के पिल्लों के मुंह से, सभापति महोदय, निकालने का प्रयास कर रहे थे इससे बढ़ कर दुर्भाग्य की स्थिति इस देश की नहीं हो सकती कि एक इन्सान कुत्ते के मुंह से झूठा टुकड़ा निकाल कर खाए, इन्सान झूठन को खाने का प्रयास करे, इन्सान खून को बेच कर अपना पेट पालने का प्रयास करे।

मै अपने जोधपुर शहर की बात करता हूं, वहां स्टेशन पर कई लोग सोते रहते हैं और वे बेचारे अपने खून को बेच कर अपना पेट पालन करते हैं। उनके पास कोई धंधा नहीं, रोजगार नहीं और सभापति महोदय, एक बार खून देने के बाद यह प्रावधान है कि 6 महिने तक खून नहीं दे सकते लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि उनके पास में कोई साधन

(श्री गुमानमल लोढा)

नहीं पेट पालन करने का इसलिए जोधपुर से जाकर पाली चले जाते हैं या अन्य किसी स्थान पर चले जाते हैं, वहां अपना नाम बदल कर कुछ समय के बाद अपना खून फिर दे देते हैं और इस प्रकार खून देते देते अपने आपको समाप्त कर देते हैं। यह स्थिति आज इस देश व राज्य की है। उस स्थिति को बदलने के लिए कौनसा उपाय है ?

पिछली योजना में 8 लाख लोगों को रोजगार दिया। जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्व-विद्यालय, कृषि व अन्य कॉलेजेज हर साल कितने व्यक्ति निकालते हैं और उन बेरोज-गार व्यक्तियों में से कितना पर्सेन्टेज एम्प्लाय-मेंट एक्सचेंजिज में जाते हैं और कितना पर्सेन्टेज सड़कों पर फिरते हैं ? आज से 5 साल पहले जो संख्या भारत में बेरोजगारों की थी वह थी 30.30 लाख, अब वह दो करोड़ तक पहुंच चुकी है और राजस्थान में आप कहीं पर भी चले जाइए—बेरोजगार इन्जीनियर, बेरोजगार डॉक्टर, बेरोजगार ग्रेजूएट्स, इन्टरमीजिएट व मैट्रिक की बात छोड़िए। लाखों की तादाद में डोलते रहते हैं, कोसते रहते हैं अपने भाग्य को कि ऐसे देश में पैदा हो गए जहां पढ़े लिखे आदमी को भी दो जून रोटी पाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के बाद, एक क्लर्क की, एक चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती।

सभापति महोदय, आज केन्द्र में बेरो-जगारों की योजना को समाप्त कर दिया। केन्द्रीय बजट व राजस्थान के बजट में कोई योजना नहीं तो फिर बेरोजगार युवक क्या करेंगे ? वे विद्रोही नहीं बनेंगे ? रोटी के लिए, रोजगार के लिए, धंधे के लिए जब एक शिक्षित युवक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से घूमता हुआ दूसरी जगह जाएगा, कार्यालयों में घूमेगा, सुबह से शाम तक तक चलता रहेगा और कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, सभी जगह ठुकराया जाएगा और हर प्रकार से उस पर अत्याचार किये जायेंगे तो वापस जाकर अपने मकान में देखेगा कि चूल्हा भी नहीं जल सकता तो विद्रोही बन कर सड़क पर खड़ा नहीं होगा? और उस समय यदि यह कहा जाए जैसे हमारे मुख्य मंत्री कहते हैं कि मैं अनुशासन चाहता हूं, उसके द्वारा प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहता हूं तो यह कैसे हो सकेगा ? भूखे भजन न होई गोपाला। भूखे व्यक्ति को अनुशासन नहीं समझ में आता, वह दो जून रोटी चाहता है।

किसान के पास जमीन नहीं है, वह जमीन चाहता है, जिसके पास खाद नहीं है वह खाद चाहता है, जिसके कुए पर बिजली उपलब्ध नहीं करवाई गई है, वह बिजली चाहता है। भाषण में या अन्य प्रकार से अनुशासन की बात कह कर आप इस स्थिति को टाल नहीं सकते। मुख्य मंत्री कहते हैं कि मैं अनुशासन चाहता हूं, कर्मचारी व विद्यार्थी अनुशासन में रहें तो क्या, मारो और रोने मत दो यह सिद्धांत पढ़ाना चाहते हैं ? आप चाहते हैं कि वे चुपचाप भाग्य के भरोसे पर रहें, हड़ताल न करें और प्रदर्शन न करें और जुलूस न निकालें। यह संभव नहीं है। चाहे कांग्रेस के मुख्य मंत्री कहें, चाहे भारतीय जनसंघ के कार्यकर्त्ता कहें, चाहे समाजवादी दल या अन्य पार्टी कहे। गुजरात का युवक इस बात का साक्षी है, वह किसी राजनैतिक दल या विशिष्ट राजनीति से प्रेरित नहीं है। वह किसी आइडियोलोजी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

को, कार्ल मार्क्स या श्यामाप्रसाद मुखर्जी व गांधीजी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता है। वह सड़क पर खड़ा होकर कहता है कि यदि हमारे लिए दो जून धान मुहैया नहीं करते तो ऐसी विधान सभा को भंग कर दो जहां नेता व प्रतिनिधि तो वाद-विवाद करते रहें, बजट व एक्ट्स बनाते रहें लेकिन घरों में चूल्हा नहीं जले, पेट के अन्दर चूहे कूदते रहें। इसलिए वहां क्रांति हो रही है। इसलिए विधायकों को निकाल कर गधों पर बिठा कर, उनके बाल काट कर, उनका मुंह काला करके, सड़कों पर घुमाया जाता है, क्योंकि वह एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को नहीं चाहता जहां केवल एयरकन्डीशन्ड कमरों में बैठ कर वाद-विवाद चलता रहे। एक भूखा व्यक्ति राशन चाहता है। राशन मुहैया नहीं करायेंगे तो न वह न अनुशासन का पालन करेगा न हम पालन कर सकेंगे और राजस्थान के मंत्री और विधायक—सब लोगों के सामने समस्या आएगी आज नहीं तो कल आएगी। जो सड़कों पर लिखा हुआ है, जो दीवारों पर लिखा हुआ है, जो गुजरात से आ रहा है, उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हम केवल नारेबाजी में रहते हैं, स्लोगन-मंगरिंग से काम नहीं चल सकता।

कल यहां पर कहा गया कि जो हमारे ऊपर स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति से हम पार पड़ने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। लेकिन आपके पास तरीका क्या है ? आमूलचूल परिवर्तन की बात बार बार दुहराई जाती है। कोई नया मंत्री आता है तो वह कहता है कि मैं अपने विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करूंगा, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, खाद्य वितरण में, खानों के एलॉटमेंट में आमूलचूल परिवर्तन करूंगा। यह केवल ढकोसला है, ढोंग है। कोई भी आदमी परिवर्तन नहीं करना चाहता है। वह चाहता है येन केन प्रकारेण मेरा पद मंत्रिमंडल में कायम रहना चाहिए। इसलिए जनता जब कुछ कहेगी तो मीठी बात कहेंगे, समाजवाद की बात कहेंगे, प्रगति और विकास की बात कहेंगे, कर्मचारियों के बारे में बार बार जब महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार बढ़ाती है तो राज्य सरकार क्यों नहीं बढ़ाती ? आंदोलन करने के बाद में क्यों ? गरीब कर्मचारियों के लिए राशन की व्यवस्था, सस्ते धान की व्यवस्था क्यों नहीं उपलब्ध कराते ? एक कर्मचारी सुबह से शाम तक सेक्रेटेरियट में या विभिन्न कार्यालयों में काम करता है, शाम को जाकर बड़ी बड़ी कतारों में खड़ा होता है, कहीं सीमेन्ट की, कहीं धान की, कहीं वनस्पति की कतार, कहीं घासलेट की कतार। उसके बाद उत्तर मिलता है कि घासलेट समाप्त हो गया। घासलेट समाप्त नहीं होगा। वह घासलेट जिसको समाप्त करने का स्वांग किया जा रहा है, यह विद्यार्थी घासलेट की न मिलने वाली परेशानी की स्थिति को बदलेगा ...

श्री भगराज चौधरी (रानी वाडा) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। सभापति महोदय, टाइम पार्टीवाइज निर्धारित किया गया है, नियमों में ऐसा प्रावधान है, फिर भी जनसंघ के नेता बोलते जा रहे हैं, उनको करीब 1½ घंटा हो गया, उनको औरों का समय लेने की इजाजत नहीं है ...

श्री सभापति : यह पॉइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। समय देखना आसन का काम है। जो

(श्री सभापति)
समय निर्धारित किया हुआ है वह पूरा नहीं हुआ है। वह अपनी समय सीमा में बोल रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि जो भी समय निर्धारित किया गया था उसी के अनुसार ही समय दिया जा रहा है। मैं सभापति की सीट पर जब 12 बजे बैठने लगा तो मैंने अध्यक्ष महोदय से पूछ लिया था कि कितना कितना समय निर्धारित किया गया है। उस समय उन्होंने मुझे बता दिया था कि इस में लिखित में दिया हुआ है। इसलिये जो लिखित में दिया हुआ है उतना समय दिया जा रहा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, इतना समय जो मुझे बोलने में इन्टरवीन किया गया है उस समय को इसमें से एक्सक्लूड किया जाय तो सभापति महोदय, मैं भ्रष्टाचार के बारे में कुछ निवेदन कर रहा था। आज सभापति महोदय, राजस्थान में भ्रष्टाचार का ऊपर से नीचे तक बोलबाला है। इसके लिये मैं सदन में एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं जयपुर में जो उपभोक्ता भण्डार है उसके बारे में। इस को-ऑपरेटिव का मैनेजमेन्ट को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है और आज वह अगर नुकसान में जाता है तो अन्ततोगत्वा उसका भार सभी जनता पर ही पड़ता है।

सभापति महोदय, इस जयपुर के उपभोक्ता भण्डार में कुल मिला कर 13 लाख 22 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। अगर हम इस नुकसान के कारणों की मीमांशा करें तो पता चलेगा कि आज जितने भी को-ऑपरेटिव सैक्टर में काम हो रहा है उसमें जनता के धन का भयंकर दुरुपयोग किया जा रहा है चाहे इसमें आप को-ऑपरेटिव बैंक्स को ले लें चाहे को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को लें। इन सभी में आज जनता के धन को ड्रेनेज किया जा रहा है इसका कोई सुनने वाला नहीं है। आज जयपुर के को-ऑपरेटिव भण्डार के नुकसान के कारणों की मीमांसा करें तो उसमें एक कारण यह दिया गया है कि वहां पर कुप्रबन्ध होने की वजह से यह नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पहला तो विक्रय मूल्यों को उचित रूप से अंकन नहीं करना, अनुचित रूप से माल की कमी स्टाफ द्वारा करना, विभागीय निर्देशों और आदेशों की अवहेलना करना तथा कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार करना। अन्न की मात्रा में कम खरीद तथा धन का अपव्यय करना आदि 2 हैं, इसमें यही नहीं अनेक कारण बताये हैं।

सभापति महोदय, अब मैं इसके संचालक मण्डल में कौन कौन सदस्य हैं इसके बारे में निवेदन करूंगा। सहायक रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव विभाग, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, श्री हरिनारायण व श्री रूपनारायण पान्डे, वगैरह कई लोग हैं। तो सभापति महोदय, जब राज्य सरकार के अधिकारी इसमें सदस्य हों तो इसमें नुकसान किस प्रकार हुआ उन लोगों के खिलाफ में क्या एक्शन लिया गया। इसी प्रकार सभापति महोदय, आज राजस्थान का जो संचालक मण्डल है वह भी पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। आज पब्लिक मनी को ड्रेनेज किया जा रहा है। आज

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

राजस्थान में राजनैतिक रूप से भ्रष्टाचार किया जाता है। आज इस प्रकार की कार्यवाही सारे राजस्थान प्रदेश में ऊपर से नीचे तक फैली हुई है और जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। दिस इज ए फ्रॉड। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें तबदीली का जानी चाहिये। आज हमारी जो योजनायें हैं उन्हें वास्तविकता देने की जरूरत है। आज हमारे यहां का विकास अवरुद्ध हो गया है जो योजनायें चल रही थीं वह बन्द करदी गयी हैं ऐसा बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया।

सभापति महोदय, अगर सारे कार्य बन्द कर दिये गये तो हमारी प्रगति कैसे होगी? और जब जब हम सदन में विकास की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो यहां पर यह कहा जाता है कि अर्थ की कमी है। क्या अर्थ की कमी मन्त्रियों के दौरों के लिये नहीं होती, मंत्रियों के घूमने और सैर सपाटे के लिये इम्पाला गाड़ियों के खरीद में कमी नहीं होती, क्या मन्त्रियों के भाषण, उद्घाटन, चाटन के कार्यक्रमों में कमी नहीं होती? सभापति महोदय, आज यही कारण है जिससे साधारण जनता में आक्रोश है, साधारण मजदूर में, विद्यार्थियों में भयंकर रूप से आक्रोश है।

सभापति महोदय, आज करेप्शन इतना फैल गया है जिससे राजस्थान की जनता बहुत ही परेशान है। आज सभापति महोदय जो राज्य सरकार द्वारा फूड एडवाइजरी कमेटी बनायी गयी थी उसने कोई कार्य नहीं किया। उसकी रिपोर्ट क्या थी कोई कार्यवाही नहीं की गयी इस प्रकार आज डेमोक्रेसी का मखौल उड़ाया जा रहा है। आज डेमोक्रेसी को समाप्त करके अधिनायकवाद की तरफ देश बढ़ रहा है। सभापति महोदय, आज हमें राजस्थान को आगे बढ़ना है, राजस्थान के पिछड़े वर्ग को ऊपर उठना है, गरीबी मिटाना है तो हमें हमारी योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। हमें अपनी योजनाओं को वास्तविक रूप देना होगा। हमें बेरोजगारी को मिटाना है, भूखमरी को हमें मिटाना है तो वित्त मन्त्री महोदय को चाहिये कि अपनी योजनाओं में आमूल चूल परिवर्तन करें सभापति महोदय, राज्य सरकार के लोक आयुक्त और उप लोकआयुक्त आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वहां कोई काम नहीं हो तो इन पदों को समाप्त किया जाना चाहिये ताकि जनता का पैसा वेस्ट नहीं हो इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां भी जिस प्रकार पंजाब में करप्शन के लिये हरचन्दा कमेटी बनायी गयी थी उसी प्रकार यहां भी कमेटी बनायी जाय जो कि इन बड़े बड़े राजनेताओं और बड़े राज्य के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले जिन्होंने कि बेचारे गरीब लोगों की जमीनों को हड़प ली और बड़े बड़े फार्मों के मालिक बन बैठे हैं। आज जो जमीन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को अलॉट हुई थी उस पर इन लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है। मैं सभापति महोदय, राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके लिये कमेटी बनाकर इसकी जांच की जानी चाहिये। आज जो पब्लिक मनी का दुरुपयोग

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

किया जा रहा है उसे रोका जाना चाहिये आज जो राजस्थान में विकास की स्थिति ऐसी हो गई है कि इट इज ए होलीडे फॉर डेवलपमेन्ट। सभी कार्य बन्द कर दिये हैं उन्हें शुरू करने की आवश्यकता है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं समझता हूं सभापति महोदय, राजस्थान में भी गुजरात वाली स्थिति पैदा हो जायेगी और जनता इस सरकार को बदल कर रहेगी। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं बजट के इस सामान्य वाद-विवाद पर जो चर्चा चल रही है, उस पर अपने विचार प्रकट करूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय को एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं वह यह है कि वित्त मंत्री महोदय ने जिन विषम परिस्थितियों में इस बजट को पेश किया है उस बजट में इस वर्ष की परिस्थितियों को देख कर यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस साल बजट में नये कर नहीं लगाये जायेंगे। सभापति महोदय, जब वित्त मन्त्री जी बजट का भाषण सुना रहे थे तो कई माननीय सदस्यों के मन में उथल पुथल हो रही थी और उसका होना स्वभाविक भी है। कई कई बार तो ऐसा लगता कि अब कोई न कोई नया कर लगने का प्रस्ताव आने वाला है। पर जब नये कर का प्रस्ताव नहीं आता तो थोड़ा चैन आता। वित्त मन्त्री जी ने बजट भाषण ऐसे डेमोक्रेटिक वे में प्रस्तुत किया कि हर वक्त नये कर के लगने का खतरा बना ही रहता पर यह बहुत ही खुशी की बात है कि कोई नये टैक्स की घोषणा नहीं की गई। टैक्स लगने की सम्भावना इसलिए थी कि अभी पिछले सालों में हमारे देश में मुद्रा स्फिति बहुत हुई और इसके अलावा बंगला देश के लोगों के लिए जो हमारी भारत सरकार ने खर्च किया उससे भी हमारे देश में एक आर्थिक संकट आगया। इन सभी कारणों से हमारा देश महंगाई की भारी चपेट में आ गया। इसके अलावा हमारे यहां पर आज कल आये दिन हड़तालें व तालाबन्दी व बन्द वगैरहा होने से उत्पादन में निरन्तर कमी आ रही है, उसके साथ साथ हमारे यहां पर अकाल हमेशा पड़ता रहता है और कहीं कहीं पर अतिवृष्टि के कारण भी काफी धन खर्च राज्य सरकार को करना पड़ा इसके अलावा अभी शीत लहर ने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है इन सभी कारणों से महंगाई बढ़ती जा रही है। सभापति महोदय, महंगाई बढ़ने के इसके अलावा एक कारण और भी है वह यह है कि हमारे देश में दो प्रकार धन बाजार में चल रहा है एक तो सफेद धन जो कि बहियों में है और जिस पर सभी प्रकार का टैक्स चुकाया हुआ होता है दूसरा काला धन जो कि इसी सफेद धन के साथ सामानान्तर रूप से बाजार में चल रहा है जिसके कारण महंगाई और अधिक बढ़ती जा रही है। आज लोग इसी काले धन से काफी मात्रा में अनाज वगैरहा रोजमर्रा की जरूरतमन्द चीजों को होर्डिग कर लेते हैं और उनका बाजार में अभाव पैदा करके चीजों को महंगाई भाव में बेचा जाता है।

(1.50 बजे)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

इसलिए मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि ऐसे जमाखोरों से, समाजद्रोहियों से

(श्री मनोहर कोठारी)

जागरूक रहना चाहिये। सभापति महोदय, इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों को बड़े बड़े राजनेताओं का समर्थन भी प्राप्त होता है इसलिए राज्य सरकार इस संबंध में सोचे और सोच कर सही मायने में हमारे देश में इस महंगाई के विरुद्ध एक अभियान शुरू करें। हर चीज के भाव आसमान को छू रहे और मानव रसातल में पहुँचता चला जा रहा है। हमारे सामान्य जन की हालत क्या होती है जिनको रोज मेहनत करके थोड़े धन पर काम चलाना पड़ता है। उनके सामने समाज के रीति - रिवाज और समस्यायें होती हैं। इस महंगाई के युग में वे अपना जीवनयापन नहीं कर सकते हैं यह निश्चित बात है, सभापति महोदय।

मैं चाहता हूं, यदि हम आप कुछ इस पर विचार करना चाहें और राजस्थान सरकार जागरूक होकर कुछ करना चाहें तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो जमाखोरी करते हैं उनके गोदामों पर छापे मारे जायं और यह मालूम किया जाय कि जो सामान उन्होंने एकत्रित किया है वह बहियों में आया है या खाद्यान्न के अन्दर लगा हुआ है।

सभापति महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो यह शासन तन्त्र है उससे तो यह होने वाला नहीं लगता है। मुझे क्षमा करें, हमारी राज्य सरकार ने हमारे सब ही अधिकारी वर्ग को यह समझ रखा है कि यह सब ही कामों में निष्णात है और पारंगत हैं। परन्तु इस कार्य के लिए आपको एक स्पेशल मशीनरी इन्वॉल्व करके इस समस्या का हल ढूंढना पड़ेगा और वह तब ही संभव हो सकता है जब निष्णात और कर्तव्य परायण व्यक्तियों को, चाहे वे किसी भी विभाग में हों, एकत्रित करके अन्दर इसके लाकर जनता की समस्याओं के प्रति उनका कोई कारगर सहयोग लें।

यह बात निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने कही है कि महंगाई और भ्रष्टाचार सामाजिक और राष्ट्रीय रोग हैं और राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में सब ही दलों से सहयोग की कामना की है। जब मैं विरोधी दलों के विचार सुनता हूं तो वे क्रियात्मक विचार प्रस्तुत नहीं करते है बल्कि तोड़ फोड़ की बात करते हैं। राजस्थान में जनता शान्ति के साथ मुसीबत के दिन काट रही है वहां भी उनको बहकाने की बात की जाती है जो यह किसी दल के लिए वान्छनीय नहीं है। जब प्रदेश पर संकट है तो सब ही को मिल कर सख्ती से उसका मुकाबला करना पड़ेगा परन्तु थोथी वाहवाही लूटने के लिए लोगों के मानस को उभाड़ना, उचित नहीं होगा।

एक बात, लेवी के एकत्रित करने की बात कही गई। यह बात सही है कि खाद्यान्न के सही तौर पर उपलब्धि के लिए लेवी लेकर बफर स्टाक रखना होगा और तब ही सबको अन्न मुहैय्या कर सकते है परन्तु एक तरफ विरोधी दल इसका विरोध करते हैं और दूसरी तरफ अधिक खाद्यान्न देने की бात करते हैं। यह दोनों ही बातें परस्पर विरोधी हैं। कुछ सोचना चाहिये होर्डिंग और प्रिवेन्शन ऑर्डर के तहत। राज्यपाल के अभिभाषण में भी संकेत था कि राज्य सरकार क्या कदम उठाना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश द्रोही और समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध क्या सक्षम कार्यवाही की गई अभी तक

(श्री मनोहर कोठारी)

भी इसकी सूचना सदन को नहीं मिली है। यह कहा गया कि ऐसे लोगों को हथकड़ी डालकर बाजार में फिरायेंगे किन्तु कितने लोगों को हथकड़ी डाल कर बाजार में फिराया गया ? इसकी सूचना नहीं मिली है। मैं चाहता हूं कि सख्ती के साथ और तेजी के साथ काम करें और यदि कुछ इस प्रकार के लोगों को सजा मिल गई तो आम लोगों से आपको सहयोग मिलेगा और समस्या का समाधान भी हो सकेगा।

लेवी के साथ ही खाद्यान्न वसूली का सवाल आता है। इसके सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं। राज्य सरकार को लेवी वसूली में कष्ट होता है परन्तु लैंड रेवेन्यू जो एक किसान से राजस्व आप वसूल करते हैं तो आप उस राजस्व को अन्न के रूप में क्यों नहीं वसूल करते हैं। पैसे के रूप में राजस्व वसूली की बात क्यों करते हैं ? दस करोड़ का राजस्व हमारे राजस्थान प्रान्त का होता है। यदि खाद्यान्न के रूप में राजस्व की वसूली करने लगेंगे तो काफी हद तक खाद्यान्न की समस्या हल हो सकती है। साथ ही यह भी चाहिये कि जिन काश्तकारों से आप लेवी वसूली करते हैं, जो आपके साथ सहयोग करते हैं उन सब काश्तकारों को दूसरी सब सुविधायें भी आप मुहैया करिये जिससे अन्य काश्तकार भी आगे आवेंगे और लेवी देने के लिए तैयार हो जावेंगे। आज के काश्तकार को समय पर खाद मिले नहीं, बीज मिले नहीं और अन्य साधन सुविधायें मिले नहीं और हम यह चाहते हैं कि सस्ते भाव में लेवी वह काश्तकार दें तो कठिन होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन काश्तकारों के लिए ऋण से लगाकर खाद, बीज आदि की समुचित व्यवस्था आप करें उसके लिए काश्तकार को तकलीफ न उठानी पड़े, उसको मारा मारा न फिरना पड़े ऐसी समुचित व्यवस्था आपको करना चाहिये।

चतुर्थ योजना अवधि की समाप्ति तक हमारे वित्त मंत्री जी ने 7 मध्यम सिचाई योजनाओं के जहां मुकम्मिल हो जाने की बात कही है वहीं उन्होंने 30 लघु सिंचाई योजनाओं को प्रारम्भ करने की बात भी मानी है।

बिजली के सम्बन्ध में भी बात कही गयी कि बिजली में काफी विकास हो रहा है। वे चाहते हैं कि आगामी वर्ष में बिजली का और विकास हो और 15 हजार कुओं में बिजली सन् 1974-75 के वर्ष में देने की बात करते हैं।

बिजली की सुविधा आप काश्तकार को दें, सिंचाई की सुविधा आप काश्तकार को देते हैं, बीज की सुविधा आप काश्तकार को देते हैं तो खाद्यान्न अधिक पैदा होगा और उसमें कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि योजना के लिये बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। हर वर्ष अकाल पड़ता है उसको रोकने के लिये क्या वे कोई मुकम्मिल स्थाई योजना नहीं बना सकते ? अतिवृष्टि का जहां तक प्रश्न है उसके लिये तो कोई योजना नहीं बनाई जा सकती क्योंकि यह तो एक दैवीय प्रकोप है। परन्तु खाद्यान्न उत्पादन की अच्छी स्थिति उस समय शीतलहर ने काश्तकारों को मारा। शीतलहर से फसलों को बचाने के लिये कृषि विभाग क्यों नहीं सोचता है ? विन्ड ब्रेकर्स जगह जगह स्थापित करने की योजना क्यों नहीं

(श्री मनोहर कोठारी)
बनाता है ? विन्ड ब्रेकर्स विदेशों में भी चलते हैं। इसको जगह जगह लगा कर आप अपनी फसलों को शीतलहर से बचा सकते हैं।

खनिज के लिये भी बात कही गई है। मैं निवेदन करूं कि वास्तव में वसुन्धरा राजस्थान की भूमि खनिज के माने में बहुत समृद्ध है। जगह जगह पर हमें दुर्लभ खनिज भी उपलब्ध हो जाते हैं। एक बात कहना चाहता हूं। झामरकोटड़ा में रॉक फॉस्फेट की उपलब्धि वास्तव में संतोष की बात है है। इस बार नये कर नहीं लगे इसका एक श्रेय झामरकोटड़ा के रॉक फॉस्फेट की माइन को दिया गया और दिया भी जाना चाहिये।

लेकिन सभापति महोदय, हमारे यहां और भी कई ऐसे मिनरल उपलब्ध हैं जैसे उदयपुर जिले में बेराइटीज का इन्हीं दिनों बड़ा लम्बा चौड़ा भण्डार मिला है। यह मिनरल रंग और वारनिश का बेस है। पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन में काम आता है। पर खेद यह है कि इस सम्बन्ध में राज्य का खनिज विभाग आज भी यह सोच नहीं पाया है कि इसका पूरा उपयोग राज्य में किस तरह से किया जाय। हमारे खनिज विभाग के मन्त्री महोदय यहां विराजे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वे इस बारे में सोचें और केवल रॉयल्टी ले लेना और टैक्स वसूल कर लेना यहीं तक अपना कर्त्तव्य मानकर चुप न बैठे रहें। अब तक यही हम करते रहे हैं कि कच्चा माल निकाला और दूसरी जगह भेज दिया। रॉयल्टी लेकर ही सन्तोष न कर लें। बल्कि इसका एक प्लान्ड वे में एक फेज्ड प्रोग्राम बनाकर चलें कि जिससे यहां के मिनरल की अन्तिम प्रोसेसिंग भी यहां हो और उसका फिनिश्ड गुड्स बाहर जा पावे। ताकि उसका लाभ यहां के टैक्निकल लोगों को जो बेकार बैठे हैं उनको मिल सके और बेरोजगारी भी दूर हो सके। इसके अन्य कई बाई प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जिनमें इस विषय के जानकार इन्जीनियरों को काम दिया जा सकता है। सरकार को भी इससे लाभ होगा रायल्टी एवं अन्य टैक्सों के रूप में। तो मेरा निवेदन यही है कि इस बारे में शीघ्र ही सरकार उचित निर्णय ले और इस दिशा में पूरा प्रयत्न करे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : आप पांच मिनिट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री मनोहर कोठारी : मैं थोड़ा अधिक समय लूंगा। एक माननीय सदस्य ने, जिनकी पार्टी को जो समय दिया गया उसमें से 1 घंटा दस मिनिट लिये हैं।

श्री सभापति : यह उनकी पार्टी का समय था। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सूची आई है उसमें सभी को बोलने का मौका मिले आसन यह चाहता है। वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : दूसरी बात यह है कि मिनरल की लीजेज ग्रान्ट होती हैं। मुझे मालूम है कि कईयों में स्पेशल कण्डीशन इम्पोज की जाती है कि उस मिनरल के केस पर वह प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री लगावेगा और तीन चार वर्ष की अवधि में वह इण्डस्ट्री लग जावेगी। पर दुर्भाग्य यह है कि पट्टा ग्रान्ट करने के बाद विभाग को कोई चिन्ता नहीं रहती। वे इस स्पेशल

(श्री मनोहर कोठारी)

कण्डीशन की पूर्ति करने की तरफ नहीं देखते। इस तरह से हमारे यहां का अधिक धन कच्चे पदार्थों के रूप में बाहर चला जाता है। मिनरल उत्पादन का जो पूरा लाभ हमें मिलना चाहिये था उससे राजस्थान वंचित रह जाता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की सुदृढ आर्थिक स्थिति को बनाने के लिये इस सम्बन्ध में राज्य सरकार पूरी तरह से विचार करे।

सभापति महोदय, हॉफ ए मिलियन जॉब में इस वर्ष 1974-75 में 20 हजार लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। राजस्थान शिक्षा के मामले में एक पिछड़ा प्रदेश गिना जाता था। हमने काफी ध्यान देकर शिक्षा का यहां विकास किया। कई शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाये। आज जब यह स्थिति है कि हम अर्द्ध शिक्षित बने हैं। हमारे यहां एक तरफ गांव में आज भी डॉक्टर नहीं है, दूसरी तरफ डॉक्टर सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है।

यहां विकास की योजनाएं शुरू ही नहीं की गई हैं। जो की गई हैं वे भी अधूरी पड़ी हैं, पैसा मिल रहा है, पर उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, दूसरी तरफ इन्जीनियर मारे मारे फिर रहे हैं। एक तरफ पैसा हमें दिया जा रहा विकास के लिए, दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर और इन्जीनियर सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, इन दोनों में क्या सम्बन्ध हैं? यदि राज्य सरकार चाहती है कि विकास की दृष्टि से बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो और प्रदेश का विकास भी हो तो इन पढ़े लिखे बेरोजगार डॉक्टरों और इन्जीनियरों आदि का समुचित उपयोग लेना पड़ेगा।

रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाएं हाथ में लेने की बात कही गई है, जो वास्तव में स्वागत योग्य है। मैं चाहता हूं कि योजनाएं केवल कागजों में ही नहीं रह जावें। आपको स्मरण होगा गत वर्ष राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में 72 के वर्ष में हमारी स्वतन्त्रता की 25वीं वर्षगांठ के वर्ष में यह घोषणा की थी कि हर ब्लॉक में से हम दो गांवों को आदर्श गांव के रूप में परिणित करना चाहते हैं। पर खेद की बात है कि एक ब्लॉक में दो गांवों की बात तो दूर रही, सारे राजस्थान में एक भी गांव ऐसा नहीं बन पाया है आज दिन तक जिसे आदर्श कहा जा सके। केवल सारी योजनाएं कागजों में ही धरी रह गई, घोषणा भी अभिभाषण में ही पड़ी रह गई।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आदर्श कभी बनते हैं क्या दुनियां में। वे तो आदर्श ही रहते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आदर्श केवल घोषणाओं में करने के लिये ही होते हैं। क्रियान्वित करने के लिये नहीं।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : मैं चाहता हूँ कि इस ओर सरकार सोचे।

राज्य पथ परिवहन निगम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर लेने की बात कही गई। और आने वाले वर्षों में शत प्रतिशत के राष्ट्रीयकरण की भी बात कही गई। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ राज्य की वित्तीय स्थिति संकटग्रस्त बताई जा रही है। दूसरी तरफ जिन चीजों के राष्ट्रीयकरण से हमारी आय के स्रोत

(श्री मनोहर कोठारी)

बढ़ सकते हैं उस तरफ हमारी गति अत्यन्त मन्द है। आज जितने भी मार्गों पर हमारी बसें चलती हैं उनकी सर्विस को चैक करने का उचित प्रबन्ध हम नहीं कर पा रहे हैं। सभापति महोदय, आये दिन हम देखते हैं कि जितने व्यक्ति सफर करते हैं उनमें से बहुत कम व्यक्तियों के टिकट काटे जाते हैं। बाकी पैसा लोगों की जेबों में चला जाता है। इसके अतिरिक्त भी काफी घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकायतें इस विभाग की आये दिन हम सुनते हैं, इससे हमारी आय तो कम होती ही है, पर टैक्सों का नुकसान और अलग से होता है। इस पर आश्चर्य यह है कि इतने इच्छे तारकोल के रास्तों पर हमारी बसें चलती हैं फिर भी उचित देख भाल के अभाव में हमारी बसें एक साल में ही खराब हो जाती हैं। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं बच पाता कि हम उनकी उचित मरम्मत कर सकें। तो इन सब कामों को भी ठीक तरह से चलाने के लिये सरकार उचित प्रबन्ध की दृष्टि से कुछ ठोस कदम उठाए। राष्ट्रीयकरण का मैं स्वागत करता हूं। पर हमारे पास मशीनरी इतनी अच्छी होनी चाहिये कि जो सारी प्रणाली की उचित देखभाल कर सके और ठोस आमदनी का अंग इस पथ परिवहन निगम को बनाया जा सके। सरकार को भी इससे लाभ मिल सकेगा, जनता को भी अधिक सुख सुविधा मिल सके।

राजस्थान के तीन बड़े शहरों में एनविरनमेन्टल इम्प्रूवमेंट की योजना की बात कही गई। हम बड़े बड़े शहरों का विकास पिछले 25 वर्षों से अनाप शनाप रूप से करते आये हैं। मैं एक ऐसे कस्बे से आता हूं कि जो राजस्थान में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान गिना जाता है। धार्मिक दृष्टि से सारे देश में उसका दूसरा नम्बर है। उस नाथद्वारा के लिये मैं बार बार निवेदन कर चुका हूं कि इसे भी एक साफ सुथरा नगर बनाया जाय ताकि आने वाले यात्रियों के लिये भी वह सुविधाजनक बन सके और वहां के नागरिक भी सुख चैन से रह सकें। जयपुर नगर को आज भी गुलाबी रंग से रंगने के लिये 8 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। पर जो कस्बा बरसों से गली कूचों में रात दिन एकत्र होने वाली गन्दगी के बीच सड़ रहा है उसको साफ सुथरा बनाने की जरा भी चिन्ता इस सरकार को नहीं है। मैं चाहता हूं कि एनविरनमेन्टल इम्प्रूवमेंट के अन्तर्गत छोटे कस्बों के विकास की योजनाएं भी आपको बाकायदा करनी पड़ेंगी। नहीं तो वहां लोगों में असन्तोष घर करता जावेगा जिसका विस्फोट आगे जाकर किस रूप में हो जाय यह कोई नहीं कह सकता।

विश्वविद्यालय, उदयपुर की बात भी यहां कही गई। सभापति महोदय, इस विश्वविद्यालय की स्थिति वास्तव में बड़ी दयनीय है। वहां की स्थिति आज इस सीमा तक पहुंच गई है कि वहां के विद्यार्थियों में ही असन्तोष नहीं है, अध्यापकों में भी असन्तोष है, जनता में भी असन्तोष और आक्रोश है। एक तरफ सरकार इसको काफी पैसा देना चाहती है और दूसरी तरफ वहां के अधिकारीगण उसे लेना नहीं चाहते। एग्रीकल्चर रिसर्च के लिये दो करोड़ रुपया उसे मिला। इसमें से 1 करोड़ 20 लाख रुपया इसलिये लैप्स हो गया कि वहां के वाइस चान्सलर जैसा जिम्मेदार व्यक्ति इसे

(श्री मनोहर कोठारी)

नहीं चाहता था कि यह विश्वविद्यालय उदयपुर में रहे। इसके लिये कई तरह के षडयन्त्र चल रहे हैं। जिस समय वल्लभनगर में कृषि फार्म स्थापित किया गया वहां की जमीन को देख कर उसे इस फार्म के लिये अत्यन्त उपयुक्त स्थान माना गया था। कई पौधों पर बहुत अच्छे परीक्षण वहां किये गये। 100 के करीब अंगूरों की पौध को डवलप किया गया। दूसरे दूसरे कई फूल पौधों को डवलप किया गया। अमेरिका के वैज्ञानिकों तक ने जिसको सराहा और दुनिया भर के वैज्ञानिकों तक ने इनके रिसर्च को महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में माना। पर दुर्भाग्य है कि आज उस कृषि फार्म को ताला लगा दिया गया है। यह कहा जाता है कि यहां पर केवल घास पैदा करके डेजर्ट को विकसित किया जावेगा। मैं समझता हूं सभापति महोदय, कि हमारे यहां मेवाड़ में उदयपुर के प्रदेश में पहाड़ों की बहुलता है और घास वहां स्पोन्टेनियस पैदा हो जाता है स्कीमों की जरूरत ही नहीं है वहां घास पैदा करने की। पर आज षडयन्त्र इस आड़ में यह चल रहा है कि वह कृषि फार्म अन्यत्र 3 हजार एकड़ जमीन तलाश करके ले जाया जाय।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को विचार करना चाहिये और तो और वहां अन्दरूनी और कई बातें हैं। अध्यापकों, छोटे कर्मचारियों और वहां के विद्यार्थियों के बीच जिस तरह का आतंक का वातावरण फैला हुआ है उस पर से मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसका तुरन्त कोई समाधान निकाले नहीं तो इसके परिणाम भयंकर निकल सकते है। इस वाइस चान्सलर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गम्भीर आरोप हैं और वे प्रमाणित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के विजिलेन्स कमीशन ने इस बात की घोषणा कर दी है और उसने राजस्थान सरकार को इस बात की सिफारिश की है कि उनके खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 409, 420, 17 बी., 120 बी और 477 ए में चालान किया गया है।

क्या हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालय में ऐसे व्यक्ति को कि जिसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं वह वाइस चान्सलर रहे। मैं समझता हूं यह हमारे लिये एक विचारणीय प्रश्न जरूर है और राज्य सरकार इस सम्बन्ध में जरूर कुछ करेगी।

हॉस्पिटल के विकास की बात कही गई और कहा गया कि कुछ ऐसे प्राईमरी हैल्थ सैन्टर हैं जिनको 30 शैय्याओं के रूप में परिणित करने का विचार रखती है। सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार को एक निवेदन करना चाहता हूं नाथद्वारा के जनाना अस्पताल में एक—एक डॉक्टर है और आज के 50 वर्ष पहले भी वहां एक डॉक्टर था। इस बढ़ती हुई आबादी के बाद और आने जाने वाले यात्रियों के काफी अनुपात के बढ़ने के बाद भी एक ही डॉक्टर रहे तो यह एक विचारणीय प्रश्न है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं राज्य सरकार से और मैंने बार बार कहा है और मैंने रिप्रजन्टेशन किये हैं कि नाथद्वारा को टेम्पिल टाउन बना दीजिये, राजस्थान के नकशे में एक ऐसी स्थिति दे दीजिये जिससे आने वाले यात्री और वहां के लोग विकास के बारे में सोच सकें, लेकिन राज्य सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। वहां

(श्री मनोहर कोठारी)
आज की स्थिति में भी एक ही डॉक्टर रहे चाहे वह किसी मरीज को देखने जाय, चाहे वह किसी अदालत की पेशी में जाय। लोग मरते रहें, इसकी सरकार को चिन्ता नहीं इसलिये मैं कहना चाहता हूं नाथद्वारा में मैडीकल फेसीलिटि देने के सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता है और इन परिस्थितियों में जबकि बाहर के लोग नाथद्वारा में आते हैं और जो राजस्थान के गौरव का प्रतीक है, इस भावना के लिये भी राज्य सरकार ने वहाँ कोई पैसा खर्च नहीं किया है। जो कुछ भी आज तक नाथद्वारा का विकास हुआ है वह वहीं के लोगों के द्वारा हुआ है। स्कूल भवन, कॉलेज भवन, चिकित्सालय भवन आदि भी वहां के सेठों ने ही बनवाये हैं और राज्य सरकार ने उसके सम्बन्ध में अब तक विचार नहीं किया....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पांच मिनिट और लूंगा। सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जहां नाथद्वारा का विकास नहीं हुआ सो तो नहीं हुआ लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पुलिस विभाग के रि-ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धान्त रूप में मानने की बात कही गई है और जब रिपोर्ट को देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ नाथद्वारा में सी. आई. का जो दफ्तर है, उसको हटाया जा रहा है। इसका मतलब नाथद्वारा में सी. आई. का दफ्तर नहीं रहेगा, नाथद्वारा में अस्पताल नहीं रहेगा, यह कोई अच्छी व्यवस्थायें नहीं हैं और मैं इस स्थिति को कतई उचित नहीं समझता हूं। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो शान्ति बनाये रखने के लिए भी राज्य सरकार को बाहर से लाना पड़ेगा। मैं समझता हूं राज्य सरकार को कई बार मुसीबत से मुक्ति मिल जाती है इसलिए सी. आई. के दफ्तर का होना जरूरी है।

हल्दीघाटी जो सारे देश का गौरव है और सारे देश का ही नहीं विश्व का गौरव कहा जा सकता है वहां थर्मापोली की बात कही जाती है। वह हजार थर्मापोली हल्दीघाटी में हैं। इस हल्दीघाटी के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते जहां देश विदेश के सैनानी आते हैं और हल्दीघाटी में जाकर निराश लौटते हैं। सभापति महोदय, जब एक बार पं. मदन मोहन मालवीय हल्दीघाटी आये और हल्दीघाटी की पीली मिट्टी में लोट-पोट हुये और यह कहा कि इस हल्दीघाटी की यह दुर्दशा। पर्यटन की दृष्टि से डाक बंगले, सेन्च्यूरीज बनाते हैं और दूसरी तरफ हल्दीघाटी को कृश कर देते हैं तो यह कहां तक उचित है सभापति महोदय? मैं चाहता हूं राज्य सरकार इस सम्बन्ध में थोड़ा सा विचार करे और सही मायने में इसके बारे में कोई योजना बनाकर क्रियान्वित करे।

सभापति महोदय, मैंने पूरे नाथद्वारा तहसील के आंकड़े देखने की कोशिश की लेकिन मुझे यह देख कर दुःख हुआ कि पूरी नाथद्वारा तहसील में 13 हजार रुपये एक नाथद्वारा थाने के लिए और 2 लाख रुपये घोड़च के तालाब के लिए निश्चित किया गया है बाकी एक पैसा पूरे नाथद्वारे में खर्च नहीं होगा, मैं समझता हूं यह सरासर अन्याय और अनुचित बात है और राज्य सरकार की यह उपेक्षापूर्ण नीति है जिसे मैं उचित नहीं समझता। मैं राज्य सरकार का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना

(श्री मनोहर कोठारी)

चाहता हूं। नाथद्वारा तहसील के लिए, जो बहुत अधिक पहाड़ी एरिया में बसी हुई है, जो थोड़ा सा हिस्सा है समतल मैदान उस एरिया में 22 हजार व्यक्ति भील परिवार के रहते हैं जिन्होंने खून दिया है, कुर्बानी दी है-हल्दीघाटी में रहने वाले अधिकतर राजपूत हैं और इस गरीब तबके के लोगों को राहत देने के लिए कुछ न करें तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

नाथद्वारा में सड़कों के लिए एक पैसा नहीं दिया गया है, न स्कूलों के लिए एक पैसे का भी प्रोविजन किया गया है, यह सब स्थिति आपके सामने है। इसलिये मैं समझता हूं राज्य सरकार थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और कोई आवश्यक व्यवस्था पंचम पचवर्षीय योजना में करे इतना ही कह कर मैं एक बार फिर आभार प्रदर्शित करता हूं।

श्री सभापति : श्री भगराज !

श्री भगराज (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने एक बहुत ही निश्चिन्तता के वातावरण में बजट के अनुमान पेश किये हैं। उन्होंने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि पिछले दो वर्षों में हड़तालें होने के कारण, अकाल होने के कारण और साथ ही साथ बाढ़ आने के कारण और शीतलहर आदि अन्य कारणों से पिछले दो साल जिनसे हम गुजर चुके हैं, संकटपूर्ण थे और आने वाले दिनों में भी कोई आशाजनक स्थिति की बात नहीं कही है। फिर भी सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है उससे हमें थोड़ा सा आराम मिलने जैसी स्थिति हो गई है। माननीय सभापति महोदय, आप सब जानते हैं कि पिछले वर्षों के अन्दर राजस्थान में अभूतपूर्व दो अकाल पड़े जिससे हमारा सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। किसान, मजदूर और दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग एक तरह से ऐसे हो गये थे कि उस स्थिति से निकलना मुश्किल हो गया था। राज्य सरकार की सीमायें होती हैं। हमारा प्रदेश, विशेषकर एक ऐसी भौगोलिक स्थिति में हमारे देश के ढांचे में आया हुआ है जिससे हमें बाढ़ से निकलने जैसी स्थिति नहीं आती है। हर दूसरे और तीसरे वर्ष अकाल पड़ जाते हैं। अकाल से किसी तरह निपटते हैं तो देवी प्रकोप से बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ हमारे यहां की जो वित्तीय स्थिति है वह पहले से नाजुक है। इसलिये इन सारी बातों को देखते हुये हम और हमारी सरकार ज्यादा साधन जुटा पायें, यह कोई बात नहीं है पिछले वर्ष हालांकि सरकार ने सतत् प्रयत्न किया है और शिक्षा की कमी को दूर किया है, स्वास्थ्य की कमी को दूर किया है ·····

(2.19 बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

इन सारी समस्याओं पर काफी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय और लोगों को अधिक अधिक फायदा पहुँचे लेकिन फिर भी दूसरे राज्यों के मुकाबले इन सारी दृष्टियों से पीछे है।

·······राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो वादविवाद चला उसमें काफी

(श्री भगराज चौधरी)

गहराई से माननीय सदस्यों ने तुलनात्मक दृष्टि से चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विद्युत उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे खाद्यान्न का क्षेत्र हो और चाहे दूसरे क्षेत्र हों, सब क्षेत्रों के अन्दर हमारे राजस्थान को करीब करीब सारे प्रान्तों के मुकाबले में पीछे बताया है और यह वस्तुस्थिति भी है। इस वस्तुस्थिति को मद्देनजर रखते हुए आने वाली योजनायें हमें कारगर ढंग से बनानी पड़ेंगी जिससे कि आजादी मिलने के 25 सालों के बाद भी यही न कहते रहें कि हमारे लिए विशेष समस्यायें हैं, अकाल पड़ते रहते हैं, फलां चीज होती रहती है, यह सारी चीजें हमारी कमजोरी ही बताती हैं। इन सारी मुसीबतों के बावजूद भी हमें अपनी समस्याओं को समझना पड़ेगा और समस्याओं को समझने के बाद में हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए बल्कि हमारी जो समस्यायें हैं उनको समझ करके उचित हल के लिए साधन जुटाने पड़ेंगे। जब हम महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर आये साल अकाल पड़ता है तो मुझे माफ कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने पिछले 25 सालों में करीब 200 करोड़ रुपया खर्च किया लेकिन इसके बावजूद भी बहुत दयनीय स्थिति है और सारी समस्याओं को मुकम्मिल तौर पर स्थायी रूप से हल करने की स्थिति में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब भी अकाल पड़ता है तो हम छोटे मोटे काम अकाल राहत के नाम से खोल देते हैं या इस प्रकार के काम खोल देते हैं जिनमें चार-छः महीने जब किसान खाली बैठा रहता है तो उसको काम दे देते हैं जिससे वह भी चुप हो जाता है और जो माननीय सदस्य यहां सदन में बैठ जाते हैं वह भी सन्तोष धारण कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे देश में राजस्थान प्रदेश जैसा हिस्सा, जहां कि लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन जिसकी प्राकृतिक सम्पदा को भी ध्यान में रखें और यदि उसका पूरी तरह से एक्सप्लाइट करें तो मेरी निश्चित मान्यता है कि हम दूसरे राज्यों के मुकाबले आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जमीन काफी उर्वरक है, हमारे यहां के मवेशी काफी अच्छे हैं—कमी केवल इस बात की है कि बरसात का कम अनिश्चित है या यों कहें कि बरसात की सरटेन्टी नहीं है। लेकिन इस कमी को भी भौगोलिक दृष्टि से पूरा सर्वे कराके जिन जिन स्थानों पर मीठा पानी हो सकता है और जैसा कि मैं कई सालों से निवेदन करता आया हूं कि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए कि कौनसी समिति और कौनसे जिले में कितनी कितनी गहराई में कैसा कैसा पानी मिल सकता है और उस पानी को हम ऊपर कैसे ला सकते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हमें हजारों की संख्या में कुए खुदाने थे। उपाध्यक्ष महोदय, एक खुशी तो जरूर है कि आज से दस साल पहले से मैं यह बात कहता आ रहा हूं तो पिछले अकाल का समय था तो चूरू और जयपुर जिले के अन्दर अकाल राहत कार्यों के अन्दर कुछ कुए खुदवाये थे लेकिन जो कुछ भी इस दिशा में कराया गया है वह ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात थी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुभव है कि हमारा राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र है और बरसात

(श्री भगराज चौधरी)

अनिश्चित है लेकिन फिर भी नदियों के कारण से जालोर जिले में पानी कहीं गहरा है और कहीं कम है। इसी तरह से सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर और दूसरा हिस्सा और बाकी पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है उसमें मीठा पानी है लेकिन एक ही बात है कि उसके लिए हमें साधन जुटाने पड़ेंगे और जो भूमिगत जल है उसको कुए खोद कर ऊपर लाने के लिए साधन जुटाने पड़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस दिशा की तरफ अभी तक कुछ काम नहीं किया गया है।

दस-पन्द्रह साल से मेरा स्वयं का तजुर्बा है कि वहां हमारे क्षेत्र में कच्ची सड़कें जरूर बनी हैं जो कि बरसात का मौसम आने के बाद में टूट-फूट जाती हैं या आंधी आने के बाद वापिस धूमिल हो जाती है और उनका कुछ अंशदान तक भी नहीं रहता।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल में सड़कों के अलावा कुछ कार्य जरूर कराये गये थे जो कि लघु सिचाई के कार्य हैं और इस रूप में विशेषकर पाली, सिरोही और जैसलमेर जिले में छोटे छोटे एनीकट्स के रूप में या लोकल सिचाई के लिए लघु सिचाई के कार्य कराये गए। यह एक एचीवमेन्ट तो जरूर है लेकिन बहुत से काम अधूरे पड़े हैं जिससे मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हो कि वापिस सरकार उनको अधूरे ही छोड़ दे। हमें किसी न किसी प्रकार से साधनों को इकट्ठा करके वह सारे लघु सिचाई के कार्य जो अधूरे करके छोड़े हुए हैं उन्हें पूरा कराना चाहिये ताकि आने वाले समय में उनका फायदा मिल सके।

माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण के अन्दर वैसे तो जिस हिसाब से उन्होंने बजट अनुमान पेश किए हैं उनको देखने से आभास मिलता है कि उन्होंने राजस्थान की वित्तीय स्थिति है उसको ज्यादा खराब तो ज्यादा अच्छी भी नहीं बताई है। उन्होंने अपने बजट एस्टीमेट्स के अन्दर राजस्व लेखे में कुल प्राप्ति 293 करोड़ की बताई है और खर्च 287 करोड़ का बताया है और इस प्रकार से बचत और खर्च का मिलान करने से करीब 6.68 करोड़ रुपये की बचत बताई है। उसके बाद में पूंजीगत लेखे के अन्दर यानी पूंजीगत लेखा वह मद है जिसके लिए हम अपनी योजनाओं के अन्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस मद के अन्दर उन्होंने 91 करोड़ 66 लाख रुपया खर्च करना बताया है। इसी पूंजीगत लेखे के अन्दर प्राप्ति के रूप में जो कि पूंजीगत लेखे में 81 करोड़ की बताई है इन दोनों को मिलान करने से पूंजीगत लेखे में खर्च अथवा प्राप्ति को मिलाते हैं तो घाटा 10.49 करोड़ रुपया उन्होंने बताया है। राजस्व लेखे में प्राप्ति और खर्च मिलाने से 6 करोड़ की बचत होती है और पूंजीगत लेखे की प्राप्ति और खर्च का मिलान करने से 10 करोड़ का घाटा होता है। कुल मिलाकर जब राजस्व खाते की एस्टीमेट्स और पूंजीगत लेखे की एस्टीमेट्स का मुकाबला करते हैं तो कुल मिलाकर हमें इस साल के बजट में याने वित्तीय वर्ष 1974-75 में करीब 3.77 करोड़ का घाटा बताया है। इस घाटे के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि उस घाटे

(श्री भगराज चौधरी)

को भी शामिल कर दिया गया है जो कि पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार ने जो अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया था और उसमें बढ़ोतरी की थी और उसके अनुकूल हमारी राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा कर देने का निर्णय लिया है। उससे कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त भार हमारी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाला है, उसमें से 5 करोड़ का खर्चा अपने बजट एस्टीमेट्स में पहले से ही जोड़ लिया है। शेष 5 करोड़ 35 लाख रुपया ऐसा रह जाता है जो कि राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में, जो अधिक भार सरकार को उठाना पड़ रहा है, उसका कहीं भी अकाउन्ट-फॉर नहीं किया है। यदि यह अतिरिक्त भार जो कि 5 करोड़ 35 लाख का आता है कुल बजट एस्टीमेट का घाटा है उसमें मिलायें तो यह जाकर करीब 9.12 करोड़ होता है। इसेय समोजना मद के अन्दर 5.82 करोड़ रुपया का पहले ही उन्होंने घाटा बताया था और गैर योजना मद का घाटा करीब तीन करोड़ का बताया था। जिसके लिए भी उन्होंने जा करके कहा है कि यह गैर योजना मद का घाटा है, यह प्रशासन के क्षेत्र में खर्चा घटा कर अनावश्यक खर्चों को कम करके दूर करने का उन्होंने एक इशारा मात्र बताया है। मुझे इस बात की खुशी है कि जैसा कि आपने अपने बजट भाषण में कहा है यदि वे गैर योजना मद के घाटे का खर्चा कम करके करीब तीन करोड़ की धनराशि के रूप में कमी को पूरा कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

हमारी वित्ती स्थिति पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। बाकी पांच करोड़ का घाटा और बताया है वह भी उन्होंने हमारे यहां पर आने वाले वर्ष में खनिज उद्योग में विशेष कार्यक्रम चला कर और उसकी कीमतों में वृद्धि करके पांच करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली के रूप में कहा है और इस रुपये को प्राप्त कर लेने का संकेत मात्र दिया है। इन सारी धनराशियों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, अपने खर्च को चलाने के लिए, जिसमें योजना मद का खर्चा और गैर योजना मद का दोनों ही खर्चा शामिल है, हमें और अतिरिक्त करों को लगाने की जरूरत नहीं होगी। यह बहुत ही खुशी की बात है। जब 2 भी घाटे का बजट प्रस्तुत कर अतिरिक्त कर लगाये गए हैं तो इसके साथ ही इन्फ्लेशन टेंडेंसी का आभास मिलता गया है। वैसे देखा जाय तो सारी कमोडिटिज की प्राइजेज काफी ऊंची गई हैं, क्या खाद्यान्न, क्या कपड़ा और क्या अन्य आवश्यक वस्तुएं। ऐसी हालत में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने आय करों का बोझ नहीं बढ़ा कर बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय दिया है और वे इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

थोड़ा सा समय और।

श्री उपाध्यक्ष । धन्यवाद के बाद क्या रह गया ?

श्री भगराज चौधरी : यह तो मोटे रूप से हमारे बजट के एस्टीमेट का विश्लेषण हुआ।

(श्री भगराज चौधरी)

अब मैं निवेदन करूंगा कि वैसे देखा जाय तो घाटे का बजट तो आपने पेश नहीं किया और छोटा सा घाटा बताया और उसको खर्चे में कमी करके पूरा करने के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं जो काफी संतोषप्रद मालूम पड़ते हैं। मगर साथ ही साथ आने वाले वर्ष के लिए हमें विकास योजनाओं के लिए जो अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ रही थी, जो आवश्यकता हमें महसूस हो रही थी, जिन्हें हम महसूस कर रहे थे उन सब कामों के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट में बहुत ही कम प्रावधान रखा है। विशेष करके शिक्षा के लिए।

शिक्षा के क्षेत्र में आपने केवल सौ प्राईमरी और सौ मिडिल स्कूल खोलने का संकेत मात्र दिया है। मैं समझता हूं कि पिछले दो वर्षों में काफी प्राईमरी स्कूल और मिडिल स्कूल खोले हैं लेकिन बहुत से मिडिल स्कूल ऐसे हैं जिनकी संख्या तो काफी है लेकिन उनमें एक एक स्कूल में पचास छात्रों से भी कम हैं और यही हाल हमारी प्राईमरी स्कूलों का भी है।

आखिर में ग्रामीण क्षेत्रों में जब हमें शिक्षा का स्तर ऊंचा करना है, छः से लेकर 11 वर्ष तक और 11 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ानी है तो जो मौजूदा स्कूल खोल रखे हैं उनके अन्दर ही सुचारु रूप से अध्यापन कार्य करके और एक अनुशासित डिसिप्लीन्ड वे में हमें वहां पर अध्यापन का कार्य करना चाहिए मैं समझता हूं कि निश्चित मात्रा में हम बच्चों की शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ा सकेंगे। इसलिए जो सौ प्राईमरी और सौ मिडिल स्कूल खोलने का माननीय वित्त मंत्री महोदय ने प्रावधान बजट में रखा है उसको कम करके हमें सेकेण्ड्री और हायर सेकेण्ड्री शिक्षा के लिए स्कूलें बढ़ानी चाहिए। पिछले दो वर्षों में एक भी नई स्कूल नहीं खोली गई है इस प्रकार की, जिसका नतीजा यह हुआ है कि गांवों में सेकेण्ड्री और हायर सेकेण्ड्री के बीच में और प्राईमरी और अपर प्राईमरी वर्ग में तालमेल खत्म होता जा रहा है।

इसलिए मैं समझता हूं कि इन दोनों प्रकार की स्कूलों के लिए जो कि उन्होंने अपने बजट में प्रस्तावित की हैं, उनको कम करके कुछ सेकेण्ड्री और कुछ हायर सेकेण्ड्री स्कूलें प्रस्तावित करनी चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि इसके लिए उनको रुपया केन्द्रीय सरकार से मिलता होगा। अगर केन्द्रीय सरकार से मिलता भी होगा तो भी यह पैसा ऐसे किसी प्रकार से कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हो तो भी दूसरे किसी भी मद से पैसा कम करके इसके लिए प्रावधान कर सकें तो हमें जरूर करना चाहिए।

इसके अलावा इस साल चार हजार अध्यापकों के लिए आपने प्रावधान किया है, यह काफी ठीक है। अभी तक जितने भी स्कूल नए बने हैं वे बिना अध्यापकों के पड़े रहे हैं जिससे न केवल बच्चों की पढ़ाई ही सफर नहीं हुई बल्कि ग्रामीण लोग इस बात के लिए हंसी भी उड़ाया करते हैं कि राज्य सरकार ने स्कूलें तो खोल दीं मगर वहां बच्चे पढ़ने जाते हैं तो अध्यापक का पता ही नहीं है। इससे न वे घर पर कोई काम कर सकते हैं और न स्कूल में जाकर पढ़ाई ही कर

(श्री भगराज चौधरी)

सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अगर चार हजार अध्यापक लगाने के बाद में सारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी पूरी हो जाती है तो यह अच्छी बात है।

इसके अलावा हमारे प्रदेश के अन्दर विशेष करके पश्चिमी राजस्थान के अन्दर, जैसा माननीय सदस्य जोधपुर से आने वालों ने कहा है और इस बात का इशारा किया है कि अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या विकट रूप धारण किए हुए है। मंत्री महोदय स्वयं इस बात को मानते हैं मगर फिर भी इसका कोई ज्यादा बजट प्रावधान नहीं रखा गया है जिससे यह कहा जा सके कि यह बजट उत्साहप्रद है। उन्होंने केवल नौ करोड़ रुपये का प्रावधान जल प्रदाय योजनाओं के लिए रखा है, जिसमें से आठ करोड़ रुपया तो शहरी और ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं जो पहले से चली आ रही हैं उनके लिए है और उनको 74-75 में समाप्त किया जा सकेगा. उनके लिए यह रुपया रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि शेष करीब एक करोड़ रुपया ही हमें उन जल प्रदाय योजनाओं के लिए मिल सकेगा जिन्हें कि हम इस साल के अन्दर 74-75 में नए सिरे से हाथ में ले सकते हैं। तो जहां राजस्थान के अन्दर हजारों गांव अभी तक पीने के पानी की समस्या से पीड़ित हैं, यह मूलभूत आवश्यकता है, इस बात को समझते हुए भी मैं समझता हूं कि इसके लिए और प्रावधान रखना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-अनवरत-घण्टी)

एक मिनिट में समाप्त करता हूं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर उर्जा का संकट बहुत ही उग्र रूप से पैदा हो गया है जिसके कारण कई हैं और वे सबके सामने हैं। उर्जा संकट को दूर करने के लिए जहां पर डीजल पम्पिंग सेट लगे हुए हैं उनको हटा करके हमें बिजली देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जालोर ऐसा जिला है जहां पर करीब 15,000 पम्पिंग सेट वर्क कर रहे हैं और उनसे खाद्यान्नों का उत्पादन हो रहा है। जब इतनी मात्रा में डीजल सेट काम कर रहे हैं तो उस पर पड़ने वाले ऑयल के प्रेशर को कम करने लिए, उर्जा संकट को कम करने के लिए इन सभी पम्पिंग सेटों के स्थानों पर हमें बिजली की मोटर लगानी चाहिए और बिजली का कनेक्शन देना चाहिए। साथ ही साथ और भी ऐसे क्षेत्र हैं जालौर जिले में और उसके आस-पास में जहां पर कि भूमि में जल है लेकिन उनके लिए अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। वहां पर हमें जहां तक हो सके शीघ्रातिशीघ्र बिजली की सप्लाई करनी चाहिए जिससे खाद्यान्न के अन्दर राजस्थान आगे बढ़ सके और आने वाले समय के अन्दर हमें खाद्यान्नों के मामले में कम से कम मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। वैसे देखा जाय तो मैं समझता हूं कि खाद्यान्नों के मामले में कीमतें जरूर बढ़ी हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना करना चाहता हूं कि पिछले तीन-चार सालों में केवल खाद्यान्नों की ही कीमतें नहीं बढ़ी हैं बल्कि खाद्यान्नों की कीमतों के मुकाबले बाकी दूसरे जो आर्टिकल्स हैं जिन्हें नेसेसरी कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, उनकी कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर खाद्यान्न के

(श्री भगराज चौधरी)

अन्दर वृद्धि तो केवल 1970 से लगावें, उसको एक आधार माने तो यह 1973 के अन्दर 33 पर्सेन्ट अधिक था और जो आर्टिकल्स हैं उनमें भी 1973 के अन्दर ओवर एण्ड अबाउ 1973 के अन्दर 50 पर्सेन्ट हो गई जबकि खाद्यान्न की कीमत के बारे में 72-73 को आधार माने तो यह 33 पर्सेन्ट ही है जबकि फ्यूल और उसके लूब्रीकेन्ट्स, जो कि खाद्यान्न उत्पादन के मुख्य रूप से अंग हैं काफी बढ़ोतरी हुई है। आज खाद्यान्न का उत्पादन काफी संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। इस बार जब केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय ने जो अपना बजट संसद में पेश किया तो माननीय सदस्यों को याद होगा, उसके बाद क्रूड ऑइल, डीजल की प्राइसेज और बढ़ गई हैं और मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर इनकी प्राइसेज 200 पर्सेन्ट अधिक बढ़ गई हैं याने कि दुगनी। इसी के अनुरूप दूसरे जो हमारे कन्ज्यूमर्स प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे समाज के जन जीवन के उपभोग में आते हैं, 73-74 के अन्दर उनमें 24 पर्सेन्ट की वृद्धि हुई है। इन सब आंकड़ों को पेश करने के बावजूद भी विरोधी दल के माननीय सदस्य बार बार यह कहते हैं कि खाद्यान्न की कीमतें बढ़ गई हैं। यह केवल खाद्यान्न से ही लगा हुआ नहीं है। खाद्यान्न की कीमतें बढ़ने के बाद कुछ हद तक उसके असर से कन्ज्यूमर्स गुड्स की कीमतों पर भी दबाव पड़ा है और उनकी कीमतें बढ़ी हैं। जब तक कन्ज्यूमर्स गुड्स की प्राइसेज स्टेबलाइज नहीं होंगी, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, पावर, बिजली सस्ती नहीं होगी, हड़तालें, तालाबंदी बंद नहीं होगी। सारे क्षेत्र में उत्पादन नहीं बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि हम इनको नहीं रोक पायेंगे। बार बार यहां पर गुजरात का उदाहरण पेश किया जाता है। इस प्रकार से बार बार उभाड़ने वाली बातें कही जाती हैं, ये समझदारी की बातें नहीं कही जा सकतीं। उल्टा यह कह कर हम युवा वर्ग को उभाड़ रहे हैं जो कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं और खामख्वाह इस बात को उभाड़ कर गलत वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.... (समय-समाप्ति सूचक-घंटी)....समझदारी के साथ इन बातों पर विचार करके सरकार को सहयोग करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया!

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, उसके बारे में मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि यह ऐसा बजट है जिसमें कि गरीबों को, मजदूरों को, कृषकों को जो कांग्रेस दल समाजवाद की दुहाई रात दिन दिया करता था, उस दुहाई के प्रतिकूल है, जिसमें कि गरीबों की आंकाक्षाएं कहीं भी पूरी नहीं होती हैं और उनकी भावनाओं के विपरीत है। वे तो यह आशा लगा कर बैठे थे कि पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कांग्रेस की यह सरकार समाजवाद को लाकर गरीबी को मिटायेगी, बेरोजगारी को मिटायेगी और इस तरह के प्रोग्राम चालू करेगी जिससे कि गरीब लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। इस अपेक्षा और आशा के साथ सदन के माननीय सदस्यगण इस बजट की प्रतिक्षा कर रहे थे, कि जादू का कोई डंडा वित्त मन्त्री महोदय द्वारा फेरा जायेगा और यह समाजवाद देश में आगे बढ़

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जाएगा। लेकिन वित्त मन्त्री महोदय सदन में बजट पेश करते हुए ××× के साथ यह फर्मा रहे हैं कि मैंने इस साल कोई नया कर नहीं लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अब से पूर्व जो कर लगाये गये थे उनमें से किसी भी प्रकार की राहत जनता को नहीं दी गई है। पुराने करों के स्टेटस को ज्यों का त्यों कायम रखा गया है। इसके अलावा बंगला देश से आये हुए शरणार्थियों के सहायतार्थ और पुनर्वास के लिए जो टैक्स लगाया गया था उसको चालू रखना मेरी दृष्टि से तो एक नया कर है। उपाध्यक्ष महोदय, इस कर को जिस तरह से सरकार ने पकड़ कर रख रखा है तो उससे उस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मनोरंजन कर, यात्री गाड़ियों पर कर या सरचार्ज, स्टाम्प्स ड्यूटी पर सरचार्ज पहले जैसा ही रहेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन टैक्सों का ताल्लुक क्या किसी सेठ से है? इनका ताल्लुक जनसाधरण से है। यात्री गाड़ियों में सफर कोई सेठ या अमीर लोग ही करते हों, ऐसी बात नहीं है बल्कि अधिकांश जनसाधारण, किसान, मजदूर, गरीब वर्ग के लोग इन यात्री गाड़ियों से सफर करते हैं। तो गरीबों पर यह किस प्रकार से टैक्स नहीं लगा है--यह कहना कि कोई टैक्स नहीं लगा है लोगों को एक प्रकार से धोखा देना है।

इसी प्रकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रॉक फास्फेट की कीमत बढ़ा कर आपने साढ़े चार करोड़ की अतिरिक्त आय की सोची है। रॉक फास्फेट अधिकतर खाद के बनाने के काम में आता है और खाद किसानों के काम आती है। इस प्रकार इन डाइरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के दबे हुए किसानों के ऊपर आपने यह साढ़े चार करोड़ का अप्रत्यक्ष कर लगा दिया है।

बेरोजगारों की समस्या के बारे में आपने सरसरी तौर पर बताया है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि कितने बेरोजगार हैं, कितने शिक्षित बेरोजगार हैं, कितने अशिक्षित बेरोजगार हैं और कितने अर्ध शिक्षित बेरोजगार हैं। इस बारे में इस सरकार के पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फिर यह सरकार किस मर्ज का इलाज करने जा रही है, कौनसे बेरोजगार हैं और किनको यह सरकार रोजगार देने जा रही है, इस बारे में यह सरकार कोई कदम नहीं उठा सकी है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में बेरोजगारों की समस्या के बारे में यह सरकार आंख मूंद कर बैठी रहे तो यह अपने आप में एक अशोभनीय घटना है।

सरकार अपने मुख्य कार्य से हटा कर किस प्रकार बचना चाहती है? क्या सरकार इन समस्याओं से जूझने के बजाय उनसे पीछे हटना चाहती है। सरकार का यह कदम हमारे युवा वर्ग के लिये, बेरोजगारों के लिए, गरीब वर्ग के लिए अहितकर है, उनको आन्दोलित करने वाला है और यहां पर बार बार यह कहा जाता है कि यहां पर गुजरात की समस्याओं को, वहां की घटनाओं को नहीं दोहराया जाये क्योंकि उससे कोई

(××× ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से हटाये गए)

(श्री मूलचन्द सामरिया)
फायदा नहीं होने वाला है, यह तो ठीक है क्योंकि वास्तव में राजस्थान की स्थिति गुजरात से भी बदतर है। यह तो यहां की जनता के धैर्य की सीमा है कि वह गुजरात जैसी स्थिति को यहां पर पैदा नहीं कर रही है वरना हालात तो गुजरात से अधिक बदतर है।

उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों की समस्या के बारे में किस तरह का प्रोग्राम रखा है यह इस बजट में नहीं बताया गया है। यह भी नहीं बताया गया है कि क्या बेरोजगारों को कोई भत्ता दिया जायेगा। रोजगार के विषय में भी कोई आश्वासन नहीं है और शिक्षित रोजगारों को कहां खपाया जायेगा, कैसे खपाया जायेगा इस तरफ भी सरकार ने कुछ नहीं बताया है। अभी पिछले साल शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के बेरोजगारों के लिए सरकार ने स्टाइपन्ड देने की घोषणा की थी परन्तु उनकी दरख्वास्तें भी सरकार के पास पड़ी हैं और सरकार कोई निर्णय नहीं कर रही है। इस तरह बार बार उनका आने जाने में सरकार खर्चा करवा रही है और उनको परेशान कर रही है। इस तरह सरकार अपने आप असन्तोष पैदा कर रही है।

आपने यह फर्माया कि 200 लोगों को औद्योगिक बस्तियों में शेड दिये गये हैं। परन्तु यह सही नहीं है। फर्जी लोगों को शेड्स दिये गये हैं जो उद्योग धन्धा वास्तव में ही करना चाहते थे उनको इस सुविधा से वंचित रखा गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की धांधली बाजियों को अविलम्ब खत्म कर न्यायोचित ढंग से वितरण किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न के बारे में जो कुछ भी फर्माया गया है, मैं समझता हूं कि समस्या के समाधान के रूप में वह उचित नहीं है। खाद्यान्न की स्थिति भयंकर है। आज शहरों में केवल तीन किलो खाद्यान्न दिया जाता है जबकि आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ हमारे मुख्य मंत्री ने आरोप लगाया था। यहां के डिपार्टमेंट के लोग भ्रष्ट हैं इसलिए इसमें ज्यादा धांधली हो रही है। कर्मचारियों की यूनियन ने जवाब दिया था मुख्य मंत्री को कि हमारे पास इतना ही खाद्यान्न है जिससे राजस्थान की शहरी जनता को केवल एक एक किलो प्रतिमाह दिया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका मुख्य कारण आप देखेंगे विरोधी पक्ष और कांग्रेस के सदस्यगण भी इसमें किसी प्रकार से लिप्त नहीं हैं। अगर देखा जाए तो इनका आंकड़ों से मुकाबला करें। जिस समय बरकतुल्ला खां साहब मुख्य मन्त्री थे उस समय राजस्थान को 80-85 हजार टन अनाज मिलता था प्रतिमाह लेकिन अब केवल दस हजार टन प्रतिमाह ही दिया जा रहा है और फिर बहुत गिड़गिड़ाने पर तीन हजार टन सड़ी ज्वार राजस्थान को और दी गई है।

इसका कारण यह है कि केन्द्र में इस सरकार के प्रति प्रधान मन्त्री का रुख साफ नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि इन परिस्थितियों में 10 हजार टन अनाज–गेहूं रख दिया गया है 85 हजार टन के बजाय। तो जैसा कि रुख है प्रधान मन्त्री का गुजरात के मुख्य मन्त्री की तरह से आप सत्ता से अलग हो जायें। इन सारी बातों में प्रधान मन्त्री आपको नहीं चाहती हैं। यह चला कर यहां पर दंगे कराना चाहती हैं। इसलिए कि आप चिम्मन भाई पटेल की

(श्री मूलचन्द सामरिया)

तरह से सत्ता से जा सकते हैं । और इसी तरह से यहां की जनता को आप भूखों मरने से बचा सकते हैं । राजस्थान की जनता को इसी तरह से बचाया जा सकता है ।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मकानों के बारे में कहा गया है । आज शहरों में बड़ी बड़ी बस्तियां हो सकती हैं । लेकिन जहां छोटे छोटे गांवों में वहां किस प्रकार से लोग रहते हैं । यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान यह काम किया जा रहा है । यह इस प्रकार से किया जा रहा है कि 200 साल तक कोई पैदा ही नहीं हो यह आबादी यों ही रहे । एक भी बच्चा नया पैदा नहीं हो, तो जितने भी गृहहीन व्यक्ति इस समय हैं, वह रह सकेंगे । यह है समाजवादी सरकार की व्यवस्था । न तो उन लोगों को जमीन दी जाती है । जो लोग गृह विहीन और भूमिहीन हैं, उन व्यक्तियों को ज़मीन दी जाये । म्युनिस्पैलिटी ने जमीन नहीं दी है । गांवों में कहीं उनको जमीन नहीं दी गई है । सरकार ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया है । कितनी दी है, म्युनिसिपैलिटी को जमीन । इसका जवाब आप बिल्कुल निगेटिव में देंगे । इसी तरह से रोज घोषणा करते हैं, लोगों को भुलावे में रखने के लिए । मैं समझता हूं कि लोगों को भुलावे में ही रखना है । इसके लिए को-ऑपरेटिव की अलग से व्यवस्था की गई थी । सरकार ने इतना भी नहीं किया कि अमुक वर्ग के लिए अमुक समय तक मकान या अन्य आवश्यक साधन मुहैया करा दिए जायेंगे । मैं समझता हूं के वस्त्रों के मामलों में सरकार की नीति सराहनीय नहीं है ।

शिक्षा के बारे में श्रीमती सुमित्रा सिंह ने आकड़े दिए थे । तो हमने यह समझा था कि राजस्थान बहुत पीछे रह जाता है । ऐसी स्थिति में आपने कहा है कि 1000 स्कूल खोल दिए गये हैं । 1500 मिडिल स्कूल खोले जा चुके हैं । तो इससे क्या हो सकता है ? आज अगर राजस्थान के पिछड़ेपन की जिम्मेदारी है तो वह सरकार की है । हमारी सरकार की है । इसी प्रकार से चिकित्सा के बारे में 25 औषधालय खोलकर चिकित्सा सुविधा देने की बात सरकार द्वारा कही गई है । इससे क्या सबको सुविधा देने की गारण्टी दे दी गई है ? आज की व्यवस्था में नाममात्र की दवाइयां भी नहीं मिलती हैं । न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर देने की जो बात की गई थी वह ढकोसला मात्र था । इससे मध्यम वर्ग, गरीब और किसान की, किस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी । किस तरह से बच्चों की पढ़ाई हो सकेगी । कैसे वह, अच्छे मकान में रह सकेंगे । किस तरह से इन्फियोरिटी कम्प्लेक्स पैदा कर दिया गया है । इस बजट में कौनसी भावना रखी है ? जहां तक जनता की आकांक्षाओं व आशाओं का सवाल है । इसमें सरकार ने शून्य दिखाने का प्रयत्न किया है । तो मैं यह कहूंगा कि कम से कम जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से अभावों में कैसे वृद्धि नहीं होगी । अभावों में कमी होने की कोई स्थिति नहीं हो सकती है । समाजवाद आपका बकवास मात्र रह गया है । उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्य में और समस्त देश में कितने लोग हैं, उनको अपनी चीजों के भाव तय करने का अधिकार है । लेकिन हमारे देश के किसानों को जो सर्दी गरमी और बरसात तीनों मौसमों में मुसीबत

(श्री मूलचन्द सामरिया)

बरदाश्त करके, परिश्रम करता है। लेकिन जब उसका समय आता है तो वह अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर सकता है। उसके माल की कीमत तय करने के लिए दूसरे चौधरी बैठ जाते हैं। वह मनमाने ढंग से कीमत तय करते हैं। पंजाब में सर्वे-द्वारा यह नतीजा निकाला गया है कि हिन्दुस्तान में खेती ही एक घाटे का धन्धा है। आज जो प्रोसेस है, उससे श्रम की बचत हुई है। आज बड़े किसान ट्रैक्टर से जोतते हैं। उनको आॅयल की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से खाद देने से फसल बढ़ती है। आज सरकार जो विदेशों से गेहूं खरीदती है, वह उसको 200 रुपये क्विन्टल पड़ता है। लेकिन हिन्दुस्तान और राजस्थान के गेहूं का वह 86 रुपया ही देना चाहती है। फिर कहती है कि हमारी राष्ट्रीयकरण की नीति दूसरे फेल कर देते हैं। हम 200 रुपया क्विन्टल में बाहर से गेहूं खरीद सकते हैं लेकिन राजस्थान के लिए यहां गेहूँ को 150 रुपया क्विन्टल भी नहीं दे सकते हैं। उपभोक्ताओं को 90 रुपया क्विन्टल किया जा सकता है और अन्तर को सरकार द्वारा सब्सीडाइज किया जा सकता है। यहां की बिजली बढ़ाई जा सकती है। खाद और पावर होगी तो वह किसान लाभ उठा सकेगा। अपने बच्चों को पाल सकेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय जब 15 तारीख को मुख्य मंत्री व खाद्य मंत्रियों की मीटिंग में पधार कर कृषि-मूल्य आयोग को सुझाव दे रहे हैं तो, वह राजस्थान के मुख्य मंत्री की हैसियत से जा रहे हैं न कि हरिदेव जोशी की हैसियत से, इसलिए उनका यह परम कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि राजस्थान की जनता को काॅन्फीडेंस में लेने के लिए इस बात की चर्चा इस सदन में करनी चाहिए कि कृषि-मूल्य आयोग के लिए वे किस तरह का व्यू पाॅइन्ट रखेंगे, किस तरह के व्यूज रखेंगे, किस तरह के विचार राजस्थान के किसान को समय पर सस्ता बीज देने के लिए, और चीजें देने के लिए और कृषि-उपज के भाव तय करने के लिए वहां रखना चाहते हैं। उनको पहले इस सदन में अपने व्यू पाॅइन्ट रखने चाहिए और सदन को काॅन्फीडेंस में लेकर इस सदन के माननीय सदस्यों की राय लेनी चाहिए। यह ज्यादा उपयोगी होगा और इस प्रकार राज्य की जनता के साथ ज्यादा न्याय कर सकेंगे। इसलिए मुख्य मंत्री महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करूंगा कि आप राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, और राजस्थान की जनता का उत्तरदायित्व इस विधान सभा पर है, इसलिए इस विधान सभा में अपना व्यू पाॅइन्ट रख कर सदस्य-गणों को काॅन्फीडेंस में लें और यहां अपनी पाॅलिसी को स्पष्ट करके जायं, तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर डिक्टेटोरियल तरीके से अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, मनमाने तरीके से आप डिसीजन लेते हैं, चीफ व्हिप के द्वारा कांग्रेस के सदस्यों को दबाते हैं तो यह डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप से कम नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको इस सदन को काॅन्फीडेंस में लेना चाहिए और उसके बाद ही दिल्ली पधारना चाहिए।

आपका यह जो समाजवादी बजट वेद महाराज ने पेश किया है, उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि लेबर के बारे में आपकी क्या पाॅलिसी है। आपने

(श्री मूलचन्द सामरिया)

कहीं भी इस बात की गारन्टी नहीं दी है कि लेबर की जो मिनिमम वेजेज हैं, उनको मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ाया जायगा, न्यूनतम मजदूरी उनकी बढ़ायी जायगी, उनको क्या क्या अन्य फैसेलिटी दी जायगी, उनको मैनेजमेंट में किस तरह से हिस्सा दिया जायगा, अथवा मजदूरों को किस तरह से लाभान्वित किया जायगा। क्या आप समझते हैं कि इस महंगाई के अन्दर भी जब और लोगों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, इन मजदूरों को जो न्यूनतम वेतन मिलता है, उसको बढ़ाना आवश्यक नहीं है ? इसके साथ साथ जो सैंकड़ों मुकदमे पड़े हुए हैं, मजदूरों के इम्पॉर्टेन्ट मुकदमे ट्रिब्यूनल के सामने पड़े हुए हैं, उनको एक टाइम की सीमा बांध कर उस टाइम के अन्दर फैसला कराने का भी आपने आश्वासन नहीं दिया है। मेरा निवेदन है कि एक अमुक टाइम में आप उनके अमुक मुकदमों का फैसला कराने का इस सदन में आश्वासन दें और साथ ही ट्रिब्यूनल को भी इन्स्ट्रक्शन दें कि अमुक समय में उन मुकदमों का डिस्पोजल हो जाय जिससे इन मुकदमों का फैसला न होने से मजदूरों को जो परेशानी होती है और उनका समय बरबाद होता है वह नहीं हो। आपने मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने के लिए और उनके मुकदमों का जल्दी फैसला करवाने के लिए बजट भाषण मे एक शब्द भी नहीं कहा है, इसलिए यह सोचने की बात है कि यह किस तरह का समाजवादी बजट है, आप किस तरह के समाजवादी हैं ? मेरे विचार में तो आप पूंजीवादी के अलावा कुछ नहीं हैं। कोरे भाषणों से कोई समस्याओं पर हल नही पायेंगे। मुख्य मन्त्री महोदय ने यहां पर फर्माया था कि राजस्थान के विकास के लिए यदि नदी में भी कूदना पड़ेगा तो कूद जायेंगे। लेकिन जिस समय बजट पेश हुआ, उससे वित्त मन्त्री महोदय पहाड़ी की चोटी पर चढ़े हुए दिखे। किसान मरें तो मरें, गरीब मरें तो मरें, मजदूर मरें तो मरें, उनको बचाने के लिए आपने कोई प्रोविजन नहीं किया और आप पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गये। ताली आपने इस बात पर पिटवा ली कि आपने कोई टैक्स नहीं लगाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं तो आपने विकास का कौनसा बड़ा काम हाथ में लिया है, आपने सिंचाई की कौनसी योजना अपने हाथ में ली है किस तरह से आपने किसानों को समय पर खाद देने के लिए और उन्नत बीज देने के लिए आपने गारन्टी दी है, कौनसी योजनाओं के माध्यम से, पूरा उत्पादन करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा, दौसा उप खण्ड में तहसील दौसा, बस्सी और जमुआ रामगढ़ है। जिस समय राजाओं का राज्य था, दकियानूसी राज्य था, साम्राज्यवादियों का राज्य था, उस समय जमुआ रामगढ़ बांध से तीन लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होती थी। लेकिन इस प्रगतिशील सरकार ने, इस किसानों की हिमायती सरकार ने, समाजवादी सरकार ने जमुआ रामगढ़ बांध से इन तीनों तहसीलों के किसान को वंचित करके, उन किसानों की धरती को प्यासी रख दिया, उनके बच्चों के गले में फांसी लगा दी, उनके दुधमुंहे बच्चों को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि वह भिखमंगों की हालत में

(श्री मूलचन्द सामरिया)

आ गये। एक तरफ आप नारा लगाते हैं कि आप समाजवाद लायेंगे, आप किसानों की उन्नति करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो पचास-साठ साल से चली आ रही योजना थी उसको खत्म करके उनको पानी से वंचित कर दिया गया है। इसके दो कारण हो सकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान का रिप्रेजेन्टेशन इस सरकार में नहीं है, पूर्वी राजस्थान के कांग्रेसी विधायक हैं, वह मिनिस्टरों की XXX करके इन मसलों को उनके सामने नहीं लाते हैं इसलिए पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा की जाती है। मैं समझता हूं कि इस उपेक्षा वृत्ति के कारण से ही पूर्वी राजस्थान को सिंचाई के साधनों से वंचित रखा गया है, पूर्वी राजस्थान को सारे मामलों में सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इसका कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। इसका कारण है कि राजनैतिक तरीके से हर बात में फैसले होते हैं। आज दुहाई किसानों की दी जाती है लेकिन डिसीजन किसी काम के बारे में होते हैं वह इस आधार पर होते हैं कि कौन मिनिस्टर कितना पावरफुल है, कौन नेता कितना पावरफुल है। इस लिहाज से फैसले होते हैं। और यहां अपील की जाती है, इस सदन के माननीय सदस्यों का आह्वान किया जाता है कि उनके हाथ मजबूत करें ताकि पश्चिमी राजस्थान में वह सारा पैसा लगा दें, उनके हाथ मजबूत इसलिए किये जायं ताकि वह पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा करके पश्चिमी राजस्थान में काम करें। इस अपील और डण्डे के सामने कांग्रेस के लोगों को झुकना पड़ेगा, कांग्रेस के एम. एल. ए. झुक सकते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता नहीं झुक सकती है और उनकी उपेक्षा जितनी होगी, वह आन्दोलन के के रूप में फूट कर निकलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं कि क्या कारण है, क्या सरकार इसका जवाब दे सकती है कि जब करोड़ों रुपये सिंचाई योजनाओं पर खर्च किये हैं, तो जमुआ रामगढ़ बांध से बस्सी, दौसा और जमुआ रामगढ़ तहसील की सिंचाई योजना थी, उसको बन्द क्यों किया गया? मैं निवेदन करूंगा कि आप कहते हैं जयपुर शहर को पीने का पानी देना था। तो क्या आप जयपुर शहर के लिए पीने के पानी का इन्तजाम नहीं कर सकते, जबकि आप करोड़ों रुपया यहां से वसूल करते हैं। आप पूर्वी राजस्थान के आंकड़े उठा कर देखें, पूर्वी राजस्थान आपको कितना रेवेन्यू देता है, कितने टैक्स देता है, कितना सेल्स टैक्स देता है? उसके बाद भी आप उससे एक्जिस्टिंग योजनाओं को छीनते हैं तो यह शक्ति का दुरुपयोग है और शक्ति का प्रदर्शन मात्र है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में भी राजनैतिक आधार पर फैसले होते हैं। यह देखते हैं कि अमुक क्षेत्र का अमुक गांव किस नेता के फेवर में है और उसके अनुसार ही बिजली के मामले में फैसले होते हैं। इसका पैदावार पर भी असर पड़ता है। सिंचाई हेतु जहां पानी होगा वहां इसी कारण से बिजली नहीं पहुंचेगी और गहराई में जहां पानी है वहां पर बिजली इसलिए पहुंचा दी जाती है क्योंकि किसी नेता को खुश करना है।

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से हटाये गये।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

और जहां की जनता किसी नेता के फेवर में नहीं होती है वहां पर आवश्यकता होते हुए भी, टेक्निकली फिट होते हुए भी बिजली नहीं दी जाती है। इसका नतीजा दूसरे प्रकार का आता है।

आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में लम्बी चौड़ी घोषणा कर दी, खनन के कामों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को प्राथमिकता दी जायेगी। इस प्रकार का प्रोविजन किया, लेकिन यह प्रोविजन जब किया, उसके बाद में कितने पट्टे हरिजनों और आदिवासियों को दिये ? यह पट्टे देने से राज्य सरकार को लीज से कितने रुपये की आमदनी होती है, और कितनी आय उनको होती है जिनको पट्टे दिये हैं ? इस प्रकार के आंकड़े देने में आप विफल रहे हैं। इसलिए यह माना जायगा कि बजट भाषण में शोभा बढ़ाने के लिए आपने एक पंक्ति जोड़ दी है लेकिन इस प्रोविजन का इफेक्टिव इम्प्लीमेन्टेशन आप प्रशासन के द्वारा नहीं करा सकेंगे और किसी हरिजन और आदिवासी को इस प्रकार के पट्टे देने में असमर्थ रहेंगे।

इसके अलावा आपने जो कुछ फर्माया है उसमे ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी कहा है। आज पीने के पानी की योजनाओं के ऊपर शहरों में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बनास योजना का जब प्लान बनवा लिया, जब योजना बन कर सामने आ गई, जिस पर करीब एक लाख, डेढ़ लाख रुपये केवल योजना बनाने पर खर्च किया, उस योजना को यदि आप पूरा करें तो मैं समझता हूं कि इस योजना से जयपुर के पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है, इस योजना से टौंक के पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है, ब्यावर को पानी दिया जा सकता है, अजमेर को पानी दिया जा सकता है। इतनी इम्पोर्टेन्ट योजना है, इसको आप इसलिए पूरा नहीं करते क्योंकि आपके ऊपर राजनैतिक प्रेशर नहीं है, तो मैं समझता हूं कि यह आप का महान पक्षपात होगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, वित्त मंत्रीजी से खास तौर पर अपील करूंगा, आप पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध करें, अगर आपके अन्दर कुछ शर्म है, अगर आपकी आंखों में पानी है, नहीं तो आप जो एक्जिस्टिंग योजना पानी की थी उसको नहीं छीन सकते हैं और अगर छीनते हैं तो यह जनता के अधिकार पर कुठाराघात है ...

श्री शंकरसिंह : उनकी आंखों में पानी तो है, लेकिन आपकी सूखी आंखे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपकी आंखों में पानी आ जायगा तब पता लगेगा। टाइम की बात है, किसी दिन आपकी आंखों में बहुत पानी होगा तो मैं कहूंगा. आपकी आंखें सूखी हैं ... तो बनास से संबंधित योजना का जो भी खर्चा हो उसको प्राथमिकता दें और पीने के पानी की समस्या हल हो और जिन किसानों का गला घोंटा है, उनको उन तहसीलों में वापस जमवा रामगढ़ बांध से पानी दें।

एक बार मैंने मांग की थी कि दौसा का जो रेलवे क्रॉसिंग है आगरा-जयपुर

Page No 85

(85)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सड़क पर, उस बारे में कई जगहों से शिकायत आई है, मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने आश्वासन दिया था कि चूंकि यह मामला केन्द्रीय सरकार का है पुल बनाने का इसलिए वे ही यह काम करेंगे, उस पर सड़क हम बनायेंगे और प्रगति हो रही है, कुछ करेंगे लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वह प्रगति कितने साल तक होकर पूरी होती है ? 10 साल में होगी या 20 साल में होगी ? इसका समय तय किया जाए और पुल का काम हाथ में लिया जाए ताकि यात्रियों का समय वेस्ट न हो और हैरेसमेंट भी न हो।

हमारे क्षेत्र में शीत लहर के बारे में आज भी प्रश्न था। यह मानवीय और महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, इस बारे में सरकार की ओर से राजस्व मंत्री ने यह जवाब देकर टाल दिया कि मेरे पास सूचना नहीं है। हमारे क्षेत्र में 70-80 प्रतिशत के बीच खराबा है। क्या इसी आधार पर आप तुरंत लगान माफ करेंगे और विधायकों से राय लेकर कम से कम स्थगित तो करवा दें, माफ करना तो आपके हाथ की बात है। अतः अन्य वसूलियां तुरन्त बन्द करदें।

मैंने स्थगन प्रस्ताव के द्वारा यह मांग की थी कि दौसा में बहुत समस्यायें हैं, एक तरफ वहां केस वर्क का दबाव है, आबादी के लिहाज से कई जिलों से बड़ा है, राजस्व के मामले में यह सब-डिवीजन कई जिलों से ज्यादा राजस्व देता है। शिक्षा के लिहाज से इस सब-डिवीजन में जितने छात्र हायर एजुकेशन लेविल पर हैं उनकी संख्या कई जिलों से ज्यादा है और प्राईमरी एजुकेशन में एक जिले से ज्यादा विद्यार्थी हैं। इसलिए आप निर्णय लें और दौसा को जिला मुख्यालय घोषित करें तो उन समस्याओं का समाधान हो सकता है जिससे केस वर्क की वजह से, विद्यार्थियों की एडमिशन की ऐसी समस्यायें आए दिन खड़ी होती हैं, उनका एक मात्र इलाज है दौसा को जिला घोषित करना। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इस पर विचार करके तुरंत निर्णय लें और दौसा को जिला बनायें।

दौसा तो जिला बनेगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता लेकिन उसका श्रेय आप लेते हैं अथवा और किसी को मिलता है यह देखना है। अगर आपके हाथों से वह जिला बनता है तो आपको धन्यवाद देता हूं अन्यथा वह जिला तो बनेगा ही। इसमें तो कांग्रेस का भी प्रस्ताव मंगवा सकते हैं। इस श्रेय से मुझे कोई मतलब नहीं। यह वाजिब मांग है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टो)

जयपुर में हाई कोर्ट बैंच के मामले में जब जब प्रश्न उठाया जाता है तो इस प्रश्न को जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्यगण एवॉइड करते हैं जैसे पूर्वी राजस्थान में कोई लिटीगेशन ही नहीं हो, जैसे पूर्वी राजस्थान में सभी लखपति हैं, जैसे उन्हें जोधपुर जाने के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। इस तरह की बात कह कर वे लोग इस बात को टालते हैं लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि किसी राज्य की राजधानी में हाई कोर्ट बैंच न हो, इससे ज्यादा राजनैतिक सत्ता का क्या दुरुपयोग हो सकता है ? राजस्थान हाई कोर्ट का बैंच जयपुर में स्थापित होना हर तरीके से वाजिब है। लेबर के जितने केसेज

Page No 86

(86)

(श्री मूलचन्द सामरिया)
होते हैं वे करोड़पतियों के नहीं होते हैं, किसान लखपति नहीं होते, धौलपुर से जोधपुर एक आदमी जायेगा तो आने जाने में कितना खर्चा होगा । इसलिए सस्ता न्याय देने वाली इस सरकार, समाजवाद लाने वाली इस सरकार, किसानों को सुविधा देने वाली इस सरकार और मजदूरों की वफादार इस सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि सस्ता व तुरन्त न्याय देने के लिए और कानून की सरकार कहलाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच तुरन्त जयपुर में स्थापित करें और मानवीय आधार पर सोचें । मैं चुनौती देता हूं कि ह्विप की लट्ठ को एक तरफ रखेंगे तो कम से कम छूट देकर माननीय सदस्यों की राय जान लेंगे । मैं दावे के साथ कहता हूं कि 70 प्रतिशत सदस्य इस पक्ष में हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट बैंच जयपुर में हो और नहीं तो फिर आप समाजवादी और जनतांत्रिक सरकार कहलाने का अधिकार नहीं रख सकते । न्यायोचित मांग को आप ह्विप के द्वारा दबायें और यहां पर कहें कि ह्विप के डण्डे के जरिए इस मांग को दबा सकते हैं तो ठीक है, जनता इस मांग को उग्र रूप से मनवाने के लिए आतुर होगी और फिर गोली चलेगी, लाठी चार्ज होगा, अश्रु गैस चलेगी, आप इतना खर्चा नहीं कर पायेंगे और घोषणा करेंगे वाहवाही लूटने के लिए । इसलिए सोचकर न्यायोचित तरीके से सरकार फैसला करे, कोई कारण नहीं कि जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट बैंच स्थापित करने में बाधा हो ।

दौसा क्षेत्र में पशुधन के लिहाज से जिस तरह की उन्हें इलाज की सुविधायें हैं उसको देखते हुए जनता की मांग है कि वेटिरनरी चिकित्सालय, भांडारेज में खोला जाए, इस तरह की घोषणा कृषि राज्य मन्त्री करके आये हैं । अगर उनकी साख है तो उसको बचाओ और दौसा के आदमी की इज्जत रखो जिससे लोगों को विश्वास हो कि कांग्रेस के मन्त्री जो आश्वासन देते हैं वे पूरे होते हैं । एक सरपंच को कांग्रेस में लिया था उस समय यह घोषणा की थी, उस बात को पूरा किया जाए ।

सैंट्रल पूल में वाटर वर्क्स के लिए आवश्यक धन राशि ग्राम सैंथल व आंधी की जमा कराई जा चुकी । उसकी बहुत आवश्यकता है । कुछ फार्मेलिटीज को पूरा करके उस कस्बे को तुरन्त पानी दिया जाये और वहां वाटर स्कीम चालू की जाये ।

बिजली के लिहाज से अच्छे अच्छे कस्बों को छोड़ रक्खा है जहां सिंचाई के साधन काफी अच्छे हो सकते हैं अगर पानी हो लेकिन राजनैतिक दृष्टि से उस तरफ ध्यान नहीं देते । वहां के सरपंच की मृत्यु हो गई, वह कांग्रेस के विरोधी थे, उनकी नाराजगी की वजह से नेताओं ने अधिकारियों को मनाही की कि ग्राम कुन्डल में बिजली न जाए । मेरा निवेदन है कि राजनैतिक दृष्टि से किसानों का गला न घोटा जाए । मैं शिकायत करने का आदी नहीं हूं लेकिन मजबूर हूं कि मुझे कहना पड़ता है क्योंकि जनता की मांग है ।

दौसा पंचायत समिति ने अपनी साधारण सभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था एस. डी. ओ. के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पास किया गया कि उन्होंने

(श्री मूलचन्द सामरिया)

धांधली की है और, उन्होंने पैसा खाया है। विद्यार्थियों की तरफ से आन्दोलन हुआ उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि एस. डी. ओ. व ई.ओ को दूसरी जगह भेजा जाए क्योंकि आए दिन आवश्यक वस्तुओं के वितरण में धांधली करते हैं, मन चाहे लोगों को लाईसेंस देते हैं, सोसायटीज को कुछ नहीं देते हैं। क्योंकि सोसाइटीज पैसा नहीं खिला सकती, इसलिए उनको वन्चित किया जाता है और सारे आन्दोलनों की जिम्मेदारी एस डी. एम. व ई. ओ. पर आती हैं। यदि ये अधिकारी अच्छे हैं तो मन्त्री जी अपने क्षेत्र में उनको लगायें और हमारे लिए किसी निष्पक्ष व्यक्ति को भेजें जो किसी का चमचा न हो। चमचागिरी करके जो जनता को परेशान करें, तो वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर उनका अपनी कॉन्सटीट्यूएन्सी में ले जायें तो वे निरंकुश हो कर काम नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में इस बजट भाषण में समाज कल्याण विभाग के कार्यों के बारे में कई बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गयी हैं। यहां सदन में माननीय मन्त्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया तीन नगरपालिकाओं के शहरों पर केकड़ी, आबू वगैरहा में सिर पर मैला ढोने की प्रथा को बन्द कर दिया गया। यह बात उन्होंने इस रेफरेन्स में भी कही कि गांधी शताब्दी के अवसर पर सर पर मैला ढोने की प्रथा को सरकारउठाने का प्रयास कर रही है। मैं इसके लिए इस सरकार को और सदन के कांग्रेसी सदस्यों को यह कहना चाहूंगा कि गांधी जी का नाम तो आप सिर्फ नारे लगाने के लिये ही रखें तो ठीक रहेगा क्योंकि गांधी जी ने तो न मालूम क्या क्या बातें कही थीं उनका यह कांग्रेसी सरकार अमल नहीं कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ता है और यह बड़ी विडम्बना है इस देश की और यह बात बड़ी ही हास्यप्रद लगती है कि एक इन्सान का मैला दूसरा इन्सान अपने सिर पर सुशोभित करे। आज सरकार कहने को तो कानून बनाती है कि छुआछूत करना गैर कानूनी है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा कौनसा व्यक्ति होगा जो कि सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति के पास बैठना पसन्द करेगा। ऐसा कौनसा व्यक्ति होगा जो कि सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति से नफरत नहीं करेगा। तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार ऐसा कानून बनाती है कि छुआछूत को समाप्त किया जाय दूसरी तरफ ऐसी व्यवस्था को बनाये रखना चाहती है कि एक मजबूर इन्सान दूसरे इन्सान का मैला अपने सिर पर ढोये। तो यह छुआछूत कैसे मिट सकती है इसके लिए अच्छा तो यह हो राज्य सरकार को चाहिए कि इस छुआछूत के कानून को समाप्त किया जाय। अन्यथा मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आप ऐसी प्रतिज्ञा करें कि जब तक यह सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त नहीं होगी हम खुद अपना मैला अपने हाथ से उठायेंगे, हम अपना मैला खुद साफ करेंगे। जब तक इस तरह की प्रतिज्ञा आप नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि यह कुप्रथा हमारे यहां से नहीं हटेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह कितना कष्टदायी है, कितना पीड़ादायी है कि एक इन्सान का मैला दूसरे इन्सान अपने सिर पर ढोये। आज आपको समाजवादी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

कहलाने वाली सरकार, आपकी कल्याणकारी कहलाने वाली सरकार एक कमजोर वर्ग के लोगों को दूसरे इन्सान के मैले को उठाने के लिए बाध्य करती है। कितने दुर्भाग्य की बात है यह हमारे लिए कितने दुःख की बात है। हमारे लिए कि आप सिर्फ छुआछूत को बन्द करने का नारा देकर इन पिछड़ी जाति के लोगों को चकमा देकर राज्य कर रहे हैं। पिछले सदन में भूतपूर्व मन्त्रियों ने भी अपने जवाब में इसे बन्द करने को कहा था और एक भू.पू. मन्त्री जब ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस पर कोई एश्योरेन्स दे देता है तो बाद में चाहे वह मन्त्री मन्त्री नहीं रहे वह एश्योरेन्स समाप्त नहीं हो जाता है उस एश्योरेन्स के पूरा करने की सरकार की जिम्मेदारी हमेशा बनी रहती है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सिर पर मैला ढोने की प्रथा को तुरन्त हटाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेशों में तो नहीं गया लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि ऐसी कुप्रथा किसी विदेश में नहीं होगी। आज वहां की जनता जब यह प्रथा यहां आकर देखती है या सुनती है तो हमारे देश के प्रति कितनी हंसी होगी। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ओल्ड एज पेन्शन के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। इस बारे में बार बार सरकार से निवेदन किया गया और राज्य सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि ओल्ड एज पेन्शन के नियमों में सरलीकरण किया जायेगा पर आज तक उन नियमों का सरलीकरण नहीं किया गया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार के मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इनके नियमों का सरलीकरण किया जाय। आज बेचारे अन्धे, लूले, लंगड़े लोग जो बूढ़े हैं उन्हें कई जगह जाकर सर्टीफाई कराना पड़ता है। कभी उसको तहसीलदार के पास जाना पड़ता है तो कभी उसको कहा जाता है कि जाकर फोटो खिचवा कर लाओ, कभी उसको कहा जाता है कि वार्ड मेम्बर से सर्टीफाई करवा कर लाओ, कभी कहते हैं कि सरपंच से सर्टीफाई करवाया जाय तो इस प्रकार वह बेचारा अन्धा, लूला, लंगड़ा व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता रहता है और उसको वह पेन्शन प्राप्त नहीं होती है। आप सोचिये एक अन्धा और लंगड़ा या अपाहिज कहां कहां घूमता फिरेगा। आज इसका प्रोसेज बहुत ही लम्बा है उसे कम किया जाय तथा जो पेन्शन दी जाय वह डेट ऑफ एप्लीकेशन से दी जानी चाहिये न कि डेट ऑफ ऑर्डर से।

इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, वह है हमारे दौसा के जूनियर इन्जीनियर साहब के बारे में। हमारे दौसा के आर. एस. इ. बी. में जो जे. इ. एन. श्री झालानी हैं वह हमारे पास के ही गांव के हैं। उन्होंने अपने घर का ही डिपार्टमेन्ट खोल रखा है आज कोई व्यक्ति उनके पास एस्टीमेट के लिये जाता है तो वह उनको चार सौ रुपये का एस्टीमेट बना देते हैं और अगर कोई सौ रुपया रिश्वत देता है तो उसका वही एस्टीमेट सिर्फ 37-38 रुपये का ही बना कर देते हैं। तो मेरा आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन है कि आप हमारे दौसा में ऐसे निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारियों को ही क्यों भेजते हैं, इसका कारण यह तो नहीं है कि दौसा से हमेशा विरोधी दल का सदस्य जीतता है। ऐसे व्यक्ति अगर आपको ज्यादा

(श्री मूलचन्द सामरिया)
प्यारे हैं तो आप अपने ही क्षेत्र में रखें तो अच्छा रहेगा। आज ऐसा पाया गया है कि हमारे यहां ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जो कि करप्ट हो, बुद्धिशून्य हो या ऐसा व्यक्ति भेजा जाता है जिससे कि गवर्नमेंट का कार्यभार नहीं सम्भले।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप श्री मूलचन्द को गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स की लिस्ट दे दें तो ठीक रहेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : अगर माननीय सदस्यों को ऐसे अधिकारियों से प्रेम हो तो वह अपने क्षेत्र में ले जावें। वरना अगर आप लिस्ट की बात करेंगे तो ऐसे अधिकारी सिर्फ दस प्रतिशत ही होंगे जो इस प्रकार निक्कमे हों। जिनमें से कि आप हमारे यहां पर भेज देते हैं। इसके अलावा यह मैं कह सकता हूं कि नियमानुसार कार्य करने वाले भी दस प्रतिशत ही व्यक्ति मिलेंगे। बाकी अगर इस तरह से आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भेजेंगे तो फिर ऐसी स्थिति आजायेगी कि फिर दौसा की जनता ही उनसे निपटेगी क्योंकि जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है वह लोग नाकाबिले वर्दाश्त हैं।

इसके अलावा माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने वजट भाषण में यह भी कहा कि नई दण्ड प्रक्रिया संहिता एक अप्रेल, 1974 से प्रभाव में आ रही है इससे नई संहिता के आधार पर कार्यपालिका से न्यायपालिका पूर्णतया अलग हो जायेगी। इससे ऐसा होगा कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में अधिकतर केसेज में कमीटल प्रोसिडिंग्स ही होगी और ट्रायल प्रोसिडिंग्स डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के न्यायालय में होगी जिससे सारी कार्य केसेज का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आ जायगा और किसानों, गरीबों, मजदूरों का न्याय अत्यन्त मंहगा हो जायेगा जिसे पाने में वे असमर्थ होंगे। तो इसके लिए मेरा निवेदन है कि वकीलों को तो कोई फर्क डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स कोर्ट्स में जाने से पड़ता नहीं क्योंकि उनको तो मेहनताने के अलावा सारा खर्चा मिलेगा, उसके मुअक्किल पर पड़ता है तो वह अन्ततोगत्वा गरीब, मजदूर व किसानों पर और गरीब जनता पर ही भार पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि इसके लिये आप दौसा के लिए तो ऐसी व्यवस्था फर्मावें कि वहां पर एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज का न्यायालय कायम करें। ताकि जो राज्य सरकार की नीति है कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिये वह मिल सके। ऐसी ही सिफारिश बाफना कमेटी ने भी अपने प्रतिवेदन में दी थी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं खान भाखरी से कुन्डल तक की सड़क के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उस सड़क में मिट्टी भी डलवायी गई थी पर बरसात के कारण वह मिट्टी बह गई जिससे वहां का रास्ता भी खराब हो गया है इसको अगर आप पूर्ण करा देंगे तो वहां के आस पास की जनता को काफी राहत मिलेगी। दूसरे दौसा से खान भाखरी की सड़क की भी मरम्मत पुरी करवायी जाय। उस सड़क के पूरी हो जाने से पांच-दस पंचायत समितियों का आपस में लिन्क हो जायेगा। अन्यथा जनता को काफी कष्ट होता है क्योंकि इन ऐरियाज में बाण गंगा नदी बगैरहा बहती है और वहां पर आस पास के ऐरिया में गन्दगी और कीचड़

(श्री मूलचन्द सामरिया)
हो जाती है। अतः इनको बनायी जावे। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा उसमें राज्य सरकार ने, पिछले साल के बजट में जो कार्यक्रम थे, उनके बारे में चर्चा की और इसके साथ में यह भी कहा गया है कि हमारे राजस्थान में पिछले चार सालों से सूखा पड़ रहा है और पिछले साल अत्यधिक वृष्टि के कारण प्रदेश में भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके अलावा दूसरी बंगला देश की समस्या के बारे में जिकर किया गया था उससे भी हमें काफी कठिनाइयां उठानी पडी थीं। लेकिन इन सभी के होते हुए भी वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। बजट पेश करने से पहले ऐसी विकट परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि काफी कर लगेंगे। लेकिन वित्त मन्त्री महोदय ने ऐसी परिस्थितियां होते हुए भी कोई नया कर भार नहीं लगाया। इधर छठे वित्त आयोग ने पिछले साल की गम्भीर स्थितियों को देखते हुए हमें धनराशि दी। इसके अलावा यह बात भी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जनता पर नये कर नहीं लगाते हुए वित्त मन्त्री जी ने विकास के कार्यक्रम को जारी रखने की घोषणा भी की है। इसके साथ मिनीमम नीड्स प्रोग्राम की जो स्कीम्स हैं उनके लिए अलग अलग जगहों के लिये बजट का एलोकेशन किया है, इसके लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि उन स्कीम्स के लिए वहां के स्थानीय स्त्रोतों से ही एक्सपेन्डीचर किया जायेगा। इसके अलावा झामर कोटड़ा में जो रोक फॉसफेट की कीमत की दर को बढ़ाकर ज्यादा धनराशि की उपलब्धि की है इन सभी के लिये वित्त मन्त्री महोदय ऐसा अच्छा बजट पेश करने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं और इसके लिये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वित्त मन्त्री जी ने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेअर की स्कीम्स के लिये बजट का जो एलोकेशन किया है वह ठीक नहीं किया है। इसमें भिन्न भिन्न जिलों के लिए भिन्न भिन्न एलोकेशन्स बजट का किया गया है लेकिन कुछ इलाकों में इनके वेलफेअर के लिए कोई स्कीम्स नहीं दी गयी हैं। जब इसका कारण मन्त्री महोदय को पूछा गया तो यह बताया गया कि वहां के स्थानीय अधिकारियों से स्कीम नहीं आने के कारण हम उन इलाकों में स्कीम्स के लिए बजट का एलोकेशन करने में असमर्थ हैं। तो ये जो अधिकारी लोग हैं, ये भी तो आप ही के हैं। माननीय वित्त मन्त्री जी अलग अलग विभागों को एलोकेशन करते हैं, वे यह भी देखें कि सही रूप में वह पैसा खर्च हो रहा है या नहीं, जैसा बजट में सामाजिक सेवाओं के लिये अलग अलग एलोकेशन्स किये हैं, विशेषकर हरिजन कॉलोनीज, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए।

पहले भी वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की थी गांधी शताब्दी वर्ष में सब जगह व्यवस्था कर देंगे, परन्तु फिर भी हमारे जिले में हमको देखने को मिलता है कि वहां पर इसके लिये कोई स्कीम ही नहीं आती है। इसलिये सोशल वैलफेयर अधिकारी और

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अन्य टैक्निकल अधिकारियों से राय लेकर सारे विभागों को निर्देश होने चाहियें और उनमें कोआॅर्डिनेशन होना चाहिये जिससे कि जिलेवार स्कीम्स समय पर आ जायं और उसके अनुसार कार्य हो। वरना होता क्या है कि कुछ जिलों में तो पैसा चला जाता है और कुछ में कहा जाता है कि स्कीम ही नहीं आयी है और पैसा नहीं आया है। पश्चिमी जिले हैं, उनमें कम एलोकेशन किये जाते हैं। हाउसिंग सोसायटी है पिछड़ी जाति के लोगों के लिये, रजिस्ट्रेशन का प्रश्न आता है, एलोकेशन न होने पर बार बार जब प्रश्न करते हैं तो कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसलिये नहीं दिया जा सकता। रजिस्ट्रेशन करने की किसकी जिम्मेवारी है? सोशियल वैलफेयर आफिसर की है या दूसरे विभाग की है। आपस में कोआॅर्डिनेशन नहीं होने से यह सारी दिक्कत होती है। जब वित्त मन्त्रीजी कोआॅर्डिनेशन बना कर एलोकेशन करेंगे तब ही जाकर सारी दिक्कतें दूर होंगी। दायित्व भी उनके द्वारा समझा जाने लगेगा।

वित्त मन्त्री जी बजट को टाइट करके पैसा खर्च करने के लिए बैठे रहते हैं लेकिन कोआॅर्डिनेशन के अभाव में वह पैसा खर्च कर नहीं सकते और सरेन्डर करते हैं। इसलिए उनको यह देखना चाहिये कि सरेन्डर क्यों करते हैं क्यों नहीं खर्च किया गया, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है। इस प्रकार सख्ती से काम करने से ही पिछड़ी जाति के लोगों का विकास होगा।

उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मन्त्री जी ने कृषि विभाग, एनिमल हस्बैण्डरी और डेयरी डवलपमेन्ट के लिये ज्यादा पैसा रखने के लिए बताया और जो पशु प्रधान जिले हैं वहां पर स्थानीय विकास की दृष्टि से स्कीम्स रखने की बात कही है, यह उनका कदम सराहनीय है। लेकिन मैं इस ओर माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जालोर जिले में डेयरी विकास की एक स्कीम प्राइवेट सेक्टर में दी है। दूसरी जगह पब्लिक सेक्टर में दी है। दो साल हुए उसकी नींव ही नहीं खड़ी हुई है।

इसके पास में गुजरात में जगह जगह डेयरीज हैं। प्लान्ट लगे हुए हैं। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि हमको मेसाना से दूध अपने यहां पर मंगाना पड़ता है जब कि सांचौर नस्ल की गायें भैंसें दूसरी जगह पर जाती हैं। इतना स्कोप होते हुए भी हमको वहां से दूध मंगाना पड़ता है।

जब आपने डेयरी प्लान्ट लगाने के लिए लाइसेन्स दिया तो आप उसको डेयरी शुरू कराने के लिये भी तो फोर्स कीजिये। नाथूरामजी मिर्धा और मुख्य मंत्री जी ने भी घोषणा की कि डेयरी शीघ्र दूध लेने लग जावेगी। लेकिन नींव ही खड़ी नहीं हुई है, दूध कहां से लेने लग जावेगी? यदि इस प्रकार से कार्य होता रहा तो इसका डेवलपमेन्ट का कार्य ही रुक जायगा। एक ही स्कीम से इस प्लान्ट से हमको वहां पर फायदा होने वाला है और कहा यह जाता है कि गुजरात से यह दूसरे नम्बर की डेयरी होगी। फिर इसकी प्रोग्रेस को देखते हुए बड़ा ही दुःख होता है कि अभी तक नींव ही नहीं लग पायी है तो डेवलपमेंट होने में देर लगेगी। इसलिये आपसे अनुरोध है कि इसकी प्रोग्रेस को आप जांच करके इसको शुरु कराइये ताकि हमारे वहां का डेयरी विकास हो सके।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जब बाढ़ आयी और फसल नष्ट हो गयी तो हमने बीज की मांग की लेकिन हमको समय पर अच्छा बीज उपलब्ध नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि जिसको जो भी बीज मिला उसने वह बीज जमीन में डाल दिया। लूणी नदी के अन्दर बाढ़ आयी और बाढ़ के बाद कहते हैं कि प्रोस्पेरिटी आती है।....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने बीज की मांग कब की? बरसात के बाद में जब नदी में बाढ़ आयी ....

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब पानी आता है तो प्रोस्पेरिटी आती है।

श्री परसराम मदेरणा : हमको पता नहीं था कि नदी आ जावेगी। यह भी पता नहीं कि रवी में मांग करेंगे या नहीं?

श्री रघुनाथ विश्नोई : पानी आया तो प्रोस्पेरिटी आवेगी ही ....

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार को क्या पता लगता है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मंत्री जी इतना इन्टरफियर करते हैं और कॉन्फिडेन्स के साथ कहते हैं तो बीज दिलाने में क्यों असमर्थ रहे? आपके कथनानुसार केन्द्रीय सरकार रिलीज़ नहीं कर रही थी। हरियाणा ने और बिहार ने भी बीज की मांग की हुई थी। हालांकि बीज लेट मिला कोशिश करने के बाद, और उसके लिए भी एक्स्पर्ट यह कहते हैं कि अच्छी वैराइटी का बीज दिया जाता तो गेरु' रोग न लगता। अमुमन जब अधिक पानी आता है तो इस रोग का तरा रहता है। हमारा दुर्भाग्य है कि वे कहते हैं यह बीमारी कन्ट्रोल नहीं होती है। एक फूड मिनिस्टर कहते हैं कि हमको बीज रिलीज हो जाएगा। उधर वे रिलीज नहीं करते हैं। नतीजा यह होता है कि जो हमने लेवी में गेहूं दिया वही हमको वापिस 125) के अन्दर दिया गया। वहीं का वहीं बीज ही गोदाम से निकाल कर दे दिया जो हमसे 62 रुपये प्रति क्विन्टल से लिया था एक पैसे का खर्चा एफ. सी. आई. ने नहीं किया। बोरी बाहर गोदाम से निकाली तो 2) रु. बोरी एस. डी. सी. को और दो। ये बातें प्रेक्टिकल हैं। इन्डिपेन्डेन्ट बोडीज़ हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमको समय पर बीज दे। कहते हैं कि हरियाणा से मंगायेंगे तो महंगा पड़ेगा। लोगों को इन बातों से विश्वास नहीं होता है कि बीज मिल भी जायगा या नहीं इसलिए जैसा तैयार बीज मिला लोगों ने डाल दिया। 1 लाख एकड़ में फसल खड़ी हुई है।

सैंटर की टीम ने भी इसको देखा है। पानी ज्यादा होने की वजह से दिसम्बर के अन्दर गेरु की बीमारी सामने आने लगी। इसकी सरकार को सूचना दी। केन्द्रीय सरकार ने टीम भेजी कि क्या मामला है इसको देखें। उसने अपनी रिपोर्ट दे दी कि भयंकर बीमारी फैल रही है और इसके आस पास के प्रान्तों में फैलने का निश्चित रूप से खतरा है। उसने सैन्टर को आगाह कर दिया और केन्द्रीय सरकार ने 75 पर्सेन्ट तक का खर्च देकर इस एपेडेमिक को रोक देने का आश्वासन दिया। लेकिन काश्तकारों से पूछा जाता है कि स्प्रे कराने के लिए पैसा दो। पैसा दोगे तब ही दवा छिड़केंगे। जिस काश्तकार ने भी 50 पर्सेन्ट पैसा दिया वहां पर दवा छिड़क दी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
गयी और जिसने नहीं दिया वहां यह कार्यवाही नहीं हुई।

हालांकि एपिडेमिक एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। मंत्री जी ने फाइनेन्स डिपार्टमेंट को कहा। फाइनेन्स ने कहा कि बजट में इसके लिए हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है। नतीजा यह हुआ कि एक गांव में फैलते फैलते यह 15 गांवों में बीमारी फैल गयी और अब सब जगह फैल गई है। केन्द्रीय सरकार ने कहा कि आस पास के प्रान्तों में यह फैल सकती है। और खाद्य समस्या विषम हो सकती है तो खुद सरकार को भी चिन्ता हुई और उन्होंने फंड्स रिलीज किया कि हम पैसा देंगे। आप स्प्रे कराओ। हेलीकाप्टर से स्प्रे कराने की व्यवस्था के बारे में सोचा गया। इस पर मैंने कहा कि आप स्प्रे तो करवा रहे हैं पर यह पहले मालूम कर लें कि इससे लाभ होगा या नहीं क्योंकि जिन काश्तकारों ने पहले अपने पास से पैसा देकर स्प्रे कराया था उनकी भी फसलें नष्ट होने से नहीं बच सकीं और इसके लिये एक्सपर्टों ने यही कहा कि यह स्प्रे तो केवल प्रीवेन्टिव नेचर का है। बीमारी की रोक-थाम करने के लिए है, बीमारी लग जाने के बाद उसे क्योर यह नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में स्प्रे करके जो खर्चा सरकार वहन करना चाहती है वह खर्चा भी अकारथ जावेगा। यह खर्चा करीब दस लाख का बताया गया था जिसका पचास प्रतिशत लोन के रूप में था और 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब एक्सपर्ट की टीम उन्होंने यह जांचने के लिये भेजी तो उन्होंने यही कहा कि बीमारी लग चुकी है, स्प्रे से वह अब मिट नहीं सकती। इसका कोई इलाज होने वाला नहीं है। इसका केवल एक इलाज है कि इस फसल को जिसमें बीमारी लग चुकी है समाप्त कर दिया जाय, जला दिया जाय ताकि इसके जर्म्स आगे हवा के द्वारा या अन्य साधनों से आस-पास को फसलों तक न फैल सके। इसके बाद किसान को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया।

तो इस साल तो जो हुआ सो हुआ, अगले साल की फसल के लिये। हमें इससे सबक लेकर चलना चाहिये। इतनी बड़ी अच्छी फसल इस साल की इस तरह से हमारे हाथ से निकल गई। जैसा वित्तमन्त्री जी ने कहा यह है नेचरल कैलेमिटी फ्लड आया, नुकसान हुआ, फिर भी अगली फसल की आशा बन्धी, अगली फसल अच्छी दिख भी रही थी कि बीच में ही यह गेरु का रोग फैल गया और किसान की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। करीब रुपये में दस बारह आना तक फसल अब तक नष्ट हो चुकी है। अब आगे भी जो चार छः आना बची गिनते हैं वह भी भगवान भरोसे ही है।

इसके अलावा कुछ लोगों ने, जो अच्छे काश्तकार थे, उन्होंने हाई ब्रीड का बीज लेकर खेती बोई। इसमें गेरु की बीमारी वास्तव में नहीं लगती यह साबित हो गया। आसपास के खेतों में गेरु की बीमारी पर इसकी फसल में नहीं। पर हमारा दुर्भाग्य, और इन किसानों का भी दुर्भाग्य कि शीत-लहर ने इस की फसल को भी चोपट कर दिया। यह गेहूं की किस्म शीत के लिए बड़ी सेन्सिटिव गिनी जाती है, और इस कारण बहुत जल्दी शीत के प्रभाव में आ गई

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
गेहूं की लाल वेरायटी जरूर शीत से रेसिस्टेन्ट है पर इसमें गेरु का डर रहता है।

जालौर में और इसमें भी सांचोर तहसील में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी लेवी आप लगाते उतनी लोग देते अगर यह गेरु रोग नहीं लगता या शीतलहर नहीं आती। फिर भी जितनी लेवी हमारे यहां से मिली है उतनी बहुत कम जगह से मिली होगी। जो लेवी में अनाज लोगों ने दिया वह भी अगर सारा ले लेते तो बहुत होता। पर कुछ आपके एफ. सी. आई. के अधिकारियों और कर्मचारियों के अत्यन्त अनुचित व्यवहार के कारण वह लेवी भी आपने लेने से इन्कार कर दिया। किसान तो तैयार था देने के लिये। अब मैं राजस्व और खाद्य मन्त्रीजी से आग्रह करूंगा कि कृषि विभाग के कर्मचारियों को समय पर आप वहां भेजें और लोस का एक्चुअल असेसमेन्ट करावें। पटवारी पर आप यह मामला न छोड़ें तो अच्छा है। उसकी तो माया अपार है। उसके बारे में कहावत मशहूर है कि

'ऊपर तो करतार और नीचे पटवार'

उसके पास रिकार्ड है। उसने हांसिल उगाना शुरू भी कर दिया है। लोग परेशान होने लगे। यहां होते हुए भी चार दिन की बीच की छुट्टियों में मुझे वहां भागना पड़ा। वहां पटवारियों ने अपना धन्धा शुरू कर दिया है। उनको मालूम है कि इस हालत में वसूली होने वाली नहीं है, फिर भी वसूलियां शुरू हो गई हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पटवारियों पर यह काम न छोड़ें। अपने अन्य अधिकारियों को और एक्सपर्टों को भेजें। जिलाधीश देख गये हैं। सब जगह लाल ही लाल फसल दिखाई दे रही है। उस फसल के बीच में से आप निकल जावेंगे तो आपके कपड़े भी लाल हो जावें यह स्थिति है। इसके लिये आवश्यक हो तो मैं चाहूंगा कि सदन की सदस्यों की एक टीम या एम. पीज. की टीम जाकर वहां की हालत का सर्वे कर ले।

श्री वृद्धिचन्द जैन : एम. एल. ए. क्यों नहीं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं कह रहा हूं न इसके लिये भी तो। गिरदावरी के रिकार्ड से आंकना कठिन होगा। दाना देख कर भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता दाना के भीतर बीज कितना भरा है। तोल में कितना उतरेगा। यह देखने से ही पता लगेगा। अन्दर सूख गया है बीज। अब कितना पर्सेन्टेज लोस हुआ है यह मालूम करना वास्तव में एक्सपर्टों का काम है। राजस्थान का, वहां के किसान का और साथ ही हमारा भी यह दुर्भाग्य है कि इतनी अच्छी फसल को यह बीमारी और शीतलहर ले गई। इसका उपचार कृषि विभाग समय पर कर नहीं सका। जो हुआ सो हुआ कृषि विभाग को इनके सेम्पल लेकर और उन पर रिसर्च करके आगे के लिये इसका हल ढूंढना चाहिये ताकि आगे ऐसी कैलेमिटी न आवे। तो इस रूप में भी गम्भीरता से राज्य सरकार को विचार करना चाहिये।

कागजी कार्यवाही से मसला हल होने वाला नहीं है। गई सो गई आगे की सुधि लेहि।

इसके अलावा बाढ़ के कारण हजारों कुए नदी में रह गये हैं। मैं वित्त मन्त्री जी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और कृषि मन्त्री जी दोनों से अपील करूंगा कि वहां किसानों के लिए विशेष तौर से सीमेन्ट देने की कृपा करें। यह इसलिए भी जरूरी है कि स्वर्गीय मुख्यमन्त्री बरकतुल्लाजी ने यह घोषणा की थी कि जिन किसानों से लेवी ली जावेगी, उनको खेती में आवश्यक चीजें जैसे सीमेन्ट, खाद अन्य खेती के उपकरण, लोहा, बीज आदि नियन्त्रित दरों पर सरकार उपलब्ध करावेगी।

बाजरे की लेवी में पहला नम्बर है बाड़मेर का और दूसरा है जालोर का। इतनी बड़ी कैलेमिटी होने के उपरान्त भी और जनसंघ वालों द्वारा रोके जाने पर भी, उनके द्वारा तोड़ फोड़ किये जाने पर भी हमने किसानों को बुलाकर कहा कि लेवी ली जावेगी और इसके बदले में सरकार आपको सीमेन्ट, खाद आदि जरूरी चीजें कन्ट्रोल रेट पर उपलब्ध करावेगी। इससे प्रेरित होकर किसान अपने गाड़ों में भरकर लेवी देने के लिये बाजरा तुलाई केन्द्रों पर लेकर आये।

परन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा और साथ ही अफसोस भी होगा कि एफ. सी. आई. वालों ने बुरी तरह से उनको तंग किया, परेशान किया, और बुरा वर्ताव किया कि आगे से किसानों का सारा उत्साह और उमंग समाप्त हो गये। उन्होंने यह कह कर बाजरा लेने से इन्कार कर दिया कि क्वालिटी ठीक नहीं है। 'हम इस क्वालिटी का बाजरा नहीं लेंगे। मैंने मुख्य मन्त्री जी को एप्रोच किया, खाद्य मन्त्री जी को एप्रोच किया। कलेक्टर ने रेवेन्यू अधिकारियों को भेजा और किसी तरह से समझा बुझा कर गाड़ी वालों को तुलाने के लिए खड़ा किया। पर फिर इस एफ. सी. आई. वालों ने अपना गलत रवैया अख्तियार किया और उसे रिजेक्ट कर दिया। कहा कि यह बाजरा हमारे लायक नहीं है। यह क्या तमाशा है? ये क्वालिटी इन्सपेक्टर और एफ. सी. आई. के लोग राजस्थान सरकार के अधिकारियों को भी को-आपरेट नहीं करते। यहां जो रीजनल मैनेजर बैठे हैं वे अवश्य सहानुभूतिपूर्वक सारी बातें सुनते हैं। यहां से हुक्म भी भेजते हैं पर नीचे वाले उन्हें इम्पलीमेंट नहीं करते। क्योंकि इन लोगों ने एजेन्ट ऐसे आदमियों को बिठा रक्खा है जो लेवी के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते और तरह तरह के रोड़े इस काम में अटकाते हैं। एफ. सी. आई. वाले कुछ करते नहीं, केवल यह कहते हैं कि जो कुछ होगा इन एजेन्टों के मार्फत होगा।

श्री वृद्धि चन्द जैन : ये एजेन्ट आर. एस. एस. वाले होंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : ज्यादा उनको कहते हैं तो कहते हैं हमारा माथा क्यों खाते हो। मैं नहीं तुलाऊंगा यह बाजरा। राजस्व अधिकारी गाड़े लेकर आवें और वे इन्कार कर दें। कलेक्टर के सामने सांचोर में दो हजार गाड़े एक दिन तो खड़े रहे। डूंगरी तोलने का केन्द्र था। अपने बैल और गाड़े लेकर किसान सात दिन तक पड़े रहे। हैरान हुए। उस दिन तो हंगामा होने तक की नौबत आ गई थी। मारपीट हो सकती थी। एफ. सी. आई. वालों के सिर फूट सकते थे। पर हमारे द्वारा समझाने बुझाने से वह हंगामा होता होता टल गया।

ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिये कि या तो इसकी समुचित व्यवस्था कड़ाई से करें या वहां वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन की

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

शाखाएं खोलें। काश्तकारों के साथ मानवीय दृष्टिकोण से बर्ताव करें। उन का एक घंटा भी व्यर्थ में खराब न हो ऐसी व्यवस्था की जावे। पहले 70 का भाव दिया, बाद में 65 और 67 किया। यह बड़ी शर्मनाक बात है। इन एफ. सी. आई. वालों में एक सुब्रह्मण्यम् करके हैं। वे बड़े गलत आदमी हैं। काफी समझाने बुझाने पर किसी तरह से 65 के भाव पर तुलाने को राजी हुए। क्वालिटी का कोई प्रश्न नहीं। यह तो उनकी मनमानी का प्रश्न है। आज तक 65 का पैसा भी उन्होंने किसानों को नहीं दिया है। वित्त मन्त्री जी के पास पैसा है नहीं। वे इन एफ. सी. आई. के भेड़ियों के भरोसे किसानों को छोड़ देते हैं। ये अपनी जिद्द पर हैं। उनकी जिद्द उनके पास है। एक क्वालिटी इन्सपेक्टर मुझे मिला। कहने लगा आप नेतागिरी करते हैं। जबर्दस्ती बाजरा तुलवाना चाहते हैं। मैंने उत्तर दिया भाई सहाब, मैं तो काश्तकारों के रोष से तुम्हें बचा रहा हूँ। अगर मैंने उनको नहीं समझाया होता तो उनके सिर फूट सकते थे।

इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी हम वित्त मन्त्री जी की बात को मानकर चल रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं। उनको सहयोग देना है, बराबर देंगे। संघर्ष भी करेंगे। पर वे भी थोड़ा सही तरीके से हमसे सहयोग लें। अगर इतनी कठिनाइयां न होतीं, एफ. सी. आई. वाले इस तरह से रोड़े नहीं अटकाते जो बाजरा लेवी में लगभग पचास हजार क्विन्टल मिला है, उससे दुगुना मिल सकता था। जिसमें मेरी तहसील सांचोर में 20 हजार क्विन्टल से ऊपर लेवी आई है। एफ. सी. आई. की मदद होती तो शायद 25 हजार क्विन्टल तक दे सकते थे। लेकिन उनकी कोई सहायता नहीं मिली इसलिये ये परिस्थितियां हैं, माननीय उपाध्यक्ष जी। मैं वित्त मन्त्री से कहूंगा एफ. सी. आई. वालों को बुलाकर के लेवी के मामले में पूरा को-आपरेशन करें। भार्गव साहब अभी यहां नहीं हैं, कह देते हैं 10 किलो दे दो, 12 किलो दे दो। स्टोर में बाजरा है ही नहीं, दे कहां से दें? कोई जादू मन्तर से पैदा होता नहीं है।

रसायनिक खाद, बीज आदि की काश्तकारों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिये और एग्रीकल्चर डवलपमेंट्स के लिये किसानों की क्रूड आयल, डीजल की जो समस्या बनी रहती है, उसको दूर करना चाहिये। हमारे जालोर में हजारों पम्पिंग सैट्स हैं जो आयल-डीजल से चलते हैं। बिजली का तो नाम निशान ही नहीं है। एक अभी कुछ दिन पहले बिजली की लाइन गई है। मुख्य मन्त्री जी ने कहा था आगे बढ़ाने पर आपके लिये भी विचार किया जायगा लेकिन साधनों के बढ़ने पर ही लाइन बढ़ाई जायगी। साधनों के बढ़ने पर इस पर विचार किया जायगा, अब न मालूम कब साधन बढ़ेंगे और कब क्या होगा....

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

जो आपके प्रोडक्टिव वैल्स हैं, मेरा निवेदन है उन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और सही इम्प्लीमेन्टेशन करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एनीमल हस्बेन्डरी की जो डयलपमेंट की स्कीम्स हैं विकास के बारे में—अब 50 पर्सेन्ट जो कैटिल वैल्थ

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है, भेड़ें, बकरियां, गायें, वे दवा के अभाव में बाढ़ में मर चुके हैं। आवागमन के विकसित साधन नहीं थे जिससे आ जा सके और उनको बचाया जा सके। हेलीकोप्टर से जो कुछ दे सकते थे वह दिया लेकिन वह नहीं के बराबर था। कितनी क्षति हुई है जानवरों की इसके आंकड़े भी आपके पास हैं या नहीं। अभी पिछले दिनों जब एग्रीकल्चर कमीशन के चेयरमैन श्री नाथूराम जी यहां आये थे तब हमने उनसे कहा कि भेड़ें दवा के अभाव में मर गई हैं और और मर रही हैं तब उन्होंने बताया 24 घन्टे में दवा अमेरीका से आती है, आप हमसे ही कह देते, हम लेते आते। मेरा निवेदन है आइन्दा समुचित व्यवस्था करें तो जो हमारी केटिल वैल्थ है, जो रीढ़ की हड्डी है विकास की, उसको बचाया जा सकता है।

इर्रीगेशन के बारे में माही और नर्वदा नदी की हमें आशायें हैं। हम जल्दी से आशा करेंगे, वड़गांव जेतपुरा की जो परमानेन्ट रीवर्स हैं, उसको डाइवर्ट कर दिया जाय। अगर पानी नहीं रोका तो दातावाड़ा में रोकने से गुजरात को फायदा होगा। इससे ड्रिन्किंग वाटर की प्राब्लम भी सोल्व हो जायगी। इसलिये जालोर जिले की तरफ जन स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ड्रिन्किंग वाटर के लिये जो कदम उठाया है वह बहुत अच्छा है। आइन्दा जो इनकम्पलीट स्कीमें हैं वह पूरी हो जायं और भविष्य में 200 गांव और खारे पानी के रह जाते हैं उसके लिये भी राज्य सरकार आगे विचार करे।

आज चिकित्सा के बारे में वित्त मन्त्री जी ने एलोकेशन किया है। प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्स की सुविधा के लिए ऐसे स्थानों में प्राथमिकता दी जानी चाहिये जहां अन्य किसी प्रकार की फेसिलिटि उपलब्ध नहीं है। पिछड़े हुये स्थानों पर, जहां हॉस्पिटल नहीं है, वहां 30 रोगी शैया अस्पताल खुलना चाहिये।

दूसरे, शिक्षा मन्त्री जी ने स्कूल बहुत खोले हैं लेकिन सरकार की स्थिति दयनीय है। सरकार से चाहूंगा जो बी. ए. पास हैं, उनको टेम्परेरी रूप से पढ़ाने की नोकरी देने की व्यवस्था कर दें तो ठीक रहे। एस.टी.सी. ट्रेण्ड जहां पढ़ा सकते हैं तो कम से कम उनको अन ट्रेण्ड ग्रेड की इजाजत दे दें। पाली, जालोर, सांचोर में पर्याप्त मात्रा में ट्रेण्ड अध्यापकों की भर्ती नहीं होती है और जहां जहां स्कूल खोले हैं वहां ट्रेण्ड अध्यापक उपलब्ध भी नहीं होंगे। इसलिये मेरा निवेदन है बी. ए. पास व्यक्तियों को पढ़ाने की इजाजत दे दी जाय। हमारे इलाके में खारा पानी है, इसलिये खारे पानी को देखते हुये मास्टरों को समुचित सुविधा देनी चाहिये। उनके फिक्सेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिये। मास्टर, जो रीढ़ की हड्डी हैं और देश के निर्माण में जिनका हाथ है, उनको अधिक से अधिक सुविधा दी जानी चाहिये। शिक्षा का स्तर जो गिरता जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रावधान करके जो टूटी फूटी स्कूलें हैं, उनका स्तर सुधारा जाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ वित्त मन्त्री जी ने जो चिन्ता का विषय था वह दूर कर दिया। बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है, उनको मैं धन्यवाद देते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीमल !

एक माननीय सदस्य : कल बोलेंगे।

श्री चन्दनमल बेद : कल क्या, आज ही चलने दीजिये न।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष जी, एक बहिन जी जो बीकानेर जाने वाली हैं, मैं उनसे वायदा कर चुका था अपने स्थान पर बोलने का। अभी हैं नहीं, इसलिये दो मिनिट का निवेदन कर दूं, क्योंकि आपने फरमाया है तो बोलूंगा।

निवेदन यह है कि मैं पीछे क्यों रहूं। मैं भी बधाई देना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में पहला वक्त है नान टैक्स आपका बजट पेश हुआ। लेकिन बजट स्टडी के देखने से मालूम पड़ता है कि कई सदन के माननीय सदस्य आंकड़ों के चक्कर में तो नहीं फंस गये हैं। इसके बावजूद भी नान टैक्स बजट बधाई का है और माननीय वित्त मन्त्री को निश्चित रूप से बधाई दूंगा कि आखिर यह कहूं कि यह इन्हीं जैसे व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वह इस प्रकार का बजट पेश करें, क्योंकि बणिक पुत्र हैं और वे जानते हैं कि बजट को कैसे पेश किया जाय। एक निवेदन करने की बात है....

श्री उपाध्यक्ष : रामानन्द जी भी जानते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : विरोधी दल के माननीय सदस्यों को उपाध्यक्ष जी इस प्रकार का अवसर आ जाये, यह मैं नहीं समझता हूं। भगवान करे आ सकता है बाकी मुझे कभी दिखता नहीं है कि पार्लियामेन्टरी सिस्टम में आपको कभी बजट पेश करने का अवसर मिले। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नॉन प्लान....

श्री केदारनाथ : माननीय सदस्य को आप यह सेन्सर कर रहे हैं।....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सेन्सर नहीं, यह सही है। कोई विरोधी नहीं है, 25 वर्ष लड़ने के बाद भी आज जो विरोधी शक्लें नजर आ रही हैं वे कभी एक शक्ल नजर आती है, कभी दो शक्लें नजर आती हैं, कभी तीन शक्लें नजर आती हैं तो कभी चार आ जाती हैं। इसलिये जिन्दगी में निराशा दिखाई देती है और तब ही सोचने का आपको और हमको अवसर मिलता है। पार्लियामेन्टरी सिस्टम में सिवाय भाषण के आपके पास और कोई बचा ही नहीं है। बहुत कुछ कहा तो इजरायल से मुकाबला कर दिया, जापान से मुकाबला कर दिया। इस देश के 17 बड़े बड़े राज्यों से मुकाबला करने का अवसर नहीं आया और न ही उस पृष्ठ भूमि में सोचने का अवसर आया।

सायं 4.00 बजे

(सभापति, श्री फूलचन्द जैन, पदासीन)

वह कल्पना ही नहीं कर सकते कि कभी उनकी भी सत्ता आयेगी और यह कुछ करेंगे। भूले भटके यू. पी. में अवसर आने वाला था लेकिन दुर्भाग्य है कि यह अवसर नहीं आया। यू. पी. सबसे बड़ी रियासत और दुनिया के कई देश इस में समा जायें....

श्री भानुकुमार शास्त्री : इलेक्शन सिस्टम में यदि आप परिवर्तन कर दें और पावर छोड़ कर आ जायें तो पता लग जायेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह तो कहें कि फलां परिवर्तन चाहिये। गालियां क्यों देते हो? यह सदन आपके और हमारे दोनों के बैठने के लिये है, राजस्थान की जनता को सही बात देने के लिये हम यहां पर बैठे हैं। यह सदन केवल इसलिये नहीं है कि गालियां निकालते रहें। सिवाय इसके कि वह चोर है, बदमाश है, हम अपने कलेवर को निकालकर देखें कि क्या है और फिर किसी को कुछ कहें। इसको कोई नहीं देखता है

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप इलेक्शन सिस्टम में चेन्ज लायें और अपनी पावर छोड़कर फिर इलेक्शन लड़ें, यह बात कही जाती है तो आपको क्यों चिढ़ आती है?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे मालूम है एक तंत्र गवर्नमेन्ट होगी वहां लोगों के मुख बन्द कर दिये जायेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? सिर्फ गालियां ही देंगे। क्या आप पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं? जो यू. पी. में चुनाव हुए उसमें सही बात देखने को मिली है। ठीक है, हमारे वित्त मंत्री जी को दूसरी बधाई और दूंगा। हम वास्तव में इस सदन में बैठने वाले हैं और डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। देश में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी जिन्दा रहे तो कांग्रेस को नहीं मरना चाहिये जिसके ऊपर सारी जनता का जीवन स्तर आधारित है। बड़े आश्चर्य की बात है कि गवर्नमेन्ट कर्मचारी स्ट्राइक करेंगे। मैं तो गवर्नमेंट के साथ हूं। आप बैठे कभी कोई रास्ता अपनाते हैं और कभी कोई रास्ता अपनाते हैं। जहां लोकतंत्र की स्थापना है वहां पर राज्य बदलेगा तो गवर्नमेंट को पैरेलाइज करने के आधार पर नहीं बल्कि मतदाताओं के आधार पर गवर्नमेन्ट का राज्य बदलेगा, नहीं तो हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उनके रास्ते पर जाना चाहिए। यदि डेमोक्रेसी का रास्ता है तो हमको सपोर्ट कीजिए और पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी को साथ दो। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपके हाउस के बिजनेस कन्डक्ट रूल्स बने हुए हैं सिविल सर्विसेज के कन्डक्ट रूल्स बने हुए हैं.........

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह कौनसा चुनाव का नियम है कि चुनाव के अन्दर भारत की प्रधान मंत्री एक महीने के अन्दर 550 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करें? और उसके सिवाय दूसरा टाइम नहीं मिला था? पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी की हत्या करने के बाद आप कहते हैं कि पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी के आधार पर चलो! सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सत्ताधारी दल पर है पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों पर चलने की।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : चुनाव होंगे और जनता को प्रसन्न करेंगे और वोट लेंगे। यह हमारी हिम्मत है कि चुनाव जीतकर आये हैं।........

श्री भानुकुमार शास्त्री : फिर क्या आपकी हिम्मत से चुनाव लड़ा जा रहा है?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य सुनने की कृपा करें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सिद्धान्त की बात है जिसको अर्ज करना चाहता हूं। सत्ता आपके हाथ में आयेगी तो यह भी नहीं होगा। विकास के काम रुकेंगे। लेकिन आपका दुर्भाग्य है सत्ता कभी आपके हाथ में नहीं आयेगी। हिंसा के द्वारा आ जायेगी तो बात अलग है लेकिन मतों के द्वारा नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्योंकि आपने डेमोक्रेसी की ऐसी हालत कर दी है कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि आप इस प्रकार करेंगे तो जनता में लोकतंत्र की आस्था टूट जायेगी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं कहता हूं कि शताब्दियों तक गवर्नमेंट नहीं बदल सकती। चलो मैं अब कहता हूं कि दो सौ वर्षों तक यह सत्ताधारी पार्टी नहीं बदल सकती। मैं विरोधी बात नहीं कर रहा हूं। यह देश की स्थिति है, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपके हाथ में सत्ता आयेगी तो प्रधान मंत्री ने तो 550 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया आप तो 1050 करोड़ का करेंगे। इन बातों से आप दोष दो यह गलत बात है। आपके मधोक साहब मिल गए वह कहने लगे कि स्याही ही बदल दी।.......

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुरार जी भाई कहां गये.......

श्री यशवन्त सिंह नाहर : तो मेरा निवेदन यह है कि जो बजट भाषण है उस पर कोई लम्बी चौड़ी बहस नहीं करना चाहता। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहना भी नहीं है लेकिन कुछ बातें वित्त मंत्री जी को, जिनके हाथ में राजस्थान का सब कुछ है, राजस्थान में इस बैलेन्स बजट में क्या यह सम्भावना नहीं है कि खर्च कम किया जा सकता था......

श्री चन्दनमल बैद : करेंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस बजट में कहा है कि 1972-73 में 8 करोड़ 58 लाख का घाटा है और 1973-74 में 33 करोड़ का घाटा है और जब संशोधन हो गए तो 56 करोड़ का घाटा हो गया। अभी यह आपका अनुमान ही है। इसके आगे कुछ नहीं है। उस अनुमान की खूबसूरती है कि आपको 6 करोड़ 68 लाख की बचत है। यह अनुमान है खर्च कम बता दीजिए और आमद ज्यादा बता दीजिए। यह आंकड़ों की ही तो जगलरी है। इसलिए आगे जाकर मीट करना पड़े तो हम आपके साथ बैठने वाले आज बधाई दें तो, हमें माफ करें, कहीं हमें अन्य शब्द निवेदन नहीं करने पड़े। शायद जरूरत नहीं पड़ेगी।.......

श्री चन्दनमल बैद : फाइनेन्स कमीशन से ज्यादा अनुदान मिलेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसलिए मैं आंकड़ों में नहीं पड़ना चाहता हूं लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में दो करोड़ 57 लाख की पोपुलेशन है। आपकी माइका का क्या हुआ। यहां तो आप राजस्थान में रतनगढ़ की बात बोल रहे थे और खेतड़ी की बात बोल रहे थे। इण्डस्ट्री में तो हम बहुत पीछे हैं। भारतवर्ष की ही बात करें, जापान की बात करना तो बड़ी बेवकूफी की बात होगी।

लेकिन अगर हिन्दुस्तान के हिस्से की बात करें तो भी मैं निवेदन करना चाहता

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

हूं कि राजस्थान इण्डस्ट्री में बहुत पीछे है। आप और हम क्या कहें, हमारी कई कठिनाइयां और कई स्थितियां हैं। आपने जो यह इकोनोमिक स्टेटिस्टिक्स है उसमें आपका माईनिंग का प्रोडक्शन कहां चला गया ? सिवाय एकाध माईनिंग के प्रोडक्शन के बाकी सब में माइनस। यहां खनिज मंत्री महोदय होते तो शायद उनको देखना पड़ता कि सब में माइनस। कहां गई माईनिंग, जमीन खा गई या हम खा गए ? और दूसरे प्रश्न आए, खाद्यान्न का प्रश्न आया, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन का प्रश्न आया। एक बात और कह दूं कि आप कहते हैं कि साहब यह तो साईकिल ऑफ थ्री ईयर्स है।

मेरी मान्यता है कि दस वर्षों में से आठ वर्ष में राजस्थान में अकाल पड़ता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आपने चार करोड़ एकड़ जमीन लोगों में बांट दी कि खाओ, पीओ और मौज करो लेकिन इर्रीगेशन पोटेंशियल कितना है ? साठ लाख एकड़ का। तीन करोड़ चालीस लाख एकड़ भूमि के लिए राजस्थान के काश्तकार को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। सात वर्ष तक वह भिखारी है। सात वर्ष तक हमारे आपके सामने भीख मांगे और तीन वर्ष में पैदा करता है तो क्या पैदा करता है ? लंगोटी नहीं रहेगी उसके शरीर पर, कपड़ा नहीं रहेगा।

आप मेरे साथ चलिए और देखिए गांवों में जाकर। मेरे यहां सौ में से 99 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, आप कहते हैं आंकड़ों के आधार पर, पर कैपिटा इन्कम के अनुसार 606 रुपये प्रति व्यक्ति आय। एक कुटुम्ब में पांच आदमी तो तीन हजार रुपये की आय और उसके पास लंगोटी नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, घर में मिट्टी के बर्तन के अलावा कोई बर्तन नहीं है और उनकी तीन हजार रुपये वर्ष की आय। इसलिए मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके हमें आंकड़ों के जंजाल में मत खेंचिए। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि इस परिस्थिति में, जबकि राजस्थान की आम जनता गरीब है, तब यहां राजस्थान में कितने कर्मचारी हैं, ढाई लाख से ऊपर नहीं होंगे। एक पर्सेन्ट राजस्थान की जनता का।

मैं यहां पर बैठे हुए माननीय सदस्यों को दोष दूं, जब ताव आता है तो पड़ौस में जाकर महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हैं। इसका अर्थ क्या है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको मानते होंगे, उनको पता है या नहीं लेकिन रोज उसका नारा लगाते हैं और एक बात कही जाती है कि पेट भूखा है। टीचर कहता है कि पेट भूखा है और कर्मचारी कहता है कि पेट भूखा है और दो करोड़ सत्तावन लाख जनता का क्या हाल है ? दो लाख को छोड़ दीजिए तो दो करोड़ पचपन लाख जनता का क्या हाल है ? कभी इस पर भी सोचा है ? और बिना सोचे उसका सपोर्ट करने के लिए आते हैं।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि अभाव है, कुछ कमियां हैं, मुझे मालुम है कि आपके ऊपर के अधिकारी छोटे अधिकारी की परेशानी को नहीं देखना चाहते हैं। उसकी कठिनाइयों को कभी देखना पसन्द नहीं करते, कभी उस पर सोचना पसन्द नहीं करते हैं। छोटे क्लर्कों

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

की तरफ ध्यान देना पसन्द नहीं करते हैं। परेशानी में आकर वह उनको पूंजीपति समझता है। पूंजीपति तो क्या है, वह तो टार्जेट बन जाता है। कर्मचारी पीछे रह जाता है और उसको आगे कर दिया जाता है। सेक्रेट्री पीछे रह जाता है और मन्त्री आ जाता है सामने। यह बहुत बड़ा प्रश्न है।

फिर आपके रूल्स के अन्दर, कण्डीशन ऑफ सर्विसेज के अन्दर एक डिमार्केशन है कि कोई भी कर्मचारी स्ट्राइक नहीं करेगा और अगर करेगा तो उसकी सजा नौकरी से बरखास्तगी है। मुझे कहना नहीं चाहिए इस सदन में लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा कर दी कि केसेज माफ, सारे केसेज विड्रो कर दिए। कर्मचारियों के विरुद्ध मारपीट के केसेज विड्रो, हिंसा और आगजनी के केसेज विड्रो, सब केसेज विड्रो, तो मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि मैं भी एक बनिया हूं, मेरी जाति के कई आदमी यहां और भी बैठे होंगे जो जमाखोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं और स्मगलिंग करते हैं, उनके लिए मैं भी निवेदन कर दूं कि इन सबको भी आज आप मेहरबानी करके मुक्ति दे दीजिए।....

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे तो पहले से ही मुक्त हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप तो कहेंगे ही लेकिन जो जनतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं वे इसको उचित नहीं समझते। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से जनतंत्र से जनतंत्र के द्वारा इस देश में समाजवाद आयन्दा सौ वर्षों में भी सम्भव हो सकेगा। गरीबी दूर करने की बात करते हैं लेकिन इन परिस्थितियों में यह सम्भव हो सकेगी ? मैं अलवर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि उनकी समझ में आती है बात कि पेट के लिए रोटी चाहिए। यह आवाज तो उस भगवान की है और इस पर मुझे कबीर की वह बात याद आती है कि भगवान का भजन करना है तो क्षुधा को बन्द कर दीजिए। रोटी की बड़ी आवश्यकता है, गरीब की बड़ी आवश्यकता है और इस पर हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए।

बजट के लिए आपको धन्यवाद और आशा करता हूं कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना जिस साल से चालू होती है उस वक्त ही पहला बजट पेश हुआ है और हरिदेवजी जोशी मंत्रिमण्डल का यह पहला बजट पेश किया गया है बिना करारोपण के, लेकिन कुछ खर्चे भी कम करने की आवश्यकता है। मैं इसके लिए एक सुझाव दूंगा और वह सुझाव है सस्पेंशन और पेंडिंग इनक्वायरी के बारे में। इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट में चार दिन में केस का फैसला और मामला खत्म कर देते हैं। आपके यहां बिना चार्जशीट दिए तीन-तीन साल तक केस चल रहे हैं। मुझे एक केस याद आता है जिसमें एक कर्मचारी को चार साल तक सस्पेंड रखा गया। इस टाइम में थ्री-फोर्थ तो वह पहले लेता रहा और चार साल बाद में वन फोर्थ और ले आया और चार साल तक आराम से घर बैठा रहा, उससे नौकरी ली नहीं, तो वह कहने लगा कि ऐसी बेवकूफ सरकार कभी नहीं मिलेगी। चार साल तक सस्पेंशन में रहा।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

इसलिए मेरा सजेशन है और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आगे के पांच सालों में भी जो यह बजट पेश किया है उससे अच्छा बजट पेश करेंगे और इस राजस्थान की गरीबी को दूर करने के लिए, लोकतंत्र को बनाए रखने में आपका सहयोग हो, आपको सफलता मिले और इस देश की जनता को आगे बढा सकें, इसी कामना के साथ एक बार और वित्त मंत्री महोदय को बजट के लिए बधाई देता हूं।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह !

श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा सन् 1974-75 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमानों का अनुमोदन करते हुए कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहूंगा।

महोदय, बजट में यह बताया गया है कि गत दो वर्षों में विषम परिस्थितियों से गुजरे, बंगला देश को मुक्ति दिलाने, सूखाग्रस्त, अन्न उत्पादन में कमी, विद्युत् की कमी के कारण उद्योगों में कमी, मूल्यों की बढ़ोतरी, इस प्रकार सरकार और जनता के सामने भारी संकट रहा है। इस बीच हडतालें, तालेबन्दी, जमाखोरी बढ़ने से और भी संकट आया। मैं सरकार को इस सम्बन्ध में धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर काबू पाया। साथ ही मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हड़तालें और आन्दोलन करने से एक वर्ष में कितने विकास कार्यों से देश वंचित रह गया है। दूसरे देशों में भी जनता और जन सेवक अपनी मांगों के लिए आन्दोलन और हड़तालें करते हैं और करना चाहिए अगर वाजिब हो तो। पहले इस बात को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि जो आन्दोलन और हड़तालें करते हैं क्या वह जनता के हित में है सरकार को उससे कितना फायदा होगा और जनता को कितना फायदा होगा इसका ध्यान कर के किया जाय, एक ध्यानाकर्षण के रूप में किया जाये तो हड़तालें सफल होंगी। लेकिन चंद लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार से देश में आन्दोलन उठावें, हड़तालें करावे, मैं समझता हूं इसमें कोई इमानदारी नजर नहीं आती है। यदि मन्दिर का पुजारी खराब है तो उसको बदलने के लिए बाध्य करें, उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन मन्दिर तोड़ने लग जावें तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है ··

एक माननीय सदस्य : अगर पुजारी मन्दिर को तोड़ने लग जावे····

श्री शंकरसिंह : तो पुजारी को बदल दिया जाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : चमत्कारी मूर्ति होगी तो वह अपना बचाव कर लेगी।

श्री शंकरसिंह रावत : इस प्रकार के आन्दोलनों को, हड़तालों को बंद करें तो मैं समझता हूं कि उचित होगा।

सूखों के सम्बन्ध में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर बताया जिसे सुनकर दुःख हुआ। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आज स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि कुत्तों के मुंह से बच्चे रोटी छीन रहे हैं। इस प्रकार की बातें करना गलत है। ब्रिटिश शासन काल

(श्री शंकरसिंह रावत)

में दो-तीन बार ही अकाल पड़ा था लेकिन कांग्रेस के शासन में पिछले 25 सालों में करीब 7-8 बार अकाल पड़ चुका है लेकिन यह सुनने में नहीं आया कि कोई भूख से मर गया। यह जरूर है कि उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहा पर इस प्रकार की बातें करना तथ्यहीन हैं।

सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में यह बताया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के समय तक इसमें 312 करोड़ रुपये विभिन्न विकास योजनाओं में खर्च किये जा चुके हैं अब तक। 7 मध्यम सिचाई योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, 8 लघु सिचाई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 30 योजनाओं पर कार्य अभी शुरू हालत में है और 73-74 में इसको बढ़ा कर कुल उत्पादन क्षेत्र 25.67 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षेत्र में आ गया है? सिर्फ यहां पर खर्च के आंकड़े देना ही उचित प्रतीत नहीं होता है।

एक बार स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि विभाग से पूछा था कि रसायनिक खाद आदि से कितनी पैदावार बढ़ी है, उसके आँकड़े बताये जायें। विभाग ने उसके आंकड़े बताये जो भी काफी थे। फिर भी देश अन्न के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है। तो ये आंकड़े केवल किताबी हैं और किसी भी सूरत में सत्य नहीं हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का बजट बनावें उसका भार हर इन्सान पर पड़ता है। लेकिन जनता को इस कर के धन को देने के बावजूद भी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं तो वह असन्तुष्ट हो जाती है। मैंने यह देखा है कि बजट लेप्स हो रहा है तो 31 मार्च के पहले पहले उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है।'

मैं केवल अजमेर जिले की बात करूंगा और वह भी सड़कों के सम्बन्ध में। बजट में पैसा लैप्स हो रहा था इसलिए पी. डब्ल्यू. डी. के एक्स. ई. एन. को सड़कों का काम दिया गया कि इस एक महीने के अन्दर यह काम होना है और इसके लिए इतनी राशि का अलॉटमेंट हो गया है। अब आप सोचिये एक महीने के अन्दर उसको यह काम करना है और वह भी एक काम नहीं है, इस तरह के उसके पास दस काम और हैं और उनको पूरा करने के लिए उसके पास साधन नहीं हैं। तब यह मान कर चलना पड़ेगा कि उस धनराशि का दुरुपयोग होगा वह काम सही नहीं होगा। सिर्फ उस धन राशि को 31 मार्च के पहले पहले खर्च करने की कोशिश की जायगी और सरासर उस धन राशि का दुरुपयोग होगा।

इस प्रकार के कार्य जब जनता देखती है तो वह असन्तुष्ट होती है। कम से कम सरकार कार्य का पहले सर्वे करावे और उसके आधार पर सही तौर से खर्च करे। फेमीन के अन्दर सड़कें बनायी गयीं, तालाब बनाये गये। लाखों रुपयों का खर्चा किया गया। इतना लाखों रुपया खर्च होने के बावजूद भी वे सड़कें काम के लायक नहीं हैं। इतने रुपयों से तो डामर की क्या सीमेन्ट की सड़कें तैयार हो सकती थीं। तो यह भावना दिन प्रतिदिन जनता में बढ़ती जा रही है कि सरकार का अपने खर्चे पर कोई अंकुश नहीं है। वह केवल कानूनी तौर पर धनराशि खर्च कर देती है परन्तु उसका आर्थिक भार जनता पर पड़ता है।

(श्री शंकरसिंह रावत)

हम कम खर्च करें, खर्चा करने पर सावधानी बरतें तो उससे जनता को सन्तोष होगा। इस दृष्टि से कार्य किया जाय तो उपयुक्त होगा।

विजली के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 54 हजार कुओं को बिजली दे दी जायगी। जहां तक विद्युत् का सवाल है आज किसान को हर्रैन किया जा रहा है। उनको डिमान्ड नोटिस दे दिये जाते हैं। मोटर फिट हो जाती है तो कनेक्शन नहीं मिल पाता है। किसी तरह से लोन सेंक्शन हो जाता है तो सहकारी बैंक यह कहता है कि चाहे मोटर फिट करा लो जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा ऋण नहीं दिया जायेगा। इस तरह से सिंचाई समय पर नहीं कर पाता है। समय पर ऋण नहीं मिलता है।

ऐसी स्थिति रहते उत्पादन बढ़ाना कैसे संभव हो सकता है। समय पर बिजली का कनेक्शन नहीं मिलने के अभाव में वह इसका फायदा नहीं ले पाता है। एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि रोशनी फैला रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग में घोर लापरवाही है और सब तरह के भ्रष्ट तरीके यहां के अधिकारियों ने अपना रखे हैं। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों को यह साधन सस्ता पड़ता है और समय पर मिलने से वह ज्यादा पैदावार करके दिखा सकता है परन्तु बिजली न मिलने की उसके सामने कठिनाई है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि समय पर किसान को बिजली दी जाये। एक तरफ बिजली मिल जाती है तो उसको रासायनिक खाद नहीं मिलती है। चूहे पर नियन्त्रण करने के लिए कोई दवाई समय पर नहीं मिल पाती है।

कृषि मन्त्री महोदय यदि जिलेवार आंकड़े बतावें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि किस किस जिले में दवाई नहीं है जब कि प्रगति रिपोर्ट में लिखा है रासायनिक खाद और दवाइयों की वजह से इतना उत्पादन कर लिया गया है। किसान जानता है कि अगर रासायनिक खाद समय पर मिल जाती तो कितना उत्पादन होता। यह कहा जाता है कि शीत लहर से फसलें खराब हो रही हैं। परन्तु यह सब लापरवाही के कारण हो रहा है। आज किसान अन्न के उत्पादन से वंचित रह गया परन्तु आने वाला समय कितना खतरनाक है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि रबी की फसल का संकट किसान के सामने है। किसान का संकट मतलब सरकार के सामने संकट है। खाद्यान का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए उत्पादन की तरफ ध्यान दें। लेकिन साथ ही खाद की ओर, रासायनिक खाद की ओर ध्यान देना उत्पादन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

बेरोजगारों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने बताया है कि 8 लाख लोगों को रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हालात हैं उससे बेरोजगारी नहीं मिट सकती। बी.ए., हायर सेकेन्डरी पास जो थर्ड डिविजनर हैं उनको कहीं पर सर्विस नहीं मिलती है। उनको रोजगार मिले इसके लिए कोई न कोई क्राइटेरिया बनाना होगा, एक प्रोफार्मा बनाना होगा। एक परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके पास रोजगार के क्या साधन हैं, कितनी जमीन है, इस सब को देखना होगा। आज

(श्री शंकरसिंह रावत)

रोजगार किसको दिया जा रहा है जिनके पास, जिनके परिवार के पास रोजगार है। कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी उसमें 1,500 कर्मचारियों को रखा गया। बाद में कर्मचारी काम पर आ गये तो उनको निकाल दिया गया। इन 1,500 कर्मचारियों में भी अधिकतर कर्मचारियों के रिश्तेदार थे। क्योंकि उनको मालूम था परन्तु गांवों के जो बच्चे हैं उनका यह पता नहीं लग सका। जो हायर सैकेन्डरी पास लड़के हैं वे अधिकतर निर्धन हैं और वे ही थर्ड डिविजनर होते हैं। जो फर्स्ट क्लास होते है वे निर्धन वर्ग के नहीं होते हैं। थर्ड डिविजनर को सर्विस नहीं मिलती है। तो इसके लिए कोई न कोई प्रणाली हमको अपनानी होगी।

आशा है इस सम्बन्ध में सरकार अवश्य सोचेगी ताकि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न किये जायें। सिंचाई और पशुपालन के सम्बन्ध में भी कहा गया है। इसके लिए सुविधायें दी गई हैं। मध्यम और दीर्घकालीन ऋण देने के लिए दस केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना की जा रही है।

सभापति महोदय, केन्द्रीय सहकारी बैंक की हालत यह हो गई है कि पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं तो यह सोचा जा रहा है कि अपनों अपनों के लिए ऋण मिल जाये। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सहकारी बैंक के चुनाव हैं, वह किसी निष्पक्ष समिति के माध्यम से होने चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो अधिकार हैं, वह ग्राम सेवक और सचिव के अधीन रहते हैं। जो भी प्रतिनिधि भाग लेने के लिए जायेगा वह जो ... जिसके लिए ऊपर से आदेश मिलेगा। सचिव के आदेश से ही जा सकता है। तो जो तय कर दिया वही जायेगा। जो कोई भी भाग लेने के लिए जा रहा है। इन चुनावों की पद्धति को इस प्रकार से किया जाये कि एक महीना पहले मतदाताओं से सम्पर्क किया जा सके। इसलिए इसकी प्रणाली को बदलना चाहिये। अन्यथा हम इस छोटे से चुनाव से वंचित होने वाले हैं।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, 5वीं पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ 28 लाख की राशि रखी गई है। हम कोई भी प्लान बनायें हमें यह देखना है कि इतना हम पूरा कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा ? आदिवासियों के बारे में कहा गया है। अजमेर जिले में भी ऐसे क्षेत्र हैं, जहां आदिवासी रहते हैं। लेकिन वित्त मन्त्री महोदय ने अजमेर के लिए कोई ध्यान नहीं रखा है। जल प्रदाय योजना और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री महोदय ने दूसरी चीजों को तो रखा है लेकिन नसीराबाद में मुख्य मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि 1 अप्रैल को कण्टूनमेण्ट होस्पिटल को हम टेक ओवर कर लेंगे। वैसे तो मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है तो वह अवश्य पूरा होगा। लेकिन जल प्रदाय योजना के बारे में जो कि रामसर में सारी कार्यवाही पूरी कर दी गई है, लेकिन आज तक कोई अधिकारी नहीं गया है। इससे यह होता है कि जनता ने जो पैसा दिया है और जो समय पर लाभ उठाना चाहिए वह नहीं हो पाता है।

इस प्रकार से जो योजनाएं हैं, उनको सरकार को पूरा करने के लिए कदम उठाना चाहिए। बजट में वित्त मंत्री जी ने 50% आबादी का एक प्रतिशत बढ़ाया है। शहरों

(श्री शंकरसिंह रावत)

को जिन्दा रखने के लिए आपने यह किया है। उसमें गांवों के लिए कोई उल्लेख नहीं है। गांवों में भी दिया जायेगा। अगर आप पंचायतों को खत्म करना चाहते हैं तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन अगर पंचायतों के द्वारा सरकार विकास करना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्री जी जब उत्तर दें तो इसका भी उत्तर दें। जो 25 पैसा इस समय दिया जाता है, वह 50 पैसा कर दिया जायेगा।

दूसरा मैं विभागों के बारे में निवेदन करूंगा कि जो विभाग के अधिकारी हैं, वह पैट्रोल का किस प्रकार से खर्चा किया करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि लेवी वसूल करने के जो आंकड़े मंगाये हैं। उनके साथ साथ जितनी लेवी वसूल हुई है तो कितना पैट्रोल खर्च हुआ है। मेरा निवेदन है कि जितना पैट्रोल खर्च हुआ है, उतनी राशि का तो अनाज ही खरीद लिया जाता तो वह लेवी वसूली से ज्यादा होता। आप ट्रान्सफर करते है, ट्रान्सफर से कोई सजा नहीं मिलती है। आप एक बार निश्चित करलें कि किसको एक साल रखना है, दो साल रखना है। मैं समझता हूं कि लाखों रुपयों का खर्चा हुआ करता है। इसी प्रकार से मैडिकल बिल्स हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इस प्रकार से कम खर्च में आप ज्यादा विकास कर पायेंगे। अन्त में मैं 1974-75 का जो बजट रखा गया है, उसका सहर्ष समर्थन करते हुए मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सभापति महोदय, राज्य के वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, वास्तव में स्वागत के योग्य है। हम यह घबरा रहे थे कि इन परिस्थितियों में राजस्थान में अगर किसी प्रकार का टैक्स लगा दिया गया तो अकाल और महंगाई से पीड़ित जनता उस टैक्स को सहन नहीं कर सकेगी। इसलिए मैं राजस्थान के वित्त मन्त्री का बहुत बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने राजस्थान के बजट में जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। उन्होंने जो बजट पेश किया है, वह खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ है। आज की हालत को देखते हुये बहुत ही कम मात्रा में है।

आप जानते हैं कि हमारा देश अनाज के मामले में हर तरफ से घिरा हुआ है। अगर आप राजस्थान को बचाना चाहते हैं तो ग्रामीण काश्तकारों को सिंचाई के साधन, कुओं के लिए लोन, सब्सीडी आदि, गांवों के लिए अधिक से अधिक बिजली पहुंचाने की कोशिश करें। ताकि वह समस्या जल्दी ही समाप्त हो सके। 25 साल की लम्बी आजादी में काश्तकारों को सरकार सहायता देती तो राजस्थान का नक्शा इस प्रकार का सूखा दिखाई नहीं देता। परन्तु राजस्थान सरकार की हमेशा यह मंशा रही है कि वह पूंजीपति लोगों को ज्यादा बढ़ावा देती है। राजा महाराजाओं को बढ़ावा देती है। जब कि देश का नक्शा दूसरे ढंग का होता। हजारों काश्तकारों ने सिंचाई के लिए कुए खोद रखे हैं। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुए खोदने के लिए सरकार के पास कोई साधन नहीं है। न बिजली पहुँचाने का कोई साधन है। उनके पास साधन उन लोगों के

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

लिए है, जिनके पास धन पड़ा सड़ रहा है। रात दिन वह धन इकट्ठा करने के लिए लगे हुये हैं। जो शोषण कर रहे हैं। जिनकी फिजूल की इण्डस्ट्री लगी हुई हैं। मैं चाहूंगा जो काश्तकार हैं, लगातार राजस्थान में अकाल पड़ रहा है। इस प्रकार की स्थिति पर काबू पा सकें ताकि अकाल से पीछा छुटा सकें।

माननीय सभापति जी, राज्य के वित्त मन्त्री जी ने जो अपना बजट पेश करते हुए खास तौर से हरिजनों के उत्थान के बारे में बहुत ही कम मात्रा में धनराशि का प्रावधान किया है. मैं चाहूंगा, वित्त मंत्री जी। आज हरिजन राजस्थान का एक दबा हुआ समाज है, बहुत ही ज्यादा दबा हुआ गरीब समाज है, खास तौर से गांवों में, राजस्थान के कोने कोने में पड़ा है, जिसके आधार पर ही हम यहां पहुंचते हैं, जिनके वोट से ही हम यहां चुन कर आते हैं, आप जानते हैं जो पैसे वाले लोग हैं उनको चाहे कितना ही इन्डस्ट्री के लिए बढ़ावा दे दें, कुछ भी करें लेकिन वोट के टाइम पर,वह लोग आपका समय तो नष्ट जरूर करेंगे लेकिन आपको वोट नहीं देंगे, और न ही उन लोगों ने राजस्थान के विकास के लिए कोई सहायता दी है।

राजस्थान के विकास में जिन्होंने सहायता दी है, वह विकास में सहायता देने वाले आज भी दबे हुए हैं, उनको पीने का पानी भी मिल जावे, इस अवस्था में भी वह नहीं आये हैं। इसलिये आज जो दबा हुआ समाज है, वह सोच रहा है, चिन्तन कर रहा है और चिन्ता कर रहा है कि हमारे राजस्थान के नये वित्त मंत्री हमें चैन की कुछ सांस देंगे ? पच्चीस साल की आजादी के बाद भी हम गरीबों को, हरिजनों को पीने के पानी की सुविधा नहीं दे सके हैं। आपने कल बताया था कि आठ हजार गांवों में पीने का पानी आज तक भी नहीं दे सके हैं। तो वह गरीब हरिजन आपसे क्या उम्मीद रखेंगे जिसे कि आप आजादी के पच्चीस साल के बाद भी पीने का पानी नहीं दे सके हैं। आज वह लोग सोच रहे है कि हमारा भी क्या कुछ होगा ?

आप जानते हैं कि खास तौर से गांवों में शिक्षा का प्रसार बहुत ही कम है। आपने पिछले लम्बे अर्से में गांवों में हाई स्कूल और हायर सैकेण्ड्री स्कूल एक भी नहीं खोला है। मैं चाहूंगा, राज्य सरकार इस पर पुर्नविचार करे और हायर सैकेण्ड्री स्कूल इस साल में कुछ न कुछ खालने की घोषणा वित्त मंत्री जी अपने बाद के भाषण में जरूर करें।

आपने दबे हुए लोगों के बारे में भी कुछ इसमें बताया है, बजट में। समाज का वह काश्तकार, जो एक दबा हुआ तबका है, दो तरह का है, उन काश्तकारों में भी दो तरह के काश्तकार हैं, एक तो बड़े काश्तकार हैं, दूसरे मामूली काश्तकार हैं। आज आपने इस साल जो लेवी लगाई है, मैं उसके सम्बन्ध में सोचता हूं कि राजस्थान के मन्त्रिमण्डल में बैठने वाले जो लोग हैं वह बड़े समझदार हैं, और इनमें से कुछ काश्तकार भी हैं। आपने भूमि की उपज और भूमि की किस्म के ऊपर लेवी नहीं लगाई है। इसलिए अलवर, भरतपुर और खास तौर पर गंगानगर का इलाका है, जहां एक मुरब्बा जमीन दो फसल देती है, जहां पर चांवल भी पैदा होता है, जहां गन्ना भी पैदा होता है, जहां गेहूं भी पैदा होता है।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)
जो काश्तकार दो बार फसल ले लें, आपने उन काश्तकारों पर लेवी लगाई है छः किलो और जो बारानी इलाके हैं, बीकानेर, चूरू, जहां नौ दस साल से अकाल पड़ता आ रहा है, और लोग सरकारी कर्जे से दबे हुए हैं, वहां पर भी वही लेवी लगाई है। लेवी लगाने का आपका क्या मापदण्ड है, क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आपने लेवी लगाई है, यह हम समझ नहीं सके हैं। मैं लेवी लगाने का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन माननीय वित्त मन्त्रीजी, जो बीकानेर डिविजन के बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं और राजस्थान के मंत्रिमण्डल में भी मैं जिम्मेदार मन्त्री मानता हूं, आपने लेवी लगाई है, वह किस मापदण्ड से लगाई है ? जहां पर एक बीघे में अच्छा अनाज पैदा हो वहां पर भी वही लेवी और जहां पर सूखा पड़ रहा है वहां पर भी वही लेवी। मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी लेवी पर पुनर्विचार करेंगे और हम लोगों को कुछ नई दिशा और रास्ता देंगे।

माननीय सभापति जी, राजस्थान कैनाल के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल के निर्माण कार्य को यदि भारत सरकार को सौंप दिया जाय तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो राजस्थान कैनाल के काम को इतने लम्बे अर्से के बाद भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं और आगे कर सकें—इसकी उम्मीद कम है। मैं चाहूंगा, भारत सरकार इस काम को अपने हाथ में लेकर इस काम को बहुत ही जल्दी पूरा करें ताकि राजस्थान में पड़ने वाले अकाल से हमें छुट्टी मिले, नहीं तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस काम को पूरा करने की बहुत कम गुंजाइश है।

दूसरे, गांवों में जो खनिज का मामला है, खनिज का ठेका, वह ऐसे लोगों को दिया जाता है जो पैसे वाले हैं। खनिज में चूने की खान है, पट्टी की खान है, मिट्टी की खान हैं वह मजदूरों को देनी चाहिए ताकि मजदूरों को लाभ मिल सके। नहीं तो काम करने वाला रात दिन काम करे और दूसरे पैसे वाले पैसे को खा जायं। मैं चाहूंगा, वित्त मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें।

इसके अलावा सिंचाई योजना पश्चिमी राजस्थान में चालू करने की आपकी जिम्मेदारी है। इससे आप वहां के काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दें और जहां पर ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है, उसको दूर करने की ओर भी ज्यादा ध्यान दें।

मैं ज्यादा निवेदन नहीं करूंगा। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल गहलोत !

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी के भाषण पर और उन्होंने जो आय-व्ययक के आंकड़े पेश किये हैं उसके लिए काफी सदस्यों ने बधाई दी है। मैं भी कहूंगा, आपने जो राजस्थान के हित में इस बजट को पेश किया है, और जिसमें कोई कर नहीं दिखाया है, उसके लिए मेरी बधाई के भी पात्र हैं। परन्तु मैं एक बात यह भी कह दूं कि यह बजट तो संतुलित रहा है और कर रहित रहा है, नया कर रहित रहा है परन्तु इस बजट ने अपने योजनाबद्ध विकास को एक तरह से सेमी होलीडे दे दी है।

हम हमारे विकास को बहुत ज्यादा गतिशील मानते हैं, तीव्र गति से चलाना

(श्री अमृतलाल गहलोत)

चाहते हैं, वह गति धीमी हो गई है। उसके लिए निवेदन करूंगा कि यह जो योजना आपने पांचवीं बनाई है, जिसमें 635 करोड़ के खर्च का प्रावधान किया है, इस योजना पर वास्तव में आज के भावों को देख कर यदि विचार करें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 में बनी थी, 236 करोड़ की, उसको देखा जाय, तो मैं कहूंगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना, वास्तव में सबसे बड़ी थी और यह उससे छोटी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने विचार किया तो प्रति व्यक्ति तो खर्चा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, उसको आज के भावों पर बढायें तो मैं कहूंगा, वह ज्यादा था और यह कम पड़ता है। मैं यहां तक कहूंगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, वह 65 करोड़ की थी और एक वर्ष में 13 करोड़ रुपये का प्रावधान था। मैं कह सकता हूँ, 13 करोड़ रुपया जो 1952 में लगाया गया, और आज के मूल्य के आधार पर एक वर्ष में जो 79-80 करोड़ लगाया जा रहा है, जब कि भावों का सूचकांक 335 पहुँच गया है, और भावों का सूचकांक 1952-53 में था, उसके मुकाबले में विचार करते हैं, तो होल सेल प्राइस इन्डेक्स उस समय था, उसके अनुसार ऐसा मालूम होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में एक वर्ष में औसत तो खर्च हुआ, उतना पैसा अगली साल खर्च होगा।

इसका मतलब यह है कि योजनाबद्ध विकास शिथिल हो गया है। सबसे बड़ा काम हुआ है, वह यह हुआ है कि भावों ने आदमी को मार दिया है। 1972-73 में 273 था, 1952 का यदि 100 मान लें तो वह अब 337 हो गया है। एक वर्ष में एवरेज 25 पर्सेन्ट बढ़ गया है। वास्तव में इस वर्ष पिछले वर्षों से यदि कम्पेअर करें तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। भावों के बढ़ने के भारतवर्ष के इतिहास को देखें तो ऐसे भाव कभी नहीं बढ़े हैं। इसने योजना तो क्या, बजट तो क्या सबको अस्त व्यस्त कर दिया है। हमें यह देखना पड़ेगा कि यदि भावों को नहीं रोका गया तो मैं कह सकता हूं स्पष्ट शब्दों में योजनाबद्ध विकास तो दूर रहा, साधारण स्थिति को चलाना भी दूर हो जायगा। इसका कारण क्या है ?

इसका कारण है, वह मैंने पिछली बार भी इस सदन में कहा था, राज्य स्तर पर भी है, देश स्तर पर भी है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। हम अनाज के भावों को स्थिर नहीं रख सके हैं। हमारा विकासशील देश है, हमको अपने भावों को स्थिर रखना चाहिए था और उसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि कम से कम अपने उत्पादन का 20 पर्सेन्ट अर्थात् 20 मिलियन टन अपने बफर स्टाक में हर-दम रखें। तब ही हम मूल्यों पर नियंत्रण पायेगी, वरना लोग बैगर टू माउथ, शिप टू माउथ, पाउन टू माउथ।

यही हाल रहा और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूटरी सिस्टम शिथिल रहा तो मैं कह सकता हूं कि 337 इस वर्ष हुआ है, अगले वर्ष 400 तक पहुंच जाय तो भी ताज्जुब की बात नहीं है। क्योंकि अनाज के भावों का गरीब से गरीब व्यक्ति से सीधा ताल्लुक होगा और इस पर उसकी आमदनी का ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा, और गरीब व्यक्ति का सीधा खाद्य पदार्थों पर ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा, खर्च का ज्यादा से

(श्री अमृतलाल गहलोत)

ज्यादा प्रतिशत इस पर होगा। अनाज के भाव बढ़ते हैं तो मजदूरी भी बढ़ती है और उत्पादन का खर्चा बढ़ता है।

इसलिए यदि बफर स्टाक क्रियेट नहीं कर पाये तो भविष्य में होने की उम्मीद कम है। हमें अभी कटु अनुभव खरीफ की फसल में प्रोक्योरमेंट के अन्दर रहा है। वह याद दिलाता है, डेढ़ लाख टन का टार्गेट जो हमने रखा था, उसके बजाय हम पचास हजार टन ही प्राप्त कर सके। अब रबी की फसल के लिए कुछ उम्मीद करें कि कुछ कर पायेंगे तो कैसे कर पायेंगे। इस साल हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है, 1,600 करोड़ रुपये का उत्पादन पिछले वर्ष था, पिछले मूल्य पर और उसके आंकड़े पेश किये गये हैं, स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा वह बढ कर 2,000 करोड़ पर जा चुकेगा अर्थात् 400-500 करोड़ की बढ़ोतरी है, उसमें कुछ तो प्राइस इन्क्रीज हो गया। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी वृद्धि हुई है कृषि के खाद्यान्न में। पिछले वर्ष हमारा उत्पादन केवल 51 लाख टन, इस वर्ष 71 लाख टन, 1970-71 में 81 लाख टन, 1972-73 में 63 लाख टन। अर्थात् हमारे अच्छे कृषि उत्पादन से राज्य की आमदनी बढ़ गई है और प्रति व्यक्ति जो इसमें आज के भावों में आता है वह है 734) रुपये। यह आमदनी अच्छा कृषि वर्ष होने की वजह से हो गई है। हमारा जो राज्य है वह अकालग्रस्त रहता है और केवल 16 प्रतिशत एरिया सिंचित है जहां एश्योर्ड इर्रीगेशन नहीं है, वहां मानसून, भगवान इंदर के भरोसे रहना पड़ता है।

अतः जैसे वित्त मंत्री ने कहा हम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़े हैं। शुरू से ही हम पिछड़े थे, 60 प्रतिशत एनरोलमेंट है, केरल में 100 प्रतिशत से ऊपर जा सकती है। जहां तक बिजली का प्रश्न है 60 के. डब्ल्यू. की खपत है। औसतन राजस्थान में एक डॉक्टर 9 हजार पर है, भारत में साढ़े चार हजार पर पंजाब में दो हजार पर है। दूसरे राज्य हमसे आगे भाग रहे हैं। जो राज्य संपन्न बनता है, उसकी आर्थिक गति तीव्र गति से होती है, गरीब का विकास गरीबी के ढंग से होता है। यदि हम 3-3½ प्रतिशत राजकीय आय बढ़ाय और ढाई प्रतिशत जनसंख्या बढ़ती जाए और एक कदम पीछे हट गए, तो एक पर्सेन्ट आगे पीछे होता रहेगा। विकास के लिए पैसे की अत्यन्त आवश्यकता होती है।

जिन देशों में एक पार्टी सिस्टम है उन्होंने जोरों से अपने बैल्ट्स टाइट किए हैं। मनुष्य के उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाया है लेकिन हम एक लोकतन्त्र देश है, हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हमें विकास करना है, गरीबी दूर करनी है तो क्या करना पड़ेगा ? बचत करनी पड़ेगी और दूसरों से ऋण प्राप्त करना होगा। विदेशों भी से ऋण मिलना सीमित हो चुका है। हमें बचत करने के लिए अपने पेट पर पट्टी बांधनी पड़ेगी यदि विकास करना है।

सभापति महोदय, इस वर्ष करों से तो छूट दे दी लेकिन जिन लोगों ने अपनी उपज अच्छे भावों में बेची और अच्छा पैसा कमाया उनको आपने छोड़ दिया ? अगर छोड़ दिया तो कैसे शिक्षा और चिकित्सा व सड़क, सुविधायें बढ़ायेंगे, कैसे मकानों

(श्री अमृतलाल गहलोत)
का निर्माण करेंगे ? कैसे समाजवाद लायेंगे ?

मेरे कहने का मतलब है कि पिछले साल से इस साल जो अधिक उत्पादन हुआ उसमें से राज्य सरकार को भी अपना हिस्सा लेना चाहिये था और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनका भला करना चाहिये था । जिन्होंने अनाज जमा करके 125-150) रुपये के भाव से बेचा उन पर कर न लगे तो वे सम्पन्न हो जायेंगे । जब कीमतें बढ़ती हैं तो अमीर, अमीर होता है और गराब, गरीब होता है । अतः हमें अपने फिस्कल और टैक्सेशन मेजर्स को इस तरह से लाना पड़ेगा कि अमीर के पास पैसा न आये और गरीब के लिए अधिक सेवायें बढायें तभी हम समाजवादी समाज की स्थापना कर पायेंगे और बचत कर पायेंगे नहीं तो नतीजा क्या होगा हम आगे इन्वेस्ट-मैन्ट नहीं कर पायेंगे और रोजगार नहीं दे पायेंगे । रोजगार नहीं मिलेगा तो बेकारी बढ़ेगी । आपने जो इस वर्ष की योजना बनाई है वह 1952 के बराबर की है । मैं चैलेंज करने को तैयार हूं कि 1951 से 1956 तक एवरेज खर्चा किया है और जो 1974-1975 में प्रति व्यक्ति खर्चा करने जा रहे हैं और बिल्कुल थोड़ा है, आपको सोचना पड़ेगा ।

एक वेस्टर्न इकानामिस्ट के अनुसार In order that India can stand it should run यदि हमें अपना विकास करना है तो यह जो हर साल सवा करोड़ आबादी बढ़ रही है, जन शक्ति बढ़ रही है और विद्यार्थी बाहर निकलने के बाद बेरोजगार फिर रहे रोजगार ढूंढना पड़ेगा । पूंजी तो बचत से आएगी । बचत कहां से आएगी ? जब उपभोग कम करेंगे । उसमें यदि अमीर लोगों ने ज्यादा हिस्सा ले लिया, वह भावना बनती रही और अन्न गरीब के पास नहीं पहुंचा, तो आप रोजगार क्रीएट नहीं कर सकेंगे । ऐसी हालत में बेकारी आयेगी । इस समय दो करोड़ व्यक्ति देश में बेरोजगार हैं....

श्री केशरीमल : दो साल की गैरंटी नसीराबाद ने दे दी ।

श्री अमृतलाल गहलोत : भविष्य में विद्रोह के लिये यह सेना तैयार है । इसके लिए गांधीजी ने कहा था कि भूखे और बेकार व्यक्ति के सामने यदि भगवान भी आने की हिम्मत करेगा तो वह रोजी के रूप में आयेगा ।

श्री केदारनाथ : शान्ति सेना बनेगी ।

श्री अमृतलाल गहलोत : भगवान अच्छा करे और आगे कोई ऐसी बात न हो जाए । हमें बफर स्टाक बनाना पड़ेगा, कड़वी घूंट लेनी पड़ेगी । परन्तु अपने पास न डालर है न क्षमता है लेने की । क्या बाजार के व्यापारियों के भरोसे जनता को छोड़ देंगे ?

आपको तीन बातें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी । एक तो आपका प्राइस फिक्सेशन उचित होना चाहिये ताकि किसान के आगे इन्सेंटिव रहे । दूसरी बात उसको खाद दो । इस वर्ष 74 हजार टन नाई-ट्रोजेन व फास्फेट बांटा । आप उनको सीमेंट दीजिए और जो भी उनकी आवश्यकतायें हैं वह दीजिये । जो आप पब्लिक डिस-ट्रीब्यूशन सिस्टम से अनाज देंगे तो उसको

(श्री अमृतलाल गहलोत)

अवश्य मिलेगा । पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आपने स्ट्रेंथिन किया और किसान को मजबूत किया, उसको उचित मूल्य दिया तो उसका नतीजा अच्छा निकलेगा-रेम्यूनरेटिव प्राइस, इन्सें-टिव एण्ड कम्पलसरी प्रोक्यूरमैंट । हर व्यक्ति को समाज में अधिकार होता है । यदि आपने अनाज के बफर स्टॉक को बिल्ड-अप नहीं किया और यदि आपने भावों पर नियन्त्रण नहीं रखा तो जो महंगाई भत्ता आपने कर्मचारियों को 25 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है और आपने उनको 4 प्रतिशत दिया है लेकिन उनका बेल्ट ठीक टाइट नहीं हुआ। वह शान्त नहीं रहेगा । आपको एडीकुएट वेजिज देने पड़ेंगे····

श्री लूणाराम : सभापति महोदय, जब तक माननीय सदस्य का भाषण समाप्त न हो····

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! सदन की कार्यवाही कल 13 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही 5 बजे समाप्त हुई)

114

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 120 की सूची)

LIST OF COUNTRY LIQUOR SHOPS AS PER EXCISE DISTRICTS

S. No.	Name of Districts	No. of Shops
1.	Jaipur City	11
2.	Jaipur Rural, Sikar, Jhunjhunu	235
3.	Ajmer, Tonk, Bhilwara	398
4.	Bharatpur, Alwar, Sawaimadhopur	139
5.	Kota, Bundi, Jhalawar	359
6.	Udaipur, Chittor	377
7.	Ganganagar	27
8	Bikaner, Churu	18
9.	Jodhpur, Pali	174
	Total	1,738

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 123 की सूची)

ASSEMBLY QUESTION No. 41

Name of District	Smuggling	Black Marketing	Un-authorised holding	Total	Remarks
1	2	3	4	5	6
1. Alwar	—	2	1	3	Pending in Government
2. Bharatpur	—	1	4	5	2 Pending in Government 1 Pending for Collectors permission. 1 Pending enquiry.
3. Ajmer	—	1	—	1	1 Pending enquiry.
4. Jaipur (East)	1	1	—	2	1 Pending Police enquiry. 1 Pending enquiry with Collector.
5. Tonk	—	1	3	4	2 Licence cancelled. 1 Licence suspended enquiry pending. 1 Pending in Government
6. Sawai Madhopur	1	3	8	12	4 Pending in Government 8 Pending enquiry.
7. Sikar, Jhunjhunu	—	—	—	—	—

1		2	3	4	5	6
8.	Sri Ganganagar	—	1	—	1	1 Pending in Government
9.	Hanumangarh	—	1	—	1	1 Pending in Government
10.	Anupgarh	—	1	—	1	1 Licence cancelled.
11.	Suratgarh	—	—	—	—	—
12.	Churu, Bikaner	—	—	—	—	—
13.	Nagaur	—	1	—	1	1 Pending enquiry.
14.	Jodhpur	—	—	—	—	—
15.	Jalore	—	—	—	—	—
16.	Pali	—	—	—	—	—
17.	Sirohi	—	3	—	3	1 Pending in Government 2 Licence suspended enquiry pending.
18.	Kota	—	2	—	2	1 Pending in Government 2 Licence cancelled
19.	Bundi	—	6	—	6	6 Pending enquiry.
20.	Jhalawar	—	—	2	2	2 Pending in Government
21.	Udaipur	—	11	2	13	3 Licence cancelled. 1 Enquiry by police. 9 Enquiry pending.
22.	Bhilwara	—	1	—	1	Pending in Government
23.	Banswara	—	1	—	1	Pending in Government
24.	Dungarpur	—	—	—	—	—
25.	Chittorgarh	—	—	1	1	2 Pending enquiry.
		2	37	21	60	

117

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 125 की सूची) परिशिष्ट 'अ'

मानचित्र जयपुर नगर से प्रतिवर्ष हुई मदवार मनोरंजन कर प्राप्तियों का वर्ष 1970-71 से 197.-73 तक का

क्रम संख्या	वर्ष	अतिरिक्त मनोरंजन कर की प्राप्तियां	मनोरंजन कर की प्राप्तियां	विज्ञापन कर की प्राप्तियां	कुल योग कॉलम नं 3 से 6 तक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	1970-71	95,040	33,57,182	18,092	34,70,314	
2.	1971-72	1,00,310	38,75,706	20,073	39,96,089	
3.	1972-73	1,03,240	50,09,074	20,301	51,32,615	
	योग ...	2,98,590	1,22,41,962	58,466	1,25,99,018	

(118)

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

आबूरोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में री-सेटलमेन्ट

129. श्री भूराराम : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की आबूरोड व पिंडवाड़ा तहसील में सन् 1968-69 में री-सेटलमेन्ट करवाया गया ? यदि हां, तो क्या नये सेटलमेन्ट के आधार पर बनाये हुए नये रेकार्ड को लागू कर दिया है ? यदि हां, तो इस कार्य पर सरकार की कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(2) क्या यह सही है कि आबूरोड व पिंड़वाड़ा तहसीलों के हजारों काश्तकारों को अपने स्वयं के कब्जे व वारिशदारी हक हकूक की भूमि का भी पर्चा व पट्टा नहीं मिला ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों को नहीं मिला ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

(3) उपरोक्त काश्तकारों को सरकार पर्चे व पट्टे कब तक दिलाने का इरादा रखती है ? अब तक काश्तकारों को पर्चे व पट्टे क्यों नहीं दिए गए ?

(4) क्या सरकार इसमें देरी की जांच कर रही है ? यदि हां, तो जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) आबूरोड, पिंडवाड़ा तहसीलों में री-सेटलमेन्ट के कुल कितने पट्टे काश्तकारों को वितरण किये:—

(अ) कितने पट्टे ऐसे है जिसमें काश्तकारों की वारिसदारी हक मारा गया है ?

(ब) ऐसे कितने पट्टे हैं जिसमें काश्तकार का हक का हिस्सा 1/4 था, वो अब 1/2 का मालिक बना दिया गया है ? कृपया इनकी संख्या अलग अलग बताते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां,

अनुमानतः 9,09,584 रुपये ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(5) आबूरोड के 90 ग्रामों के 6,829 तथा पिण्डवाड़ा के 99 ग्रामों के 16,501 पट्टे कृषकों को वितरण किये गये हैं ।

(अ) किसी काश्तकार का वारीसदारी हक नहीं मारा गया है ।

(ब) किसी काश्तकार को हक हिस्सा 1/4 अब 1/2 का मालिक नहीं बनाया गया है । अतः सूची का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिक्री कर विभाग के अधिकारियों का निलम्बन

130. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बिक्री कर विभाग के किस किस इन्स्पेक्टर एवं असिसटेन्ट कॉमशियल टेक्सेशन ऑफिसर को 73-74 में कब कब निलम्बित किया गया और क्यों ?

(2) उक्त निलम्बित अधिकारियों को आरोप-पत्र कब दिया गया ? यदि नहीं दिया, तो क्यों ?

(1) वर्ष 1973-74 में किसी भी असिस्टेन्ट कॉमशियल टेक्सेशन ऑफिसर को निलम्बित नहीं किया गया।

इस वर्ष में तीन वाणिज्यिक कर निरीक्षकों को विभिन्न अनियमितता करने के आरोपों में निलम्बित किया गया। इनका विवरण इस प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम	निलम्बन की तिथि	कारण
1.	श्री भरपूर सिंह	29-11-73	दुराचरण एवं अपने पद से निरन्तर गैर हाजिर रहने के कारण।
2.	श्री चिरंजीलाल	9-1-74	चैक पोस्ट शाहपुरा से बिना कर वसूल किये ट्रक गुजार देने के कारण।
3.	श्री रामसिंह यादव	12-1-74	चैक पोस्ट टीबा-बसई से एक ट्रक को बिना कर वसूल किये गुजार देने के कारण।

(2) औपचारिक आरोप पत्र अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन विचाराधीन है।

बकानी के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

131. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रटलाई (जिला झालावाड़) पंचायत समिति बकानी के सरपंच के खिलाफ लगभग दो वर्षों पूर्व काफी शिकायतें, अनियमितताओं, धन का दुरुपयोग आदि की विभागीय मन्त्री एवं अधिकारियों को दी गई परन्तु आज तक भी उन पर कोई कार्यवाही व जांच नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? तथा उक्त शिकायतें कब कब भेजी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश, झालावाड़ (सतर्कता समिति) द्वारा भी सरपंच को निलम्बित करने एवं उचित कार्यवाही करने हेतु विभाग को लिखा गया था ? यदि हां, तो कब तथा अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत रटलाई के विरुद्ध दिनांक 23-7-72 को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको आवश्यक जांच के पश्चात्, अनियमित आबादी भूमि विक्रय को निरस्त करने हेतु दिनांक 8-10-73 को जिलाधीश झालावाड़ को लिखा गया है।

(2) जी हां। जिलाधीश ने अपने दिनांक 10-12-73 द्वारा सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया है। जिलाधीश द्वारा मामले से सम्बन्धित पूर्ण रिकार्ड नहीं भेजने से उन्हें रिकार्ड भेजने हेतु लिखा गया है। रिकार्ड प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

सहायक खनिज अभियन्ताओं का चयन

132. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार के खनिज विभाग में कुल कितने सहायक खनिज अभियन्ता कार्यरत हैं ?

(2) उक्त सहायक खनिज अभियन्ताओं में से कितने ऐसे हैं जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नहीं हैं ? उनके नाम क्या क्या हैं ?

(3) उक्त अचयनित सहायक खनिज अभियन्ता गत कितने वर्षों से विभाग में कार्य कर रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि सेवा नियमों में ऐसा प्रावधान है कि तदर्थ आधार पर केवल 6 मास के लिए ही नियुक्ति की जा सकती है ? यदि हां, तो उक्त अचयनित सहायक खनिज अभियन्ताओं को अभी तक सेवाओं में रखने का क्या औचित्य है ?

(5) ऐसे सहायक खनिज अभियन्ताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है और स्थगन आदेश ले रखे हैं ? स्थगन आदेश किस तिथि को जारी हुआ और उसके बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) कुल चौदह सहायक खनिज अभियन्ता कार्यरत हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) राजस्थान माइन्स एण्ड ज्योलोजिकल सर्विस रूल्स, 1960 में राज्य सरकार को एतदर्थ रूप से एक साल तक की नियुक्ति करने का प्रावधान है। परन्तु उपरोक्त अचयनित खनि अभियन्ता राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये स्थगन आदेश के अन्तर्गत राज्य सेवा में चल रहे हैं।

(5) सूची संलग्न है। जवाबदावे एक के अलावा सब के प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

प्रश्न के खण्ड दो की सूची

निम्नलिखित सहायक खनि अभियन्ता लोक सेवा आयोग से चयनित नहीं हैं:—

1. श्री जे. एन. कक्कड़
2. श्री मोहम्मद हुसैन
3. श्री बी. एस. चौहान
4. श्री बी. डी. बोहरा
5. श्री एच. एम. गुप्ता
6. श्री एम. जी. व्यास

प्रश्न के खण्ड तीन की सूची

निम्नलिखित अचयनित खनि अभियन्ता उनके सम्मुख अंकित तिथि से कार्य कर रहे हैं:—

नाम	दिनांक
1. श्री जे. एन. कक्कड़	17-7-64
2. श्री मोहम्मद हुसैन	26-8-64
3. श्री बी. एस. चौहान	11-5-66
4. श्री बी. डी. बोहरा	25-5-65
5. श्री एच. एम. गुप्ता	15-5-70
6. श्री एम. जी. व्यास	20-11-63

प्रश्न के खण्ड पांच की सूची

निम्नलिखित खनि अभियन्ताओं ने उनके सामने लिखे दिनांक से उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किये हैं:—

नाम	स्थगन आदेश की तिथि
1. श्री जे. एन. कक्कड़	28-4-71
2. श्री मोहम्मद हुसैन	1968
3. श्री बी. एस. चौहान	28-4-71
4. श्री बी. डी. बोहरा	28-4-71
5. श्री एच. एम. गुप्ता	19-6-71
6. श्री ऐम. जी. व्यास	10-4-68

ग्राम खुड़ाला की भूमि का औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन

133. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खुडाला तहसील बाली, जिला पाली की खसरा नम्बर 118 की पूरी भूमि जिलाधीश, पाली के दिनांक 11-1-1961 के आदेश द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि निहित स्वार्थ वाले कुछ व्यक्तियों ने राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी से सांठ गांठ करके इस सारी सरकारी भूमि को हड़प लिया व आपस में बांट ली है।

(3) क्या यह भी सही है कि इस भूमि के औद्योगिक क्षेत्र होने की पुष्टि जिलाधीश पाली के पत्र क्रमांक रेवेन्यू/111/65/7822, दिनांक 4-9-1965 से होती है जिसमें उन्होंने तहसीलदार, बाली को उपरोक्त भूमि में बीज गोदाम बनाने के विषय में लिखा था ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस भूमि के अधिकार का हस्तान्तरण तहसीलदार, बाली ने पत्रांक 15, दिनांक 4-1-1962 के द्वारा फालना उद्योग मण्डल लिमिटेड को उद्योग बस्ती व स्टॉफ क्वार्टर बनाने के लिए कर दिया गया था परन्तु बाद में सरकारी फाइल से मूल नक्शे गायब करके दूसरे बदले हुये नक्शे जिनमें फालना उद्योग मण्डल लिमिटेड द्वारा अपने अधिकार में ली गई भूमि के बाहर यह भूमि बताकर चेयरमैन, फालना उद्योग मण्डल लिमिटेड व उक्त वरिष्ठ अधिकारी ने आपस में बांट ली ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस भूमि के एक भाग पर फालना उद्योग मण्डल लिमिटेड के चेयरमैन व उसके सम्बन्धियों ने कई आवासीय मकान व्यक्तिगत रूप में बनवा लिये हैं ?

(6) क्या यह सही है कि अभी हाल ही में उक्त वरिष्ठ अधिकारी ने इस अधिकारी भूमि का एक भाग 80,000 रुपये में प्लॉट के रूप में बेचा है वह समस्त सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों ने जानकारी होने पर भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

उदयपुर विश्वविद्यालय की दुग्ध वितरण योजना

134. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय की दुग्ध वितरण योजना के एक पदाधिकारी जिसका मासिक वेतन आठ सौ रुपये से भी अधिक है बिना कोई कार्य किये प्रति माह वेतन उठा रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा कितने वर्षों से व क्यों हो रहा है ?

उत्तर

जी नहीं। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तराधिकारी को प्रसार निदेशालय में कार्य करने हेतु लगा रखा है।

ग्राम मोहनपुरा में चरागाहों पर अतिक्रमण

135. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तारांकित प्रश्न संख्या 104 रा. मं., दिनांक 6 नवम्बर, 1973 के प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने यह सूचित किया था कि पटवार सर्किल ग्राम मोहनपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में चरागाहों पर किये गये अतिक्रमणियों को बेदखल किया जा चुका है? यदि हां, तो क्या सभी अतिक्रमण 1966 के पूर्व के नहीं हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि अतिक्रमणियों की सूची प्रस्तुत करने से पूर्व इस सर्किल के तमाम चरागाहों की पत्थरगढ़ी की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? समस्त चरागाहों की पत्थरगढ़ी करवाई जाकर अतिक्रमणियों की असल सूची सदन की मेज पर रखी जाय ?

(3) क्या यह भी सही है कि वास्तव में अतिक्रमणियों को बेदखल नहीं किया गया है तथा चरागाहों में अब भी फसल हो रही है और जनता ने अतिक्रमणियों को बेदखल करने के लिए पुनः राज्य सरकार को निवेदन किया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) तारांकित प्रश्न सं. 104/रा. मं. के प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने यह सूचित किया था कि पटवार सर्किल ग्राम मोहनपुरा स्थित चरागाहों पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों में से एक अतिक्रमी श्री महादेव पुत्र जीवण रैगर के अलावा समस्त अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया गया था। श्री महादेव के अलावा शेष सभी अतिक्रमियों का कब्जा सन् 1966 के बाद का था।

(2) चरागाह भूमि ग्राम पंचायत के अधिकार में रहती है इसलिए पत्थरगढ़ी ग्राम पंचायत के आवेदन पर ही की जाती है। चूंकि ग्राम पंचायत ने इस सम्बंध में आवेदन नहीं किया अतः पत्थरगढ़ी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाल फसल रबी सम्वत् 2030 में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण की सूचना परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(3) जी नहीं हाल अतिक्रमियों के बेदखल करने बावत एक आवेदन-पत्र दिनाक 3-2-74 पटवार सर्किल मोहनपुरा की जनता के नाम से श्री नानगराम, छुन्नीलाल आदि द्वारा प्रेषित किया गया है, जिस पर तहसीलदार बस्सी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के कार्यवाही करने हेतु लिख दिया गया है।

(124)

परिशिष्ट 'क'

सूची चरागाह अतिक्रमण पटवार मण्डल, मोहनपुरा स्यालु सं. 2030

क्र सं.	नाम ग्राम	नाम अतिक्रमी	ख. नं.	रकबा	जिन्स	जोत
1.	मोहनपुरा	महादेव पुत्र जीवन रैगर	148 कि.	3)	बाजरा ।।।)	2।)
2.	,,	गोपी पुत्र नानगा रैगर	158 कि.	।।)	—	।।)
3.	,,	किशना पूराया पि. ग्यारसा माली	158 कि.	3)	—	3)
4.	,,	चन्दा पुत्र सोना ब्रा.	158 कि.	1)	—	1)
5.	,,	नाथू पुत्र मूलचन्द माली	158 कि.	।।)	—	।।)
6.	भोलावाला	कल्याण, गोपी, लादू छोटू चमार	31 कि.	5)	5)	—
7.	श्यामपुरा	काना पुत्र छोटू मीना	80 कि.	2)	2)	—
8.	,,	रुगनाथ पुत्र मूला मीना	80 कि.	1)	1)	—
9.	,,	रामनाथ मीना	80 कि.	2)	2)	—

क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्य

136. श्री राजेन्द्रसिह (उनियारा) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कितने कार्य अपूर्ण पड़े हैं ? जिले-वार ब्यौरावार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त कार्यों पर कितना खर्चा हो चुका है और कितना करने पर कार्य पूर्ण हो जावेगा ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त कार्यों को पूर्ण कराने के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

लूणकरणसर में पेय जल की व्यवस्था

137. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कस्बा लूणकरणसर के लिए बीकानेर से रेल द्वारा पेयजल की

(श्री भीमसेन)

व्यवस्था पर प्रतिवर्ष कम से कम पचास हजार रुपये खर्च किये जाते हैं ? अगर हां, तो क्या इस खर्च को हमेशा के लिए समाप्त करने के निमित्त लिफ्ट कैनाल के पानी पर बनाई गई क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर कार्यान्वित कराना उचित नहीं समझती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां, जी हां, यह धन की उपलब्धि के ऊपर निर्भर करता है।

पंचायत समिति, सुमेरपुर के प्रधान द्वारा पद का दुरुपयोग

138. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री बंशीलाल बालदिया (प्रधान, पंचायत समिति, सुमेरपुर) ने अपने पद का दुरुपयोग करके ग्राम दुजाना में खसरा नं. 37 में 52/111 बीघा व खसरा नं. 227 में 24 बीघा एक बिस्वा कुल 76 बीघा 111 भूमि पर कब्जा न होते हुये भी म्यूटेशन अपने नाम का करा लिया है ?

उत्तर

श्री बंशीलाल बालदिया, प्रधान पंचायत समिति, सुमेरपुर के नाम ग्राम दुजाना के खसरा सं. 27 में 52 बीघा 19 बिस्वा एवं ख. नं. 227 में 24 बीघा ।। बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण किया गया है। यह नामान्तरकरण राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के द्वारा राजस्व अपील सं. 58 एवं 59/71 में दिये गये निर्णय के अनुसार किया गया है। परन्तु राज्य सरकार ने उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष रिवीजन प्रस्तुत कर रखी है जो अभी तक विचाराधीन है। नामान्तरकरण के सम्बन्ध में भी उचित कार्यवाही की जा रही है।

राज्य को आयरन व स्टील का कोटा

139. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य को आयरन एण्ड स्टील का कितने प्रकार का कोटा प्राप्त होता है और 1973–74 में विभिन्न प्रकार का कितना कोटा प्राप्त हुआ ?

(2) क्या उपरोक्त स्टील का साधारण उपभोक्ता एवं किसान को मिलने का कहीं प्रावधान है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या उद्योगपति जिन्हें उपरोक्त आयरन एण्ड स्टील आवंटित किया जाता है, अपनी स्वेच्छानुसार भाव पर निर्मित वस्तु बेच सकते हैं ?

(स्थगित किया गया)

शाहबाद तहसील की जंगलात भूमि का राजस्व विभाग को स्थानान्तरण

140. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन 72-73 में शाहबाद तहसील जिला कोटा की 516

(श्री जगमोहनसिंह)
एकड़ भूमि जंगलात विभाग से रिलीज कर राजस्व-विभाग को दी गई है ? यदि हां, तो इस भूमि का अलाटमेंट कब और किन किन व्यक्तियों को किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का एलाटमेंट भूमिहिनों को न किया जाकर भूमिपतियों को कर दिया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1972-73 में शाहाबाद तहसील जिला कोटा की 516 एकड़ भूमि जंगलात में राजस्व में रिलीज नहीं की गई। अतः सूचि, सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

राज्य सरकार पर कर्जा

141. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर कुल कितना कर्जा किन-किन मदों में किस प्रकार है और उनका वार्षिक देय ब्याज कितना है? मदवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) भारत सरकार के अतिरिक्त और किन-किन का कितना कर्जा राज्य सरकार पर है ?

(3) वर्तमान में ओवर ड्राफ्ट कितना है ?

(4) राज्य सरकार ने उक्त कर्जे की अदायगी एवं उसके अधिकांश हिस्से को माफ कराने के लिये क्या क्या कदक उठाये हैं ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर कुल 704.99 करोड़ रुपये का कर्जा था जिस पर वर्ष 73-74 में कुल देय ब्याज अनुमानतः 39.89 करोड़ रुपया है। मदवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार पर चालू वर्ष के आरम्भ में भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कर्जा का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(करोड़ रु. में)

1. भारतीय जीवन बीमा निगम	10.01
2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	2.76
3. केन्द्रीय भांडागार निगम	0.02
4. भारतीय रिजर्व बैंक	3.22
5. खादी एवं ग्रामोद्योग	0.02
6. भारतीय दुग्ध नियम	0.28
7. बाजार ऋण	75.58
8. अल्पकालीन ऋण	2.80
	94.69

(3) प्रश्न प्राप्ति के दिनांक 6-2-74 को कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं था।

(4) उक्त कर्जे को माफ कराने का प्रश्न नहीं उठता। छठे वित्त आयोग को अदायगी में रियायत दिये जाने हेतु निवेदन किया गया था। उसके द्वारा दी गई रियायतों के अनुसार अगले 5 वर्षों में 258.14 करोड़ रु. का कर्ज कम चुकाना पड़ेगा।

भारत सरकार से प्राप्त ऋणों की 1-4-73 को बकाया की मदवार सूची

(अंक करोड़ों में)

	मद	ऋण राशि
1.	अल्प बचत योजना के अन्तर्गत	17.96
2.	केन्द्र द्वारा बाजार से लिये गये ऋण में से प्राप्त भाग	5.00
3.	पुलिस गृह एवं पुलिस के आधुनिकीकरण आदि	3.73
4.	पुनर्वास प्रयोजनार्थ	1.55
5.	खाद व बीज आदि हेतु	4.00
6.	आय-व्यय के घाटे की पूर्ति एवं अन्य मार्गोपाय अग्रिम	213.86
7.	दुर्भिक्ष	75.32
8.	कृषि उत्पादन एवं तत्संबन्धी योजनाये	17.70
9.	औद्योगिक विकास	0.92
10.	गृहनिर्माण योजनायें	2.82
11.	नागरिक जल प्रदाय एवं सफाई योजनायें	6.59
12.	शिक्षा प्रयोजनार्थ	1.77
13.	सामुदायिक विकास, सहकारिता एवं राष्ट्रीय सेवा खण्डों के लिये	3.20
14.	सड़क विकास	0.09
15.	काम दिलाऊ योजनायें	1.27
16.	पिछड़ी जातीयों का कल्याण	0.03
17.	विविध विकास योजनायें	29.95
18.	सिंचाई एवं विद्युत योजनायें	193.68
19.	राज्य आयोजना	115.85
20.	राजस्थान नहर परियोजना हेतु	9.70
		करोड़ रु. 704.99

जिला बून्दी में अनुसूचित जातियों की भवन निर्माण सहकारी समितियां

142. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बून्दी में अनुसूचित जातियों की कितनी और कहां कहां भवन निर्माण सहकारी समितियों का निर्माण किया गया?

(2) जिन भवन निर्माण सहकारी समितियों का निर्माण किया गया क्या उन्हें पट्टे दे दिए गये हैं ? यदि हां तो कौन कौनसी समितियों को और कितना कितना ऋण प्राप्त हो गया और कितने भवन तैयार हो गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिन भवन निर्माण सहकारी समितियों को पट्टे नहीं दिये गए हैं उन्हें कब तक पट्टे दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में अनुसूचित जाति की 6 सहकारी समितियों का पंजीयन निम्न ग्रामों में किया गया है:—

(1) वरधन (2) हरिपुरा (3) तालेड़ा (4) देवा का खेड़ा (5) सरपगढ़ (6) हीरापुर।

(2) जी हां। केवल शास्त्री गृह निर्माण सहकारी समिति लि., ग्राम हीरापुर को जमीन का पट्टा नहीं मिला है। वरधन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. तथा देवा का खेड़ा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. को क्रमश: 84,000 रुपये व 1,80,000रु. का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। ऋण राशि पत्रादियों में कमी रहने से राशि अभी नहीं दी गई है। अत एव अभी भवन निर्माण करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाते हैं। जिसकी कार्यवाही जारी है।

सांचोर में काश्तकारों से गेहूं की लेवी वसूली

143. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर, जिला जालौर में काश्त कारों से गेहूँ की लेवी 72 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से वसूल की गई थी ? अगर हां, तो कितने क्विन्टल ?

(2) क्या यह भी सही है कि उन काश्तकारों को जिनसे लेवी में गेहूँ वसूल किया गया था, सीमेन्ट एवं रासायनिक खाद आवंटन में प्राथमिकता देने की घोषणा मुख्य मंत्री द्वारा ग्राम सभा में की गई थी ? अगर हां, तो कब ?

(3) क्या मुख्य मंत्री की घोषणा की क्रियान्विति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों

(4) क्या भविष्य में मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप सुविधाएं देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र के काश्तकारों से खरीफ बाजरे की सबसे ज्यादा लेवी वसूल हुई है? अगर हां, तो कुल कितनी एवं जिले के अन्य भागों से कितनी लेवी वसूल हुई है ?

(6) क्या यह सही है कि अगर एफ. सी.आई. द्वारा लेवी वसूली में स्थानीय राज्य अधिकारियों को ज्यादा सहयोग एवं सुविधाएं दी जाती तो ज्यादा लेवी बाजरे की ली जा सकती थी ? अगर हां, तो कितनी ज्यादा ?

उत्तर

(1) जी हां। फेयर एवरेज क्वालिटी के लाल गेहूं का निर्धारित मूल्य 74 रु. प्रति क्विन्टल था। निर्धारित क्वालिटी में कमी होने पर तीन ग्रेड तक प्रति ग्रेड 1 रुपये कटौती की जाती थी जो अधिकतम तीन ग्रेड पर 3/- रु. प्रति क्विन्टल तक थी। कुल खरीद किये हुए गेहूं की मात्रा 3362 क्विन्टल थी।

(2) सरकार को गेहूं देने वाले काश्तकारों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं जहां तक सम्भव हो उपलब्ध करवाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया था।

(3) सभी सम्बन्धित विभागों को उचित निर्देश दिये जा चुके हैं।

(4) उपलब्धि के अनुसार सुविधा दी जावेगी।

(5) जी हां। जालोर जिले के विभिन्न भागों से सांचौर में ज्यादा वसूली हुई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी हां। यह सत्य है कि यदि खाद्य निगम के एजेन्ट द्वारा काश्तकारों को समय पर भुगतान, तोलने की समुचित व्यवस्था एवं पूर्ण सहयोग दिया जाता तो करीब 10 प्रतिशत लेवी जो अभी तक वसूल होनी है, प्राप्त हो जाती।

सूची प्रश्न का भाग—5

जिला जालोर की विभिन्न तहसीलों में हुई खाद्यान्न वसूली की सूची

जालोर जिलें में अब तक बाजरे की लेवी निम्न प्रकार से वसूल हुई है:—

सांचोर	18,000 क्विन्टल
भीनमाल	11,446 क्विन्टल
जालोर	14,605 क्विन्टल
आहोर	3,159 क्विन्टल
कुल	47;210 क्विन्टल

(130)

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 85 की सूची)

सूची 'अ'

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बाड़मेर एवं बीकानेर जिलों की उनके सामने दर्शायी गई निम्न तहसीलों में स्थानों पर ऊन कताई का कार्य कर रहा है:—

बाड़मेर	बीकानेर
बाडमेर तहसील	बीकानेर तहसील
1. बाड़मेर	1. पूगल
2. शियानी-रामसर	2. मोतीसर
3. रानीगांव	3. नापासर
4. रामसर कुआ	4. रायसर
5. भीमड़ा	5. हिमतसर
6. कवास	6. रिडमलसर
	7. गाडवाला
चौहटन तहसील	8. मेडसर
1. चौहटन	9. सिंथल
2. खेचराऊ	10. बेलासर
3. खारिया	

सूची 'ब'

बोर्ड द्वारा बाड़मेर व बीकानेर जिलों में चालू किये गये बुनाई केन्द्रों की सूची:—

बाड़मेर	बीकानेर
1. बाड़मेर	1. बीकानेर
2. रानीगांव	2. नापासर
3. उत्तरलाई	3. रायसर
4. रामसर	4. रिडमलसर
5. सियानी	5. सिंथल

131

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 94 की सूची)

अक्रियान्वित तकमीनों की सूची

क. सं.	मोहल्लों का नाम	धनराशि
1	2	3
1.	हन्वत स्कूल के पास खोड़ा फसला	1530
2.	जोगीयों का बास पारीकों की बगीची के पास चांदपोल के बाहर	1065
3.	जूनपीर की दरगा बम्बा मोहल्ला	1145
4.	भगत की कोठी रामदेव जी का चौक	2570
5.	भगत की कोठी स्कूल से स्टेशन तक	2570
6.	कृष्ण मन्दिर गली भगत की कोठी	2444
7.	ताबूतों की गली	845
8.	रावजी का नोहरा बाई जी तालाब स्कूल के सामने	1830
9.	लाडनू की हवेली के पास	20911
10.	बेलदारों का बास पृथ्वीपुरा	1884
11.	गोचीयों की गली डोडीदारों का मोहल्ला	1533
12.	पारीकों की बगीची चांदपोल के बाहर	1907
13.	हडीमिल बस्ती	3535
14.	मोतीलाल जी टांक की गली सरदारपुरा प्रथमरोड़	2870
15.	बाकली हाउस के पास रसाला रोड़	3030
16.	लडा की गली एकमीनर मस्जीद के पास	1096
17.	हाथी चौक लालम मौहल्ला रानीजी का नोहरा	1845
18.	लाइकों की मस्जिद के पास सुनारों का मौहल्ला	2760
19.	बीस्तियों का बास घोड़ों का चौक	6303
20.	अजीतसिंह जी का हत्ता सर्किट हाउस के पास	2567
21.	भैरुजी के मन्दिर के पास सिंहपोल	1060
22.	जालौरी गेट बारी के अन्दर बाईजी का तालाब के पास	1842
23.	सामियों की घाटी बोरों का चौक	615
24.	घंटाघर नई सड़क सोजती गेट के बाहर	2727
25.	लौहारों की घाटी कलियों का बास हाथीराम का ओडा	1280
26.	महावतों की मस्जिद के पास फतेहसागर	2292
27.	भोली बायों के मन्दिर के पीछे	2862

(132)

1	2	3
28.	मेहरो का चौक	1000
29.	नागौरी द्वार में नया तालाब	3470
30.	मार बार सीमेंट कम्पनी के पास स्टेशन रोड़	1060
31.	महामन्दिर रेल्वे स्टेशन से भेड़ ऊन कार्यालय	4890
32.	पोलो नं. 2 नागौरी द्वारा के बाहर	800
33.	चाकरा हाउस की गली सोजती गेट के अन्दर	1842
34.	रेजीडेन्सी रोड चौराया के पास मोहन मोटर्स के पास	2900
35.	सरदारपुरा 10 सी रोड़	1320
36.	नागौरी गेट के बाहर शिप हाउस के सामने	1250
37.	जूना दारू का ठेका गुलाब सागर	870
38.	श्री जयनारायण व्यास मेमोरियल के पास	
39.	किला सड़क के सुथारों का बास	17190
40.	सोजतिया गोधियों का बास	1640
41.	शेर विलास रातानाड़ा	2100
42.	गोलनाड़ी पुरविया का बास	1100
	कुल योग	118352

133

शुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 1974

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
7	ऊपर से प्रथम	राज्य मंत्री, आबकारी	राज्य मंत्री आबकारी श्री जुझारसिंह
13	नीचे से 7	श्री मो गफ्फार अली	श्री मोहम्मद गफ्फार अली
13	,, 13	वगैरा	वगैरह
19	नीचे से 3	क्लासीफीकेशन	क्लासिफिकेशन
25	,, 14	जप्त	जब्त
25	,, 15	श्री शंकर सिंह	श्री शंकरसिंह रावत
29	ऊपर से प्रथम	राज्य मंत्री वित्त	राज्य मंत्री वित्त श्री जुझारसिंह
54	ऊपर से 5	काश्तारों	काश्तकारों
73	नीचे से 12	जो की	जिसकी
78	ऊपर से 4	(श्री भार्गव द्वारा प्रस्तुत किया गया)	(श्री गिरधारीलाल भार्गव द्वारा फोटो प्रस्तुत किया गया)
89-90	शीर्ष	स्थ. प्र. पर अ. व्य–12 मार्च, 1974–आ.व्य.–1974-75 पर सा. वि. स. नि.	विधेयक का पुर:स्थापन–12 मार्च, 1974-आ. व्य. 1974-75 समिति का प्रतिवेदन
90	ऊपर से प्रथम एवं द्वतीय		समिति का प्रतिवेदन कार्य सलाहकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन
89	ऊपर से 16 के नीचे		विधेयकका पुर:स्थापन
92	ऊपर से 20	बजट पर	आय-व्ययक 1974-75 पर
106	नीचे से 5	श्री गुमानलल लोढ़ा	श्री गुमान मल लोढ़ा
126	नीचे से 6	महंगाई	महेंगे

1	2	3	4
147	नीचे से 15	इसेय समोजना	इसमें योजना
147	„ „	उन्होंने जा करके	उन्होंने आगे जा करके
157	ऊपर से 18	शिड्यूल कास्ट	शिड्यूल्ड कास्ट्स
183	नीचे से प्रथम	तरा	खतरा
223	„ „	रहे रोजगार	रहे हैं, उनके लिए रोजगार
226	नीचे से अंतिम	कार्यवाही 5 बजे समाप्त हुई	कार्यवाही सायं 5 बजे बुधवार दिनांक 13 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)